Sixth Series, Vol. XXX No. 20

Saturday, August 7, 1982
Sravana 16, 1904 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Ninth Session)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 4(7) 3
6 12 82

(Vol. XXX contains Nos. 11 to 20)

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

Price : Rs. 4 00

CONTENTS

COLUMNS

No. 20, *Saturday, August,* 7, 1982/*Sravana* 16, 1904 (*Saka*)

Papers Laid on the Table 5—6

Co mittee on Absence of Members fi c m Sittir g of the House— Minutes 6

Message From Rajya Sabha 7

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—
Reported move to a bridge freedom of Press 7—48

Shri Ajit Bag 7—11

Shri R. Venkataraman 7—8, 11—17, 23—27 31—40, 46—48

Prof. P.J. Kurien 17—23

Shri Mool Chand Daga 27—31

Shri Jaipal Singh Kasyap 40—46

Business of the House 48—67

Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Cess (Amendment's Bill and Iron Ore Mine and Manganes Ore M: es Labour Welfare Fund (Amendment) Bill . 67—118

Motion to Consider—

Shri E. Balanandan 67—74

Shrimati Jayanti Patnaik 74—78

Shri Jagpal Singh 78—82

Shri Ram Singh Yadav 82—87

Shri Chintamani Panigrahi 87—92

Shri Ramavatar Shastri 92—96

Dr. Subramaniam Swamy 96—100

Shri Xavier Arakal 100—102

Shri R.L.P. Verma 10 105

Shri S. Murugian . 105—108

Shri Harikesh Bahadur . 108—110

Shri Bha Jha Azad . . 110—51

COLUMNS

(i) Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Cess (Amendment) Bill.—

Clauses 2 to 11 and 1 . 116

Motion to Pass—

Shri Bhagwat Jha Azad 116

(ii) Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Fund (Amendment) Bill—

Clauses 2 to 12 and 1 . 116—11

Motion to pass—

Shri Bhagwat Jha Azad 118

Public Wakfs (Extension of Limitation) (Delhi Amendment) Bill 119—90

Motion to Consider—

Shri A. A. Rahim 119—20, 187—89

Shri Abdul Samad 120—22

Shri Saminuddin 122—32

Shri Sayed Masudal Mossain 132—36

Shri Zainul Basher 136—40

Shri Ghulam Mohammed Khan 141—45

Shri Krishan Datt Sultanpuri 146—48

Shri Ratansinh Rajda 148—50

Shri Jamilur Rahman 150—68

Shri Kamla Mishra Madhukar 166—72

Shri Muzaffar Husain 172—77

Shri Ashafq Hussain 177—87

Clauses 2 and 1 190

Motion to Pass—

Shri A. A. Rahim

Statement *re* : Sale of Tickets of Asiad to Members of Parliament

Shri Buta Singh . . . 145—46

LOK SABHA

Saturday, August 7, 1982/Sravana 16, 1904 (Saka)

The Lok Sabha met at three minutes past Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्षजी, मैंने एक नोटिस दिया है। प्रधान मंत्री विदेश से आई हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी अमरीका यात्रा बहुत अच्छी रही है। लेकिन जो बुनियादी प्रश्न हैं, लेबनान का है, पाकिस्तान का है या तारापुर का है......

MR. SPEAKER: Not allowed. Irrelevant.

SOME HON. MEMBERS *rose—(Interruptons)*

THE MINISTER OF DEFENCE AND HOME AFFAIRS (SHRI R. VENKATARAMAN): Mr. Speaker, Sir, I just want to mention about one thing. Then you can mention about anything else. Mr. Speaker, on the very day the matter was raised I have called for information from the District Magistrate. They gave some telephonic information. I said, I cannot accept it immediately on the basis of telephonic information and I have asked them to put it in writing and send it to me. I will submit it in the course of a day on Monday. As soon as I receive it I will place it on the Table of the House. So there is no need for all this.

श्री राम विलास पासवान: मैंने विधिवत नोटिस दिया है।

MR. SPEAKER: I have not allowed it. It is not allowed.

प्रोग्राम फार नेक्स्ट वीक के बारे में बताना हो तो बता दीजिये।

(Interruptions)

श्री राम विलास पासवान: आप सुन तो लें।

अध्यक्ष महोदय: क्यों सुन लूं?

This is not valid. Don't waste my time; this is wrong. This is not right.

SHRI RAM VILAS PASWAN: I have given Notice of Calling Attention. I have given notice of Adjournment Motion.

MR. SPEAKER: I have not allowed adjournment motion.

जब वक्त आयेगा तब सारा होगा। फिर काम में वक्त लगता है।

श्री राम विलास पासवान: सुनने में क्या वक्त लगता है?

MR. SPEAKER: I have not allowed it.

*(Interruptions)***

अध्यक्ष महोदय: आप जो कुछ कह रहे हैं इस वक्त यह ठीक नहीं है।

श्री राम विलास पासवान: मैं तो आपसे आग्रह कर रहा हूं कि प्रधान मंत्री को आने पर स्टेटमेन्ट देना चाहिये। Is it not the duty of the Prime Minister to come to the House and inform about the situation?

अध्यक्ष महोदय: आयी तो हैं नहीं वह और आप पहले से कर रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान: क्या वह नहीं आयीं हिन्दुस्तान में?

अध्यक्ष महोदय: आयी हैं, लेकिन कुछ वक्त लगता है।

Mr. Home Minister, is there any Monopolies Act in this country or not?

SHRI R. VENKATARAMAN: There is only one Monopolies Act which should apply to Mr. Paswan.

MR. SPEAKER: The hon. member is always trying to monopolise everything.

(Interruptions)

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North East): Sir, every day we hear that Bombay High is on fire. So many crores of rupees have gone and the House is still not wiser to know the exact position. What is happening Sir?

MR. SPEAKER: They have made a statement. If there is anything more, they will bring to the notice of the House.

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत): अध्यक्ष जी, मुझे दो छोटी बातें कहनी हैं। जितने भी बड़े त्यौहार हैं, होली, दिवाली, दशहरा आदि सब रेस्ट्रिक्टेड होलीडेज कर दी गई हैं।

अध्यक्ष महोदय: उनके लिये बिल्कुल सही स्थिति है. . . . .

Mr. Venkatasubbaiah, you were to say something regarding the holidays.

SHRI R. VENKATARAMAN: We had a meeting with all the party leaders and we discussed the question of holidays. Actually, the position is that this present arrangment has been agreed to in the discussion with the staff who are really concerned with the holidays, the members of the Central Government Services. Now, in their opinion, the present arrangement is good and they wanted it. But I quite appreciate the sentiments and I have offered to the leaders that if they want we will include Diwali and Dusserah as compulsory national holidays and leave the other 3 optional holidays settled by the staff. Now, if it is acceptable, they have not yet told me.

MR. SPEAKER: I think you will have another meeting and finalise it.

श्री हरीश कुमार गंगवार: राष्ट्रीय एकता के जो प्रयास हैं उसमें बाधा हो रही है।

अध्यक्ष महोदय: मीटिंग में रख कर लेंगे।

श्री हरीश कुमार गंगवार: दूसरे यह जो आपकी टी.वी. है वह हमारी ठीक से रिपोर्टिंग नहीं करता है।

अध्यक्ष महोदय: साठे साहब सुन रहे हैं।

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): Sir, I want to draw your attention. There are two important notices pending for months together. Whenever privilege notices against any important Government authorities are there, they are disposed of quickly. But a privilege motion against me in the Maharashtra Assembly is pending since Mr. Antulay was the Chief Minister.

MR. SPEAKER: I have explained to you.

(Interruptions)

PROF. MADHU DANDAVATE: No, no. Only yesterday I was told that it is still pending.

MR. SPEAKER: They say that it was disposed of.

PROF. MADHU DANDAVATE: Disposed it of? Then let the former Chief Minister of Maharashtra be told that it is disposed of.

MR. SPEAKER: I go according to the prsecedents and I will go accordingly. Don't worry.

PROF. MADHU DANDAVATE: Why do you want to keep that privilege motion pending against me for so many months? When there is privilege motion against the Prime Minister, you dispose of it in three days.

MR. SPEAKER: I always get information and go accordingly, not in every case.

PROF. MADHU DANDAVATE: But how long will it take?

MR. SPEAKER: I will get the information and decide.

PROF. MADHU DANDAVATE: Secondly, some aspersions were cast on you in the other House. I have given a privilege motion against Mr. Hidayatullah. So, I don't know what happened about that.

अध्यक्ष महोदय: आप बात करेंगे मेरे से ।

PROF. MADHU DANDAVATE: All right, I will talk to you.

श्रीमति प्रमिला दंडवते (बम्बई उत्तर मध्य): अध्यक्ष जी, मैंने 115 में नोटिस दिया था, 15 दिन से ज्यादा समय हो गया और होम मिनिस्टर ने कभी तक हमें जवाब नहीं दिया ।

अध्यक्ष महोदय: छोड़िये । आ जायगा जल्दी क्यों करती हैं।

11.08 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNUAL ACCOUNTS OF CENTRAL TIBETAN SCHOOLS ADMINISTRATION, NEW DELHI FOR 1980-81 AND STATEMENT FOR DELAY, ANNAUL ACCOUNTS OF INDIAN INSTRTUTES OF TECHNOLOGY, KANPUR AND KHARAGPUR FOR 1979-80 AND 1980-81 RESPECTIVELY, STATEMENTS FOR DELAY, ANNUAL ACCOUNTS OF UNIVERSITY OF DELHI FOR 1980-81 AND STATEMENT FOR DELY

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRIES OF EDUCATION AND CULTURE AND SOCIAL WELFARE (SHRIMATI SHEILA KAUL): I beg to lay on the Table:

(1) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central Tibetan Schools Administration, New Delhi, for the year 1980-81 together with Audit Report.

(2) A statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the payers mentioned at (1) above. [*Placed in Library. See* No. LT-4422/82.]

(3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956—

(i) Annunal Accounts of the Indian Institute of Technology, Kanpur, for the year 1979-80 together with Audit Report thereon. [*Placed in Library. See* No. LT-4423/82.]

(ii) Anual Accounts of the Indian Institute of Technology, Kharagpur, for the year 1980-81 together with Audit Report.

(4) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above. [*Placed in Library. See* No. LT-4424/82.]

(5) (i) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the University of Delhi, Delhi, for the year 1980-81 together with Audit Report thereon.

(ii) A statement (Hindi and English varisions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (i) above. [*Placed in Library. See* No. LT-4425/82.]

11.09

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTING OF THE HOUSE

MINUTES

SHRI P. V. G. RAJU (Bobbili): I beg to lay on the Table Minutes (Hindi and English versions) of the sitting of the Committee on Absence of Members from the Sittings of the House held on the 2nd August, 1982.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY: Sir, I have to report the following message received from the Secretary-General of Rajya Sabha:—

"In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herewith the Appropriation (No. 3) Bill, 1982, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 2nd August, 1982, and transmitted to the Rajya Sabha for its recommendations and to state that this House has no rceommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

11.10

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPORTED MOVE TO ABRIDGE FREEDOM OF PRESS

SHRI AJIT BAG (Serampore): Mr. Speaker, Sir, I call the attention of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:

"Reported move by certain States to abridge the freedom of press and the reaction of the Government thereto."

THE MINISTER OF DEFENCE AND HOME AFFAIRS (SHRI R. VENKATARAMAN): Sir, the Government of India stands by the Gonstitutional guarantee of the freedom of speech and expression which includes freedom of the press.

2. The Hon'ble Members are presumably referring to the Indian Penal Code and the Code of Criminal Procedure (Bihar Amendment) Bill 1982, as passed by the Bihar Legislature.

3. According to the State Government there have been a number of publications in newspapers, periodcials, etc. containing grossly indecent or scurrilous matters which affect the morale of public servants in the discharge of their duties. The legislation was therefore brought forward by the State Government to deal with the situation.

4. Similar provisions were made in the Indian Penal Code and the Code of Criminal Procedure (Madras Amendment) Bill, 1960 and the Indian Penal Code and the Code of Criminal Procedure (Orissa Amendment) Bill 1962, both of which were assented to by the President. The State of Tamil Nadu, by a subsequent amendment enhanced certain punishments provided in the Act of 1960. President's assent to the Tamil Nadu Bill in this regard was accorded in 1982.

5. The Bihar Bill has not been received by the Government of India for the assent of the President.

SHRI AJIT BAG: Sir, the Bihar Government has taken a very extraordinary steps for controlling the free press on the plea of curbing grossly indecent and scurrilous matters, or matters intended for blackmail. But this extraordinary measure is not as innocent as the Chief Minister of Bihar claims it to be yes, to prove this, his Government is spending lakhs and lakhs of rupees on such advertisements. This piece of legislation adopted in a very extraordinary manner is nothing short of a blatant violation of whatever little existed in the name of freedom of Press. This black Bill, an obnoxious piece of legislation, which seeks to amend the Indian Penal Code and the Code of Criminal Procedure strikes at the very root of democracy. It empowers Government officials to treat any indecent and scurrilous report, or matters intended for blackmail, which they consider to be objectionable, or likely to demoralise the administration, as a cognizable and non-bailable offence. It provides for imprisonment for two years or fine or both on first conviction, and in the event of second or subsequent convictions with imprisonment for five years with fine.

Then, Sir, any Magistrate has been vested with the power to take cognizance of these offences with the approval of Gov-

ernment and to try them. This is a naked infringement of the powers of the judiciary.

Why do we call this piece of legislation draconian, obnoxious and all that? This is because, as you will find, Sir, in this Bill, the journalists have been deemed as worse offenders than the alleged murderers and dacoits who can be bailed out but an accused journalist under the purview of this black legislation has been denied that privilege. Even an ordinary police officer can arrest a journalist on any plea and put him behind the prison bar for six months without any trial. This power has been given to them by an earlier amendment. [Criminal Procedure Code, 1973 (Bihar Amendment) Bill, 1982]. The mover of this black Bill, belongs to a tribe of Indian politicians who have excelled in earning notoriety by their spine-chilling stories of corruption, malpractices, political sadism and obscurantism to the extent of perversion. Several stories about such diabolic performances, such as the cement scandals, the Trust Deed scandals, the oil deal episode etc. have come out in the Press.

One such latest story about the Chief Minister of Bihar bathing in the blood of 108 sacrificial goats on the advice of a Tantrik infuriated him so much that he took this unusually draconian step to muzzle the Press that might come out with more such cases, as it is believed that stranger stories may be waiting in the drawers of the news desks of a number of journalists.

But, Sir, in the meantime we have enough of them; such as the atrocities committed on Harijans and the minorities, the Bhagalpur blindings, the activities of the Mafia, the murder of S. S. Das, as auditor of the accounts of the BCCL in Dhanbad, the alleged defrauding of the bank in which the Chief Minister himself is an accused, the alleged exploitation of the bonded labourers by the Chief Minister himself, and so on. There are dozens of such instances, if not hundreds.

Sir, are the exposing of these truths indecent and scurrilous? Are they acts of blackmail? Sir, by such legislation, they are going to gag the free Press and replace it by a sycophant Press loyal to them, in which bid we are sure, they are bound to fail miserably.

Are we to ignore this nefarious step on the part of the Bihar Government, as a State matter? No, Sir; such steps, whether in Bihar or in Tamil Nadu or in Orissa or in J&K or anywhere else in the country, cannot but be a matter of grave concern to all lovers of freedom, and all who adhere to the constitutional fundamental rights, and freedom of Press for that matter. We in the highest forum cannot wink at the toying with the rights of the Fourth Estate as a pillar of the entire democratic fabric.

Sir, this unusual and obnoxious step is the logical aftermath of the growing authoritarian tendencies in the political practices, a growing danger, about which grave concern has been expressed several times on the floor of this august House.

Sir, in the current phase, it all started with cases of physical assaults and killings, as it happened in Orissa where not only was a journalist attacked, but his wife was also raped and killed. Such cases of attacks on journalists occurred in Tamil Nadu, Andhra, Maharashtra and other places. Very recently, it was repeated in Jaipur. Let me quote one Press report—"Times of India" dated 5-8-1982:

> "The Police arrested one journalist, hand-cuffed and paraded him through the streets, following an altercation with a Sub-Inspector of Police."

These all remind us of the dark days of Internal Emergency when Press freedom was taken away, and Press censorship on a large scale was introduced. Even the quotations from Tagore, Mahatma Gandhi and Pandit Nehru were not spared the stranglehold of Press censorship.

But ultimately the people won. The Indian masses had given a fitting reply to all the oppressive measures and ultimately the freedom of Press was restored with the restoration of the fundamental rights of the people.

[Shri Ajit Bag]

Are these happenings as are taking place in Bihar today isolated events? Can these all not be ascribed to a common pattern which percolates from the top ?

Very recently we have seen the Prime Minister coming down heavily on the Press for criticising the Central Government. The Press was on many occasions attempted to be described as playing the role of Opposition. Certain speechees of other Ministers including the Information and Broadcasting Minister paved the way and the cue was taken by the State Satraps to merrily trample the sacred rights of the Fourth State. All these only point to a grave future. Dark clouds are again hovering in the sky. A united and determined opposition is urgently required to clear this ugly hurdle to the freedom of the people. All such attempts in the past had been foiled. Even the British rulers could not perpetuate their draconian control of our freedom nor the rulers in free India could succeed in their attempts to curb this freedom.

For the present, of course, some rulers may have the illusion to perpetuate their oppressive measures. But to quote the eminent French author Montaign, "On the loftiest throne in the world we are still sitting on our own rumps."

In this context, I would like to ask the hon. Minister first, what steps the Government propose to take to safeguard the freedom of Press? Secondly, whether the Central Government would advise the hon. President not to give his assent to any such Black Bill as imposes any curb on the freedom of Press? Lastly, whether the Central Government would reiterate its policy regarding freedom of Press and advise the Bihar Government to settle any abboration on the part of individual journalists or by sections of the Press only through the Press Council of India?

SHRI R. VENKATARAMAN: The hon. Member has covered a very wide ground. The Constitution provides for the freedom of expression under Article 19 and the same Article provides for reasonable restriction being enacted to regulate the freedom under Article 19(2). Therefore, the question is whether the regulation which the Bihar Government seeks is within the provisions of Article 9(2) of the Constitution. That is the main question that we will have to address ourselves to. Jump at right conclusions.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North East): Have you made up your mind on that?

SHRI R. VENKATARAMAN: No. I will tell you. Because, you are a hasty person and you always.... *(Interduptions)*

MR. SPEAKER: Jump at conclusions.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Jump at right conclusions.

SHRI R. VENKATARAMAN: Jump into things from which you never recover. I will show you how. *(Interruptions)* I will not be diverted from my line of argument. The hon. Member made a number of allegations against the Chief Minister of Bihar. *(Interuptions)*

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Which are correct.

SHRI R. VENKATARAMAN: I say, it is totally irrelevant to the discussion. *(Interruptions)*

श्री राम विलास पासवान: उधर के लोग भी इस बात को कहेंगे कि के खून से

अध्यक्ष महोदय: आप में भी इस में मतभेद है। आप 18 कह रहे हैं और वे 108 कर रहे हैं। कौन सा सही है?

..(व्यवधान)..

श्री राम विलास पासवान: ये कहते हैं कि यह टोटली इनकेक्ट है।.. (व्यवधान)..

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) वहां की एन्टायर गवर्नमेंट भ्रष्टाचार में डूबी हुई है।

MR. SPEAKER: You cannot ask any questions. It is not allowed in calling attention.

(Interruptions)

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Under Rule 353 (i) I can say that the Chief Minister said that he is a *Lok Tantrik*. The emphasis is on '*tantrik*'.

SHRI R. VENKATARAMAN: I heard with absolute patience all the allegations which the hon. Member was making. I did not even beat an eye brow.

RR. SUBRAMANIAM SWAMY: You are so thick skinned now!

SHRI R. VENKATARAMAN: But I just expect the same courtsey to be extended to me.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: No more interruptions.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur): Sometimes courteous interruptions can be there.

SHRI R. VENKATARAMAN: I said that it is not relevant to the discussion before us and I am entitled to it. You are entitled to have your opinion that it is relevant. I am entitled to have my opinion that it is irrelevant. You cannot question my opinion.

SHRI RAM VILAS PASWAN: You are the Home Minister. It is not your personal opinion. Your opinion is the opinion of the Government.

SHRI R. VENKATARAMAN: Yes. I said that this is exactly so. Now, if any dispute arises.... (*Interruptions*)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: You should not take cover under this type of argument. You give your advice.

SHRI R. VENKATARAMAN: If any dispute arises whether it is relevant or not, then the Speaker will decide whether it is relevant or not. But you can never say that such and such a thing is not relevant.

Now, allegations are not proof and I repeat, they are only 'allegations' and have not been established. It is, therefore, wrong to imagine that merely because reckless allegations about somebody else are made, then it becomes the Gospel Truth. Therefore, we have only that amount of respect to them which they deserve as allegations.

Then, the Bihar Government has stated that there are a number of occasions where certain unrestrained publications have caused embarrassment in the maintenance of law and order as well as in the administration. For instance, they have said that in May 1981 in Biharsheriff it was said, by a new agency, that the water in a well was poisoned, and this has caused a great deal of panic amongst the people. Now, would any responsible agency give currency to such a knid of statement and would it be proper for us people, as Members of Parliament to allow this kind of publication to be made?

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: No, no. You should contradict it and let the readers not buy that newspaper.

SHRI R. VENKATARAMAN: This is not correct. Where it affects the lives of people, million of people, do you say that 'you contradict' and then there will be a contradiction against that contradiction. (*Interruptions*) To say the least, my esteemed friend, Dr. Subramaniam Swamy in this matter is inhuman! Is that right? (*Interruptions*)

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: He was under the false impression that I was human to begin with? If it were so, then I will have to be disqualified from being a Member of this House! (*Interruptions*)

SHRI R. VENKATARAMAN: Then there was another instance. (*Interruptions*)

I was also under that impression.

There is another instance where it was stated in the press that a person was taken and ceremoniously beheaded without any basis. This kind of a thing has got to be regulated. The House must join with me in saying that while the freedom of the press should be protected, abuse must always be put down. If you do not agree, then there is no basis. Whether it is abuse or not, it is a matter for the court to decide.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: He will be arrested and put in the jail.

SHRI R. VENKATARAMAN: Whether it is an abuse or not, it is for the court to decide. The House must agree with me that while the freedom of the press should be protected, abuse by the Press on such occasions must always be put down. And the House must stand together on this matter.

Take this instance. An allegation was made that the Chief Minister had killed 108 goats.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: 21.

SHRI R. VENKATARAMAN: Nothing can be more ridiculous than this kind of a statement.

SHRI RAM VILAS PASWAN: I can prove this. If the Home Minister accepts the challenge, I can prove it. (*Interruptions*)

SHRI RATANSINH RAJDA (Bombay South): If this is substantiated, are you going to ask the Chief Minister to quit?

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: It has not been contradicted.

SHRI R. VENKATARAMAN: In the law there is a provision that anything stated which is a truth and is in public good, is protected. Therefore, if the statement is true and is made for the public good, it would be protected. And the person cannot be prosecuted and convicted. Therefore, if this statement is true and if the person is able to establish it in the court, then certainly, he will not come under the provisions of this law.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: You are supporting all the bad causes.

SHRI R. VENKATARAMAN: You are supporting all the lost causes, if not wrong causes.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: In the case of MISA one can take recourse to *habeas corpus*. Do you say it is good because of that?

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Is Mr. Jagannath Mishra following Moscow or China? (*Interruptions*)

SHRI RAM VILAS PASWAN: Mr. Pande knows it. It had happened under his very nose. How can the Home Minister say that it is incorrect?

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: It was not 108 but 21. (*Interruptions*).

SHRI R. VENKATARAMAN: Also a report goes on that he is going to drink the blood of a legislator. This is the kind of thing which must be regulated.

The whole question is: Does the freedom of press mean an unbridled right to say whatever it wants without a reasonable restriction or without any repercussions or consequences on the society and on the administration? This is the only question. The provision has been made in the law for that purpose. At this stage, I am not saying whether the Government is going to give assent or not because that stage has not arrived. When the Bill is passed in the Legislature of a State, the Governor has three options.

SHRI RAM VILAS PASWAN: Within five minutes with 60 amendments. (*Interruptions*)

SHRI R. VENKATARAMAN: You can say anything, but I will continue with my own statement. No. 1, he can give assent to the Bill himself; No. 2, he can send it back to the Legislature for reconsideration; and No. 3, he can reserve it for the consideration of the President.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: That we know.

SHRI R. VENKATARAMAN: I am not explaining it for Shri Somnath Chatterjee, who knows all this. I am explaining it for others.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: These are bourgeoise laws; he may not be knowing them.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: According to him, to have freedom of the

Press is something bourgeoise....(*Interruptions*)

SHRI R. VENKATARAMAN: Shri Somnath Chatterjee is thinking of easier disposal. After all, we also do not want him.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: I will finish him in five minutes.

SHRI R. VENKATARAMAN: Physically?

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: No; not physically. If this goes on record, then you will prosecute me under the same law.

SHRI R. VENKATARAMAN: When a matter is in the Concurrent List, if a law is passed by a State which is contrary to the law passed by the Centre, it will not be valid unless it receives the assent of the President. In this case, in certain respects it is contrary to the Criminal Procedure Code; unless it receives the assent of the President, it will not become valid. The Governor has to reserve it and send it to the Centre for the assent of the President. Then the Government will be called upon to exercise a judicial judgment over the whole matter and give its assent, or withhold assent. That stage has not arrived. The Bill has been passed. This is the position.

PROF. P. J. KURIEN (Mavelikare): I have gone through the statement of the hon. Home Minister. I notice that he has drafted it cleverly. He has said that the Government of India believes in the freedom of the press. He has not made any remark about the Government of Bihar or about that Bill. Fortunately, he has not received that Bill; so, he has reserved his comments. I am sure that an elderly and impartial gentleman like our hon. Minister, Shri Venkataraman, when he gets the Bill, will certainly give a judicial and impartial judgment and advise the Bihar Government to wtihdraw the Bill. He is reserving his comments because he is already of that opinion....(*Interruptions*) I did not say his party's opinion, his personal opinion. I said that because of his impartiality, his long administrative experience, his elderliness etc. ....(*Interruptions*) I attribute all positive qualities to him.

He has said in his reply to Shri Bag that in the Constitution there is a provision for the curtailment of the freedom of the press. But I would like to ask him whether that curtailment is to be used as an arbitrary punishment by the Government in its discretion. Here, the question is that in Bihar there are provisions of the Cr.P.C. amendment Bill. I am not a legal pundit, so I am not able to question this or that. But there is one which you know better. According to that, they have done away with the distinction between the judicial magistrate and executive magistrate in some cases. And according to this Bill under consideration, any magistrate can deal with cases. So, if a newspaper reports something, the person concerned can be charged and brought before any magistrate, who can be a civil servant,—the executive magistrate, and the punishment can be given and this executive magistrate is definitely under the Government. Do you think that the Government will always be the Congress (I) Government or a Marxist Government, as in West Bengal? It will change. (*Interruptions*). No, no. There will be change. So, my point is that whatever may be the restrictions imposed by legislation, the question should be decided judiciously and not by executive action. In Bihar, according to the provisions of this Bill, it is the executive magistrate guided and advised by the political heads or the Ministers—I have no disrespect for any Minister, that is not my point, I am only generalising it—who can punish the journalist. Therefore, this piece of legislation is to be objected to and it is obnoxious.

Sir, actually the issue in question is not a party issue. This is to be viewed above politics. The crux of the question is: Should we allow the press, as my friend sitting there said, to continue and report as they are doing now, or should there be any restriction on the freedom of the press? That is the simple question to be answered. That is not a party question because what I feel is, some time back, from 1977 to 1980, this country was

(Prof. P. J. Kurien)

ruled by Janata Party and you know what happened. Then came Congress (I) into power. This may change. So, this piece of legislation will have far-reaching consequences. Therefore, it is to be decided above party politics. This is my first simple request to the Minister. Now, the hon. Minister should explain to this House if he has ascertained the facts from the Bihar Government. Anyhow, he read some reports of the Bihar Government. So, I take it that he has ascertained certain facts.

What was the necessity of bringing this Bill now? What necessitated it? And further, if what I read in the press is correct, the Bill was passed in five minutes or less than that. (*Interruptions*). It was passed in such a haste, and also 60 Amendments in such a haste. What was the urgency? Has any national calamity occurred? Or, is there any foreign attack or anything? So, if the Government feels that actually there was any such necessity, it is up to the Government to explain here. Now, one excuse in this regard is that the Tamil Nadu Government and Orissa Government have already passed such Bills. So what? If X has committed a crime, can we justify if Y is doing the same thing? If there are such objectionable legislations in other States, I would say that they should also be withdrawn. Will the argument that some other government has already done it and so they have also done it, absolve them from this crime?

(*Interruptions*)

The excuse is about the so-called yellow journalists. The hon. Minister has also referred to the yellow journalists who write scurrilous, obscene, indecent thing or those who make a personal attack and write about the personal life of the people. Why should you be afraid of yellow journalists? There is nothing to be afraid of. Are people fools to believe yellow journalists?

I will give you a point to consider. What was the press during Janata rule in this country? During Janata rule, I was in Kerala and not in Delhi. I used to read certain papers. Every paper was publishing articles containing atrocities committed by Shrimati Indira Gandhi and this and that. Were people carried away by that? Why are you afraid of these things? People will not be carried away by the yellow journalism or even if the journalists write wrong reports. People have their sense of judgment. The Government should believe in that judgment. That is what I have to inform the Government of.

I want to ask one thing. Do you still feel that such a legislation like Bihar Press was necessary; in the public interest, are the existing laws not sufficient to discourage scurrilous writings and to penalise the offenders? If the hon. Minister and the Government of India are of the opinion that the existing laws are enough and competent to punish the offenders, you should advise the Bihar Government to withdraw the Bill. If not, you stand guilty of not bringing such a bill. If the present laws are not sufficient to deal with the miscreants, then you should have brought such a Bill much earlier.

I don't think you can say that the present laws are not sufficient to deal with the situation. My opinion is that you have not brought such a Bill because in your opinion the present laws are sufficient.

I am not casting any aspersion on anybody. I am not making any allegation. The general feeling of the public who voted for all of us is that the Bill is brought about to cover the misdeeds of the Government of Bihar. What happened in Bihar jails? There have been incidents over there about the killing of Harijans, etc. The feeling of the public is that this Bill is brought to cover up such misdeeds and to punish those inquisitive journalists who probe into these things and publish such things. It is in the interest of the Government of India also that these misgivings should be removed from the minds of the people.

MR. SPEAKER: What is the question?

PROF. P. J. KURIEN: I have already asked three questions. The questions are very important. These are about the freedom of press.

Sir, the press in the watchdog of democracy. If something you do which is detrimental to the functioning of democracy, how can we be here? आप स्पीकर कैसे हो सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय : बात तो बिल्कुल सही है।

PROF. P. J. KURIEN: So, if there is no democracy we cannot be here. You should give me enough time because this is an important subject. The Bihar Bill is striking at the freedom of the Press which in. turn, strikes at the democratic functioning of the society.

Now I should say something about the Press also. The Press should be self-restraint. It is the Press which, in the public interest, should enquire into the misdeeds of the Government or Ministers or Members of Parliament or any public men and publish it. But they should also verify these facts and at the same time should not go in for character assassination or vilification of persons.

Also, the Press should be impartial. When the Press projects the evil deeds of the men of leaderships, they should also give publicity to what is just and good done by them. Sometimes what happens is that some of the sections of the Press go and look into the evil side of it. That will create a bad impression to the society because the people feel that all the politicians, all the leaders and all the Ministers are corrupt. Then, the people will lose faith in democracy and people losing faith in democracy is also detrimental to the interest of our country, democracy and ourselves. So, there should be a restraint on the part of the Press but that should be a self-restraint. Even in this House. if somebody makes some hullabaloo in the Zero Hour that will be in the headlines. (*Interruptions*)

My point is that the Press should be self-restraint and not imposed by law. Impartiality cannot be imposed by law. It should come automatically. So, let us hope that the Press will be impartial and in that good hope, we must ask the Bihar Government to withdraw the Bill.

MR. SPEAKER: Is that all?

PROF. P. J. KURIEN: Sir, another point which I have to make is, suppose the Press do not publish misdeeds of the Government.... (*Interruptions*). Suppose the Press does not publish these misdeeds and wrong-doings of the Government, what happens? Rumours will spread in the country. During the Emergency, there was Press censorship. What happened was that so many rumours spread in the country. Nobody knew if the rumours were correct or not. So, if the Press is not writing these things, rumours will spread. People are having tendency to believe more rumours. So, it is dangerous again to prevent the Press from writing the misdeeds of the Government. If the Press writes all these things and publishes, the Government can see it and it can meet these points and answer them and then the people will take correct judgment.

MR. SPEAKER: Be short. You are not asking any questions. Now I will have to curb you!

PROF. P. J. KURIEN: I also cite an example. My point is that the Press should be left free.

MR. SPEAKER: Professor, nobody seems to be serious about it. I have given you enough of time. I cannot give you more time.

PROF. P. J. KURIEN: I will conclude.

My point is that bringing such a Bill and curtailing the freedom of the Press will actually help rumours to spread and spreading of rumours is deterimental to the existence of democracy.

I would like to say that this Bill which has been passed by the Bihar legislature is unconstitutional and undemocratic.

In the light of this, will the Government advise the Bihar Government to withdraw the Bill or the Governor of Bihar not to give assent to the Bill?

I would also like to ask whether the Government of Bihar had consulted the Government of India before passing such a Bill.

SHRI EDUARDO FALEIRO (Mormugao): Consultation between the Government of India and State Government does not arise in these matters.

(*Interruptions*)

PROF. P. J. KRUIEN: I would also like to know whether Government is aware of the tendency of the States, one after another, to suppress the freedom of the Press.

In the light of this, will the Government give a directive to these three States which have already passed the Bill and also direct other States not to resort to any action which is curtailing the freedom of Press?

MR. SPEAKER: Professor, now you should utilise the bonus time which I have given you.

PROF. P .J. KURIEN: Let all the State Governments also stand for freedom of Press and it is up to the Govenment of India to ensure that freedom of Press is maintained.

MR. SPEAKER: You are misusing your freedom now.

Now the Hon. Minister will reply.

SHRI R. VENKATARAMAN: To a large extent I will be in agreement with the Hon. Member.

When the Hon. Member said that there should be self-restraint in the Press, in fact, he has spoken like a Professor"
"लोका: समस्ता: सखिनो भवन्त ।"

Well, the problem arises only when there is no self-restraint and law has to regulate the behaviour. That is where the problem arises.

The Hon. Member raised one or two points which I will briefly answer.

The first point that the Hon. Member has raised is that Bihar Government has introduced or has got a Bill to amend the Cr. P. C. to do away with the distinction between the executive and judicial magistrates. We are not aware of it. We have not got any such Bill before us.

Then the Hon. Member said that the language used in the Bill says that 'any Magistrate' can take cognisance which means, according to him, an executive magistrate. On the contrary, the context in which the words "any Magistrate" are used is to say whether he is a I Classe Magistrate or II Class Magistrate. It is only for that purpose the words "any Magistrate" are used.

Then the third point which the Hon. Member raised is that this law which is passed in other States should not be used as an Ordnance. All that I have said is that there has been similar law and there is not much of protest. That is the point made. 20 years ago the Governments of Tamilnadu and Orissa passed that Act. And there has not been much of a protest or any serious abuse of this.

12.00 hrs.

This is the point which the House must take into account.

The next point he made was, if the Government thought that this was a proper thing to do, they must bring forward the Bill themselves. I would like to remind the hon. Member that the Janata Government passed in the Rajya Sabha the Indian Penal Code Amendment Bill, 1970, in which they amended section 292 of the Indian Penal Code, 292A, exactly in the same words as in the...

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: That has to be condemned. You need not follow that.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI (Patna): Why are you following that? (*Interruptions*)

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: I opposed it at that time also, I must tell you. (*Interruptions*)

SHRI R. VENKATARAMAN: I expected this kind of reaction and that is why I put it.

SHRI HARIKESH BAHADUR (Gorakhpur): In Rajya Sabha, your Party was in majority at that time. (*Interruptions*)

SHRI CHANDRAJIT YADAV (Azamgarh): Janata Party in power and Janata Party out of power are two different things.

SHRI R. VENKATARAMAN: It is not that I want to score a debating point on this. What I am driving at is that the Government have, at some time or other, felt the need for a regulation of this kind; that is the point which I am putting forward. Whether it was the Janata Government or the Congress Government or any other Government, they have felt the need for regulating scurrilous writings.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: But you have not pointed out why the Bill never made it in the Lok Sabha.

SHRI R. VENKATARAMAN: Shall I tell you why? You have a very short memory.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: I never seem to get the better of you.

SHRI R. VENKATARAMAN: You will never get the better. The Bill was not passed in the Lok Sabha because the Lok Sabha was dissolved.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: No. In Rajya Sabha it was passed in 1978. This is misleading Parliament. You were in the Opposition here. That is why it did not come here.

SHRI R. VENKATARAMAN: I cannot accept Dr. Subramaniam Swamy's explanation because he was not in the Government. If Prof. Madhu Dandavate says, I may accept it, but not if Dr. Swamy says because he was not in the Government and he is not entitled to give the explanation for the Government.

PROF. MADHU DANDAVATE: Then he may allege that I am revealing Cabinet secret.

MR. SPEAKER: You are all becoming smarter today!

SHRI R. VENKATARAMAN: I would not have challenged Prof. Dandavate to reveal....

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Your Party welcomed that Bill in the Rajya Sabha.

SHRI R. VENKATARAMAN: Shall I say why? Earlier the Congress Government had brought forward a Bill containing this clause. They could not be inconsistent.

Therefore, the point I am making and which you have missed is that, whether it was the Congress Government or the Janata Government, it has felt the need for some kind of a regulation of this kind. Therefore, there is nothing that is done which is new or something which is outrageous as is now sought to be made out.

The last point which the hon. Member made was...

SHRI M. M. LAWRENCE (Idukki): It is not that there is only Congress (I) and Janata Parties in this country. Other Parties are also there. (*Interuptions*)

MR. SPEAKER: Dr. Smamy, do you agree?

SHRI R. VENKATARAMAN: When other Parties come to Government, they will have to prove that. They will say it only when they are in Opposition or outside.

[Shri P. Venkataraman]

The last point was, whether I would advise. We do not advise the Government on these matters because the Central Government has the duty of giving advice to the President whether to assent to it or not on a judicious consideration of an factors.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Will you advise the President not to give his assent?

SHRI R. VENKATARAMAN: We cannot say that at this stage.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: One question, he has not answered.

PROF. P. J. KURIEN: Whether the present law cannot be used to deal with offenders. That question also has to be answered.

श्री मूलचन्द डागा (पाली): अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उस में उन्होंने साफ कहा है कि अभी इस बिल को हम ने देखा ही नहीं है। यह इन का सीधा जवाब है। गृह मंत्री जी ने एक जवाब दे दिया और वह जवाब यह है:

"The Bihar Bill has not been received by the Government...."

लेकिन ऊपर यह लिखा है:

"The hon. Members are presumably referring to the Indian Penal Code and the Code of Criminal Procedure (Bihar) Amendment Bill 1982, as passed by the Bihar legislature."

एक जवाब में दो बातें हैं। ठीक है, जो उन की इच्छा है, वह करें लेकिन एक बात जरूर है। सब से ज्यादा प्यारी चीज अगर दुनिया में कोई है, तो वह आजादी है और इस सम्बन्ध में मैं डिजरली का एक कोटेशन आप के सामने रखना चाहता हूं:

"The Press is not only free, it is prowerful. That power is ours. It is the proudest that man can enjoy. It was not granted by monarchs, it was not gained for us by aristocracies, but it sprang from the people and with an immortal instinct it has always worked for the people."

हिन्दुस्तान की जनता की बुद्धिमत्ता की तारीफ सब करते हैं चाहे इधर बैठने वाले हों और चाहे उधर बैठने वाले हों। हिन्दुस्तान की जनता में विवेक, ज्ञान और समझदारी बहुत है। उस का निर्णय आप उस पर छोड़ दीजिये लेकिन आप जिस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, तो मैं ने जब मिश्रा जी की स्पीच अखबारों में पढ़ी, जो उन्होंने इस छोटे से बिल को रखने के समय दी थी, तो मैं यह नहीं समझ पाया कि ब्लेकमेलिंग का मतलब क्या होता है। कहीं इन्होंने डिफाइन किया है कि ब्लेकमेलिंग चीज क्या है। इन की स्पीच जो अखबारों में निकली है, वह यह है:

"It would also include the lurid exposure, unrelated to the public interest, of the personal lives of the individuals....

एक आदमी अच्छे पद पर बैठा हुआ है और जनता उस पद की गरिमा को समझती है और अगर वह उस के बारे में कुछ बातें करती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यह आप समझ सकते हैं।

A man who is weak in his private life cannot be expected to be noble in public conduct....

SHRI RATANSINH RAJDA: Correct.

SHRI MOOL CHAND DAGA: It is not that a person who has changed the place, has changed.

ठीक है, आज सारी बातें गृह मंत्री जी कहने को तैयार नहीं हैं और उन्होंने बड़ी तरकीब से यह सोचा है और कहा है कि इस बिल पर विचार सरकार करेगी। मैं आप को आर्टीकिल 105 पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

"No member of Parliament shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in Parliament or any committee thereof, and no person shall be so liable...."

तो इस पार्लियामेंट का सदस्य 105 धारा के अन्तर्गत इस सदन के पवित्र स्थल पर कुछ भी कह सकता है लेकिन उस के खिलाफ कोर्ट में कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है। अच्छी है, फ्रीडम आफ स्पीच और फ्रीडम आफ राइटिंग है । मैं यह बात सिद्धान्तः कहना चाहता हूं कि आप ने इस में लिखा है, जगह जगह पर क्लाज के अन्दर, हर एक क्लाज में, यह जो बिल निकला है, जिसके बारे में गृह मंत्री ने कहा है कि वह अभी तक हमारे पास नहीं भेजा गया है, उस में एक शब्द बार बार लिखा गया है, 'ब्लैकमेल', 'और इन्टेंडेट टू ब्लैकमेल' । इस का क्या परपज है ?

अब एक पेपर सरकुलेशन में है। उसमें एक कार्टून निकलता है जो पसन्द नहीं आता तो उसको बेचने वाला भी गुनहगार है, उसका एडीटर भी गुनहगार है और जिस संवाददाता ने एजेन्सी ले रखी है वह भी गुनहगार है। मैं यह मानता हूं कि आप आजादी की सुरक्षा के लिये यह चाहते हैं कि कोई दुर्भावनापूर्ण तरीके से इस आजादी का उपयोग न करे । लेकिन मैं पूछता हूं कि इसकी जरूरत क्या पड़ी, इस कानून के बनाने की आज क्या जरूरत पड़ी ? अभी हमारी प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि हम हिन्दुस्तान में प्रेस की आजादी पर अंकुश लगाना नहीं चाहते हैं और प्रेस की आजादी में विश्वास करते हैं।

सब लोग कहते हैं कि प्रेस हमारी आंख और कान है । यदि आप इन बातों को सोचते हैं और मानते हैं और आर्टिकल 19 को मानते हैं जिसमें कि आजादी की बात कही गई है जो जो लेजिस्लेशन बना है वह इस पर प्रतिबंधन है या नही ? वह सवाल आज तो खड़ा होता नहीं है क्योंकि वह लेजिस्लेशन आपने देखा नहीं है जिसके बारे में कि हमने कालिंग अटेंशन मोशन दिया है । आज यह जो बहस हो रही है उस लेजिस्लेशन पर नहीं हो रही है । आज हम बहस कर रहे हैं दूसरे विषय पर ।

फ्रीडम आफ प्रेस और फ्रीडम आफ स्पीच की सब बातें कहते हैं । हिन्दुस्तान की जनता को अपने में बहुत विश्वास है । एक राज से दूसरा राज पलट जाता है और एक राज दूसरे राज के खिलाफ बहुत कुछ कहता है लेकिन जनता अपने विश्वास के बल पर निर्णय करती है । यलो जरनलिज्म की बात कही जाती है, कितनी ही पीत पत्रिकाएं निकलती हैं, भगवान जाने कितनी निकलती होंगी लेकिन उनके पढ़ने के बावजूद हर आदमी अपना दिमाग रखता है । हमें हिन्दुस्तान के वोटर में विश्वास रखना होगा ।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से दो-चार प्रश्न पूछना चाहता हूं । जब आप आर्टिकल 19 की दहाई देते हैं कि हम तो प्रेस की आजादी में विश्वास करते हैं तो इस कानून की क्या जरूरत थी ? आपके जो कानून बने हुये हैं, उन कानूनों के होते हुए फिर इस बिल को लाना क्या जरूरी था ? एक आप इस प्रश्न का उत्तर दें ।

दूसरे क्या ब्लैक मेलिंग की कोई डेफिनिशन है ? अगर कोई पदासीन है, उसके बारे में प्राइवेटली कुछ देखा है, पब्लिकली नहीं देखा है क्योंकि कुछ लोग अलमारी में तो कोकशास्त्र रखते हैं और हाथ में रामायण रखते हैं तो ऐसी बातों के बारे में आप क्या करेंगे । अगर इस पर कोई टीका-टिप्पणी करे तो श्रीमन् इसको क्या आप ब्लैकमेल करना कहेंगे ? इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि ब्लैकमेलिंग की परिभाषा क्या है । यह नहीं कि आप जो चाहें कह दें । मैं फिर से आप से आग्रह करूंगा कि आप फ्रीडम आफ प्रेस को खत्म नहीं करना चाहते हैं, जिसका कि आपने पहले ही सेन्टेन्श में कहा तो क्या आप यह बतायेंगे कि आर्टिकल 15 के अन्दर जो आपने जुडिशियरी और और एक्जीक्यूटिव को पावर्स दिये हैं वे पावर्स मेजिस्ट्रेट को नहीं दिये हैं यह क्यों है? तो आर्टिकल 50 के द्वारा कहीं हम ज्यूडिशरी के पावर एग्जीक्यूटिव को देने तो नहीं जा रहे हैं?

तीसरी बात यह है कि पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ के बारे में जो भाषण दिया है, उस पर आप कृपा करके प्रकाश डालें। हम कब कहते हैं कि किसी की जिन्दगी के बारे में दुर्भावनापूर्ण प्रचार किया जाए और

[श्री मूल चन्द डागा]

अगर किया जाता है तो क्या वर्तमान कानून उसके लिये सफीशिएंट है या नहीं और इसको बनाने की जरूरत क्यों पैदा हुई ।

SHRI R. VENKATARAMAN: Mr. Speaker, Sir, Mr. Daga is a champion goal-keeper who scores goals on his side.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: That is no praise. We are all Members of Parliament here without party affiliation. Sometimes we praise you and sometimes your Members can attack you.

MR. SPEAKER: Is he a mis-guided champion?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री: तो गोल हुआ या नहीं हुआ ।

SHRI R. VENKATARAMAN: If you cannot understand a joke then you please sit down.

Sir, he raised the question of Article 19 but he forgot that Article 19 contains Clause 2 which permits legislature to impose reasonable restrictions and these are reasonable restrictions.

AN HON. MEMBER: They are not reasonable.

SHRI R. VENKATARAMAN: Whether they are reasonable or not it is for the court to decide. Sir, all his elequence on the freedom of Press and freedom of Expression being lost is totally irrelevant. He went on dealing with the provisions in the Bill forgeting that we are not dealing with the Bill. We are not debating on the Clauses of the Bill. We are debating whether Central Government's assent should be given and, if so, what are the basis but he went on detailing and reading clause by clause as if he was a Member of the Bihar legislature. I want to remind him that he is a Member of Parliament.

MR. SPEAKER: You mean a misplaced champion.

SHRI R. VENKATARAMAN: Sir. I have nothing more to add.

श्री रामस्वरूप राम (गया): अध्यक्ष महोदय, हमारे पूर्व-वक्ताओं ने आजादी की बड़ी दहाई दी है कि आजादी बड़ी कीमती है ।

12.19 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*].

उपाध्यक्ष जी, यह हम सभी मानते हैं । हम तो इतना तक कहने को तैयार हैं कि प्रेस लोकतंत्र को रक्षक है, लोकतंत्र की प्रहरी है और इसको आजादी मिलनी चाहिये, क्योंकि सरकार के कार्यक्रमों और जनता की समस्याओं के बीच प्रेस एक कड़ी का काम करती है, इस लिए प्रेस की आजादी होनी चाहिये । लेकिन आजादी का कभी कभी दुरुपयोग भी होने लग जाता है और तरह तरह की बातें बना कर जन मानस को गुमराह करने की कोशिश भी की जाती है । वैसी आजादी, मैं समझता हूं, न आपको प्यारी लगेगी और न पत्रकार बन्धुओं को लगेगी, जो देश प्रेमी हैं और देश के विकास में विश्वास रखते हैं ।

जनतांत्रिक समाज में विचार की अभिव्यक्ति आवश्यक है । हर तरह के विचार स्वतन्त्र रूप से जनता के सामने आना चाहिये और उसे जनता के सामने आने दिया जाना चाहिये लेकिन यहां एक बात पर जोर देना बहुत आवश्यक है । विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता जन साधारण के लाभ के लिये होनी चाहिये और इस में जो उत्तरदायित्व निहित है उसको भी स्वीकार करना चाहिए। यह एक मौलिक सिद्धान्त की बात है । प्रेस की स्वतंत्रता का अभिप्राय यह नहीं हो सकता है कि मनगढ़न्त समाचार दे कर साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दिया जाए, प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं होता है कि मनगढ़न्त समाचार दे कर जातीयता को बढ़ावा दिया जाए या गलत समाचार दे कर इस प्रकार के कार्यक्रम को चलाया जाए जिससे देश की अखंडता, देश की इंटेग्रेटी या उसकी सावरेनेटी खतरे में पड़ती हो । तब इस प्रकार की स्वतंत्रता पर क्वेशन मार्क लग जाता है । इसकी जवाबदेही इन लोगों पर है ।

जुलाई 1954 के अपने प्रतिवेदन में पत्रकारिता के संबंध में प्रथम प्रेस कमिशन ने सत्रह सिद्धान्तों का निरूपण किया था । इन

सत्रह प्वाइंट्स से जनता से पत्रकार बन्धु कमिटेड हैं। पहला प्वाइंट था :

(1) चूंकि प्रेस जनमत सृजन का एक मुख्य माध्यम है पत्रकार अपने को पत्रकार कहने के लिए हमेशा तैयार एवं इच्छुक रहें ताकि वे जनता के अधिकारों की रक्षा कर सकें।

दूसरा था :

(2) पत्रकार अपने कर्तव्यों के सम्पादन में मानवीय एवं सामाजिक अधिकारों को समुचित महत्व दें तथा समाचार रिपोर्टों एवं आलोचनाओं में अपने विशिष्ट उत्तरदायित्वों का विश्वास के साथ सम्पादन करें।

MR. DEPUTY SPEAKER: You need not read all the 17 points. You have said it. Everybody would have read it. If you read all points, it will take more time.

श्री राम स्वरूप राम: आपने औरों को आधा-आधा घंटा दिया है। मुझे भी आप पूरा कर लेने दीजिए।

तीसरा प्वाइंट है :

(3) प्रत्येक पत्रकार को समाचारों के संकलन एवं प्रकाशन में पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिये तथा इसको सुरक्षा इनका प्रमुख लक्ष्य होना चाहिये।

(4) पत्रकारों को समाचार संकलन तथा आलोचनाओं के बारे में जिस से तनाव में वृद्धि एवं दंगा होने की सम्भावना हो, स्वयं अंकुश रखना चाहिये।

आप जानते हैं हमारे माननीय गृह मंत्री जब जवाब दे रहे थे तो बिहार शरीफ के पेपर्ज की कतरनों को उन्होंने सदन में रखा जिनसे पता चलता था कि वहां के साम्प्रदायिक वातावरण को विषाक्त बनाने की किस तरह से कोशिश की गई थी।

पांचवा है :

(5) पत्रकारों को यह प्रयास करना चाहिये कि सूचनाओं का प्रसारण तथ्यों पर आधारित हो। किसी भी तथ्य को तोड़ा मरोड़ा नहीं जाए और न ही किसी आवश्यक तथ्य को दबाया जाए। कोई भी सूचना, जिनकी सत्यता संदिग्ध हो, अथवा गलत हो, उसे प्रकाशित नहीं किया जाए।

इस तरह से सतरह प्वाइंट हैं जिन में हमारे देश के पत्रकार बन्धु कमिटेड हैं।

इस कामटमेंट को देखते हुए मैं बिहार प्रेस बिल की अहमियत में जाता हूं। प्रेस कमीशन की रिपोर्ट का जो पंद्रहवां प्वाइंट है, जिसको इन्होंने स्वयं स्वीकार किया हुआ है, इस प्रकार है

(15) कलंक मढ़ना अथवा निराधार आरोप लगाना पत्रकारिता विरोधी एवं गम्भीर अपराध है।

यह मेरा बनाया हुआ नहीं है। इन लोगों का अपना बनाया हुआ है जो प्रेस की आजादी के नाम पर कभी कभी देश को नुकसान भी पहुंचाते रहे हैं, समाज को नुकसान भी पहुंचाते रहे हैं, और हमारे जो मौलिक सिद्धान्त हैं उन पर कुठाराघात भी करते रहे हैं इस लिये 15 वां जो इनका पांइट है कि कलंक मढ़ना अथवा निराधार आरोप लगाना पत्रकारिता विरोधी एवं गम्भीर अपराध है। यह 17 पांइट प्रेस कमीशन के सामने 1954 में लाये गये। इसी के आलोक में लोगों ने कहा आजादी हमको मिलनी चाहिये। ठीक है, आजादी हम सब को प्यारी है। रोड़ पर चलना सब का अधिकार है, लेकिन रोड पर बायें चलना यह हमारा उत्तरदायित्व है। ट्रेन में सफर करने का हमारा अधिकार है, लेकिन टिकट लेकर चलना हमारा उत्तरदायित्व है। इसलिए आजादी के नाम पर इन्होंने चीजें मांगी और जो समास्यायें रखी उनको तोड़ मरोड़ कर जिस दिन प्रेस दायरे से बाहर जायगा तो उनकी आजादी पर अंकुश लगाना सरकार का धर्म है। बिहार सरकार ने कोई नई बात नहीं की।

[श्री राम स्वरूप राम]

अभी कुछ लोग कह रहे थे कि बिहार के मुख्य मंत्री बकरे के खून से नहाते। मैं उनको बताना चाहता हूं कि वह तो मांस मछली तक नहीं खाते, शुद्ध शाकाहारी हैं. . . . (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please allow him to speak. Don't record any other thing (*Interruptions*)**

श्री राम स्वरूप राम: यह मनगढ़न्त बातें हैं। हमारे मुख्य मंत्री शुद्ध शाकाहारी हैं, बकरे के खून से नहाने वाली बात झूठ है, और इस तरह से प्रैस आजादी के नाम पर अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह प्रैस वाले नहीं कर रहे हैं। मुझे इनसे प्रेम है लेकिन आजादी के जो स्टैंन नौर्म्स हैं, उन पर इनको आचारण करना होगा। आजादी के नाम पर पिछले सत्र में एक काल अटेंशन आया था हिन्दुस्तान समाचार एजेन्सी के बारे में जिसमें मैंने हिस्सा लिया था। तो वहां से श्री बालेश्वर अग्रवाल ने एक लम्बी चौड़ी चिट्ठी लिखी कि आपने गलत काम किया है क्या वह हमारी आजादी को कर्ब कर रहे थे? उनको ऐसा नहीं लिखना चाहिये था। हमको यहां पर बोलने का अधिकार है। लेकिन यह अधिकार नहीं है कि हम ऐसी बात बोलें जिससे देश की अखंडता और संविधान को खतरा हो। इस तरह की बातें ये लोग करते हैं।

प्रैस की आजादी के नाम पर बहुत टीका टिप्पणी हुई। एक एडीटोरियल अखबारों में आया :

that full debate was not allowed.

इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति की 27 जुलाई की बैठक में विरोधी पक्ष के नेता श्री कर्पूरी ठाकुर, श्री इन्द्र सिंह नामधारी, नेता भारतीय जनता पार्टी, श्री राजमंगल मिश्र, नेता जनता पार्टी, और श्री गणेश शंकर विद्यार्थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता . . .

श्री रामावतार शास्त्री: इतना भी नहीं जानते हैं आप कि श्री गणेश शंकर विद्यार्थी मार्क्सिस्ट दल के नेता हैं, न कि कम्युनिस्ट पार्टी के।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Shastri you are interruptiong him. This is not proper Mr. Ram Swarup. You don't reply to their questions. You carry on your speech. In calling Attention discussions, you need not reply to any interruptions.

(*Interruptions*)**

MR. DEPUTY-SPEAKER: You need not reply to any interruptions; you carry on. For your information, in calling attention, interruptions are not recorded. Therefore, you need not reply to them. It is not allowed; interruptions are not recorded.

Mr. Ramswaroop, you carry on. Only your speech and the Minister's reply will be recorded.

(*Interruptions*)**

MR. DEPUTY-SPEAKER: Do not record any of these interruptions. This kind of interruptions would spoil the issue.

श्री राम स्वरूप राम: इस विधेयक को कार्यसूची में रखने का निर्णय कार्य मंत्रणा समिति की 27 जुलाई की बैठक में लिया गया था, जिसमें सत्ता पक्ष के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त विरोधी पक्ष से श्री कर्पूरी ठाकुर, नेता विरोधी दल, श्री इन्द्रसिंह नामधारी, नेता भारतीय जनता पार्टी, श्री राजमंगल मिश्र, नेता जनता पार्टी, श्री गणेश शंकर विद्यार्थी, नेता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), श्री सूरज मंडल, नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा, तथा श्री तुलसी सिंह, नेता लोक दल उपस्थित थे।

(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Do not record these interruptions...You cannot interrupt like this. You know the rules. I am sorry, I will not allow you.

(*Interruptions*)**

**Not recorded.

श्री राम स्वरूप राम: उपाध्यक्ष महोदय, ये लोग मेरे बोलने की आजादी का हनन कर रहे हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Do not record any interruption... This is not being recorded. You go through the proceedings tomorrow, and if you want to object to anything, or give a personal explanation, you can do that. Why are you interrupting every now and then? It is not proper.

(*Interruptions*)**

MR. DEPUTY-SPEAKER: Do not record any of these interruptions.

श्री राम स्वरूप राम: बिजिनेस एड-वाइजरी कमेटी की बैठक की कार्यवाही को सदन में यूनैनिमसली पास किया गया। उस समय विधान सभा के सचिवालय मे इस विधेयक के लिए जो संशोधन किए गए, उनमें श्री इन्दर सिंह नामधारी, भारतीय जनता पार्टी, श्री जनार्दन तिवारी, भारतीय जनता पार्टी, श्री नारायण यादव, साम्यवादी पार्टी, श्री रमेन्द्र कुमार, साम्यवादी पार्टी, श्री तुलसी सिंह, लोक दल और श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, लोक दल आदि सदस्यों का विधेयक को जनमत जानने के लिए प्रसारित करने सम्बन्धी संशोधन भी था। इसका मतलब यह है कि सब को कान्फिडेंस में ले कर यह बिल लाया गया और उसमें संशोधन दिए गए।

यह कहना गलत है कि यह बिल हॉस्टिली पास कर दिया गया है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You have prepared sufficient background: now you put your questions.

(*Interruptions*)**

MR. DEPUTY-SPEAKER: Do not record anything except Shri Ramswaroop. Ram. Please conclude and put your questions now. You have got to complete it. You have given sufficient background, you must put your questions. Have you not prepared your questions?

(*Interruptions*)**

MR. DEPUTY-SPEAKER: We are discussing about the freedom of press. And you do not allow freedom of speech in Parliament? Why are you interrupting every now and then? Should we not have freedom of speech in Parliament?

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: When you speak next day, you can reply to this.

श्री राम स्वरूप राम : प्रैस की आजादी के सम्बन्ध में बैंजामिन फ्रैंकलिन ने कुछ नार्म्ज बनाए। उन्होंने कहा :-

> "If by the liberty of the press were understood merely the liberty of discussing the propriety of public measures and political opinions, let us have as much of it as you please, but if it means the liberty of affronting, calumniating and defaming one another. I. for my part, am my self willing to part with my share of it and shall cheerfully consent to exchange my liberty of abusing others for the privilege of not being abused myself."

इनहोंने एक यह नाम दताया। हमने कोई नई बात नहीं कही है। हम ने पत्रकार बन्धुओं को उत्तरदायित्व का ज्ञान कराया है। इस बिल के माध्यम से उन को इस का बोध कराया है कि उन का देश के प्रति क्या उत्तरदायित्व है? तो इस के लिए इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? अपने उत्तरदायित्व को भी उन्हें समझना चाहिए।

MR. DEPUTY SPEAKER: Now you can put the questions. Mr. Ramswaroop Ram, now is the most auspicious time to put your questions.

श्री राम स्वरूप राम : अभी जो येलो जर्नलिज्म देश में बढ रहा है उस को आप देखें। आप भी पब्लिक मैंन हैं, तमाम

**Not recorded.

[श्री राम स्वरूप राम]

सदन के लोग पब्लिक मैन हैं । आज आप अखबारों और पत्र पत्रिकाओं को उठा कर देखें, अश्लील से अश्लील चित्रों का प्रदर्शन उन में रहता है । यह तो आज एक प्रोफेशन बन गया है । देश की समस्याओं को वह नहीं रखते हैं । आप किसी भी मैगजीन को उठा कर देख लीजिए अश्लील से अश्लील चित्र उस में मिलेंगे । जो हिन्दुस्तान की नारियों की एक गरिमा है, उन का एक महत्व है उस को वह समाप्त कर रहे हैं इस प्रकार के चित्रों के माध्यम से । उन की किताबों और पत्रिकाओं की बिक्री ज्यादा बढ़े, बड़े बड़े पूंजीपति जो इन अखबारों को चला रहे हैं उन को पैसे मिलें, पैसे कमाने के लिए वह लोग ये सारे काम कर रहे हैं चाहे इस से देश की अखण्डता को खतरा हो, इस की परवाह किए बगैर खतरा हो, इस तरह की परवाह किए बगैर इस तरह के पत्र और पत्रिकाएं आज छापी जा रही हैं और हमारे ये विरोधी लोग अन्धाधुन्ध इस येलो जर्नलिज्म को बढावा दे रहे हैं । .... (व्यवधान) .... इन के द्वारा चारित्रिक हनन हो रहा है । हम केवल बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, आप सारे देश के अंदर देख लीजिए, सारी पत्र-पत्रिकाओं को पढिए, कितना स्टैंडर्ड गिर रहा है । स्टैंडर्ड को कैसे ऊंचा करें यह देश के सामने एक क्वेश्चन मार्क बन गया है । हमारे पत्रकार बन्धुओं का क्या यही कर्तव्य है कि अश्लील तस्वीर छापें, देश की गरिमा को कम करें, कम्यूनल हार्मनी को डिस्टर्ब करें, समाज-विरोधी बातों को बढ़ा चढ़ा कर रखें ? हम यह चाहेंगे कि येलो जर्नलिज्म नहीं होना चाहिए । मैं गृह मंत्री से कहना चाहूंगा कि वह टीका टिप्पणियों से घबड़ायें नहीं ये लोग देश को रसातल में ले जाना चाहते हैं । ये देश की कम्यूनल हार्मनी को खत्म करना चाहते हैं प्रेस की आजादी के नाम पर । इस बिल के द्वारा उन्हें उन के उत्तर-दायित्व का ज्ञान कराया जा रहा है । ...

MR. DEPUTY SPEAKER: Mr. Ramswarop Ram, I think you have put sufficient number of questions. I will ask the Minister to reply. Please conclude. Now your last question.

श्री राम स्वरूप राम: मैं क्वेश्चन पर ही आ रहा हूं । इस प्रकार के येलो जर्नलिज्म और मनगढंत समाचारों के बढ़ते हुए चरण को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार कोई बिल अगले सत्र में लाएगी जिस से इस तरह की चीजों पर पाबन्दी लगे । ... (व्यवधान) ....

SHRI R. VENKATARAMAN: Sir: The Hon. Member has covered a very large ground. He has spoken about the need to regulate the Press, particularly the Yellow Press In fact, he has supplied what I should have as the Home Minister, done. I thank him for it; and I shall take his advice at the appropriate time.

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला): उपाध्यक्ष महोदय, प्रेस की आजादी पर कुठाराघात करने वाले इस काले कानून को जो बिहार की सरकार ने विधान सभा से पारित किया है और जिस तरह से प्रेस की आजादी को नष्ट करने की योजना बनाई गई है । यहां पर बहुत पहले से ही योजनाबद्ध तरीके से किस तरह से प्रेस को कमजोर किया जाए और यहां के लोग, यहां की जनता असलियत को न जान पाए इसके लिए इस तरह के काले कानून बनाए जा रहे हैं । बिहार के मुख्य मंत्री और बिहार की सरकार ने कहा है कि हम पत्रकारों और प्रेस का ब्लैकमेल रोकने के लिए ऐसा कर रहे हैं लेकिन यह कानून जो है (बिहार सरकार का) वह प्रेस का ब्लैकमेल कर रहा है । (व्यवधान) जहां तक प्रेस के महत्व का सम्बन्ध है, इस देश में विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बाद प्रेस ही चौथा स्थान रखता है. भारत जैसे देश में, पर विरोधी दल कमजोर हों वहां पर प्रजातन्त्र के लिए प्रेस का महत्व और भी बढ़ जाता है। लेकिन इस देश में इस सरकार द्वारा जितने भी कदम बढाए जा रहे हैं वह इस देश से प्रजातन्त्र को समाप्त करने के लिए, तानाशाही लाने के लिए, राष्ट्रपतीय ढंग की प्रणाली इस देश में लाने के लिए तथा इमर्जेन्सी की ओर बढ़ते हुए कदम हैं जिनकी शुरूआत इस ढंग से की जा रही है । बिहार के अखबारों को बहुत पहले से ही बिहार

की सरकार से डर रहा है । यह मेरे पास जनवरी महीने का अखबार है जिसमें लिखा है "आर्यवर्त को बन्द कराने की साजिश" । यही नहीं, "हिन्दुस्तान" ने भी लिखा था "समाचार-पत्र उद्योग संकट में" । यह भी जनवरी में छपा था । "हिन्दुस्तान" में ही जनवरी के महीने में छपा था "प्रेस की चिन्ता-पूर्ण स्थिति" । इसी प्रकार से छपा है "सम्पादकों द्वारा मिश्र के विरूद्ध इन्दिरा जी को ज्ञापन" । इस तरह के वक्त से समाचार समाचार-पत्रों में छपे हैं । "समाचार-पत्रों का गलत रवैया" यह साठे जी ने कहा है । इसके विपरीत अभीतक हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे, श्री नीलम संजीव रेड्डी, उन्होंने समाचार-पत्रों की सराहना की । इस देश का राष्ट्रपति, जोकि इस देश की सर्वोच्च सत्ता है, उनकी जब मोहर लगती है तो उस पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए । मैं समझता हूं कि फ्री प्रेस का जो महत्व इस देश में और दुनिया में रहा है उससे प्रजातन्त्र को बहुत बड़ा बल मिला है । अगर अमरीका में प्रेस ने वाटरगेट काण्ड न उठाया होता . . (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उसका यहां पर क्या सम्बन्ध है ?

श्री जयपाल सिंह कश्यप : जिस तरह से अमरीका में वाटरगेट काण्ड को प्रेस ने उठाया उसी तरह से यहां पर प्रेस ने अन्तुले काण्ड को उठाया जिसके बारे में पहले यहां पर हर कोने से कहा जाता था कि वह गलत है । आज न्यायालय ने भी उस पर अपनी मोहर लगा दी है । अगर अन्तुले - काण्ड प्रेस सही ढंग से न उठाता, अगर मारुति काण्ड को प्रेस सही ढंग से न उठाता और यहां के जनमानस को जाग्रत न करता, अगर किस्सा कुर्सी का और बिहार सरकार के कारनामे . . . (व्यवधान) अगर आपकी भी आंखें निकाल ली गई होतीं तब आपको मालूम होता । बिहार के मुख्य मंत्री ने भी कहा था कि ऐसा नहीं हुआ लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप और प्रेस द्वारा इस सम्बन्ध में प्रकाशन न होता तो इस देश के लोगों को पता ही नहीं चलता कि बिहार की जेलों में इस तरह से लोगों की आंखें निकाली जा रही हैं और हत्यायें की जा रही है । अभी अभी मुझ से पहले एक माननीय सदस्य यहां पर कह रहे थे कि वहां के हरिजन सदस्य कितने असंतुष्ट हैं । जो सरकार के विरोध में लगे हुए हैं, उन से चिन्ता है कि हमारा भंडाफोड़ हो रहा है, हमारी असलियत खुल रही है और ये लोग हमारा साथ छोड़ने वाले हैं, इसलिए अखबारों पर पाबन्दी लगा कर इन सारी खबरों को छपने से रोको । इसलिए यह काला विधेयक लाया गया है ।

बिहार में और भी मामले उठ रहे हैं । बिहार शरीफ के मामले को ले कर जो कुछ हुआ है वह सब जानते हैं । वहां पर मुसलमानों के साथ जो कुछ हुआ है और फर्जी एनकाउन्टर्स जो पूरे देश में दिखाए जा रहे हैं, उन के बारे में प्रेस ने एक विशेष भूमिका अदा की है और अगर प्रेस अपनी यह भूमिका अदा न करता, तो प्रशासन बड़े बड़े मामलों को उठा कर ठप्प कर देता और जनता की कौन कहे, लोक सभा तक को इस का पता न लगता। इसलिये हम सारी की सारी प्रेस के आभारी हैं, हम इस देश की प्रेस के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं । जो चीज सरकार छिपाती है, प्रेस उस का प्रकाशन कर के जन-मानस और जन भावना को बताने की पूरी कोशिश करती है और उस का अंजाम देखने को मिल रहा है अगर प्रेस पर इस तरह की पाबन्दी पहले लगा दी गई होती, तो इस देश से प्रजातंत्र बहुत पहले समाप्त हो गया होता ।

और आप का तेल का मामला कैसा उजागर हो रहा है, यह प्रेस की वजह से ही है । मैं फाइल की चर्चा नहीं करना चाहता, मैं केवल प्रेस की चर्चा करना चाहता हूं । अगर प्रेस की स्वतन्त्रता नष्ट हो गई, तो क्या ये सारी बातें हम को या देश को पता लग पाएंगी ?

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : यही तो ये चाहते हैं ।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : क्या नहीं हुआ ? बिहार में गांधी मैदान, रेलवे स्टेशन सेक्यूरिटी पर गिरवी रख कर कर्जा ले लिया और जब इस चीज को प्रेस ले कर आता है, तो मंत्रियों की आंखें लाल-पीली हो जाती हैं और यह कहा जाता है कि यह

[श्री जयपाल सिंह कश्यप]

कैसा अभद्र समाचार है, समाचारपत्रों ने झूठा समाचार दिया है और ये इतना गन्दा समाचार छापते हैं।

श्री राम स्वरूप राम : उपाध्यक्ष महोदय, इन सारी चीजों का इस से क्या मतलब है।

(व्यवधान)

श्री जयपाल सिंह कश्यप : नक्सलवाद के नाम पर दमन हो और फर्जी एनकाउन्टर दिखाए जाते हैं और मैं तो यह कहूंगा कि बिहार की सरकार में जिस तरह का भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उस को देखते हुए मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह प्रश्न करूंगा कि क्या वे सारे भ्रष्टाचार के मामलों को ले कर के बिहार की सरकार को, वहां के मुख्य मंत्री को बर्खास्त करेंगे और कोई ऐसी पार्लियामेंटरी कमेटी बनाएंगे जो इन भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर उस को बर्खास्त कर सके जो प्रेस की आजादी का हनन कर रहो है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में जो प्रेस की स्वतन्त्रता है, उस का हनन वहां की सरकार कर रही है। तो क्या आप उस सरकार को डिसमिस करने जा रहे हैं ? क्या उस सरकार को आप बर्खास्त करेंगे ? **(व्यवधान)**...

MR. DEPUTY-SPEAKER: You continue your question. You have made your points.

श्री जयपाल सिंह कश्यप : ये सारे तो सरकार को मक्खन लगा रहे हैं, मुझे तो पब्लिक के हित्त की बात कहने दीजिए।

बिना मुकदमा चलाए कितने ही कैदी बिहार की जेलों में सड़ रहे हैं। अगर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप न किया होता, तो क्या इस के बारे में देश के लोगों को पता लगता। इसलिए हम प्रेस के आभारी हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Are you dealing with the freedom of Press or the Chief Minister of Bihar?

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: He is connecting it with that.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He is an intelligent person. He will say anything he wants to say.

श्री जयपाल सिंह कश्यप : वे **

हत्यारे हैं, प्रेस की स्वतन्त्रता के हत्यारे हैं, *

मैं मंत्री जी से यह पूछूंगा कि यह जो बिल है, इस पर अपनी राय देने से पहले क्या आप इसको ...

MR. DEPUTY-SPEAKER: If you have made any allegations against the Chief Minister, I will go though the proceedings.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: He has paid compliments.

श्री जय पाल सिंह कश्यप : क्या इस को प्रेसीडेंट की एसेंट से पहले आप सुप्रीम कोर्ट के दो जजों और पार्लियामेंट के कुछ मेम्बरान की एक कमेटी बना कर, उन के सामने भेजेंगे ताकि इस पर पुर्नविचार हो सके और सही तरीके से भारतीय संविधान में जो हम ने प्रेस की स्वतन्त्रता की सुरक्षा की व्यवस्था की है, उस के बारे मे सही जानकारी प्राप्त हो सके।

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जातिवाद फैलाने की जिम्मेदारी क्या वहां की प्रेस की है या स्वंय मुख्य मंत्री जी की है। जातिवाद स्वयं मुख्य मंत्री जी ने फैलाया है, क्या आप इस झूठे लांछन और आरोप के लिये जो प्रेस पर लगाया जा रहा है जांच करायेंगे कि जातिवाद को बिहार के अन्दर फैलाने वाले मुख्यमंत्री मंत्री जी हैं या प्रेस है ?

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि बिहार में अब तक ऐसे कितने मामले सामने आये जिसमें प्रेस ने गलत बातों का उल्लेख किया और आपकी सरकार ने आई. पी. सी. और सी. आर. पी. के अन्दर के अन्दर कार्यवाही की और सेक्शन 99 के ए, और बी. के अन्तर्गत कितने प्रकाशनों

*Expunged as ordered by the Chair.

को जब्त किया और उन पर मुकदमा चलाया ? आई. पी. सी. में सेक्शन 153 बी से ले कर 500 तक बहुत से प्रोविजन हैं जिनके आधार पर सारे मुकदमें चलाये जा सकते हैं। क्या अब तक बिहार की सरकार ने कोई मामला है चलाया और चलाया है तो उनकी संख्या कितनी है और उनके नतीजे क्या निकले, उनका प्रभाव क्या पड़ा ? क्या आपने इस प्रकार की कोई कार्यवाही की जिसके आधार पर आपको यह पता चला हो कि प्रेस इस तरह का काम कर रहा और आप यह बिल ले आये ?

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी: कांग्रेस में जो विरोधी हैं, उनके खिलाफ भी इसका इस्तेमाल होगा।

श्री जयपाल सिंह कश्यप: तमिलनाडु में डी. एम. के. एक एम. एल. सी. जो कि पेपर निकलते थे, उसके एडीटर थे, उनको तमिलनाडु की सरकार ने गिरफ्तार किया, महज वैमनस्य की भावना से गिरफ्तार किया। क्या इसी तरह से इस का प्रयोग सरकार द्वारा उन पत्रकारों के खिलाफ जो कि विरोधी दल के रूप में जनता की सही तस्वीर ला कर के सामने रखेंगे, किया जायेगा ? क्या इस पीनल कोड का इस्तेमाल इस प्रकार से किया जायेगा, या किस प्रकार से किया जायेगा ?

संविधान के अनुसार आर्टिकल 19 में प्रेस को स्वतंत्रता प्राप्त है। जब केन्द्र के पास आर्टिकल 19 रहेगा और स्टेट के पास दूसरा कानून होगा तो प्रेस की स्वतंत्रता को ले कर क्या भविष्य में कांफलीक्ट पैदा नहीं होगा, मतभेद उत्पन्न नहीं होगा ? उस मतभेद को रोकने की व्यवस्था आपकी सरकार क्या करेगी ?

इस तरह से स्वतंत्र पत्रकारिता खत्म हो, जाएगी। जब यह हो जाएगा तो देश के लोगों को सही समाचार किस तरह मिलेंगे? सरकार तो अपनी गलती को दबाती है। अभी हरिजनों और बालमीकियों पर जुल्म का मामला आया। प्रेस ने एक हफ्ते पहले समाचार दे दिया। सिसवा कांड में महिलाओं पर अत्याचार और बलात्कार का मामला खड़ा हुआ। माया त्यागी जैसा दर्दनाक कांड आपके सामने आया। अगर प्रेस ने वह समाचार न दिया होता तो मंत्री जी के सामने वह बातें क्या आ पाती ?

क्या इस तरह से आप प्रेस पर प्रतिबन्ध लगा कर डेमोक्रेटिक पद्धति को खत्म कर रहे हैं और डिक्टेटरशिप ला रहे हैं? क्या एमर्जेन्सी को लाने के लिये आप धीमी धीमी रफ्तार से ये कदम उठा रहे हैं ?

SHRI R. VENKATARAMAN: The hon. Member said that there was a conspiracy to destroy the freedom of press.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: That is true.

SHRI R. VENKATARAMAN: If that was a conspiracy, then, I suppose, the Janata Party was also a party to that conspiracy.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: We disown that. Why do you not follow the Janata Government's example....

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Interruptions in Calling Attention are not recorded. The Minister need not reply to that.

SHRI R. VENKATARAMAN: I have already explained that. Perhaps, the Members did not hear me properly. which ever the Government, it is necesary to regulate the freedom of the press, the freedom of expression, the freedom of opinion and all that and in accordance with the Constitution, wherever the necessity arises, it will have to be regulated. That is why the framers of the Constitution provided article 19(2); otherwise, they would have just left with article 19, saying that the freedom of the press is absolute, the freedom of expression is absolute. That is why I said that whatever be the Government which is in power, there is need for regulation and, if occasion arises, it must be used....(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are not permitted. He is not going to reply to you. Why do you waste your lungs?

SHRI R. VENKATARAMAN: If Government wants to shut our information, that is not correct. But all the criticism of the hon. Member is based on a misconception and misreading of the Act itself. In the Bill it is provided that it is not scurrilous to express in good faith anything whatever respecting the conduct of a public servant in the discharge of his public functions, or respecting his character, so far as his character appears in that context and no further. That is to say, you have the fullest liberty as the press to criticize in good faith anything done by a public servant in the discharge of his public functions. Certainly, all the instances which the hon. Member said are covered by this proviso in the Bill itself and they will not be shut out.

Then there is also another proviso which says: any person attacking any public ser-servant, respecting his character so far as his character bears in that context and no further; that is to say, you can discuss the conduct of the person in relation to the public function he discharges, and only to that extent, and not any further. That is the limitaion. Therefore, any public criticism of anything done by a public servant will not be shut out provided (a) it is *bona fide* and (b) it is limited to the extent of the discharge of the public functions. This is a well-known restriction and there is nothing new about it.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Are you defending the Bill?

SHRI R. VENKATARAMAN: He has asked the question and, therefore, I am answering it. In fact, the more questions you ask, the more answers you will get against you. That is the unfortunate part of it.

The next question is: will you make a reference to the Supreme Court? It is totally unnecessary. Under the law, any person can challenge the validity of this Act, when it is passed. He can take it to the court saying that it is *ultra vires* of the Constitution, it is in conflict with the fundamental rights which have been guaranteed. Therefore, the right to go to the court is with the person affected, or any individual, and there is no need for the Government to refer this matter.

The next question is: will you dismiss the Bihar Government? I cannot be persuaded to answer irrelevant questions.

The next question he asked is this: what is the guarantee against the abuse of this provision? Any abuse of any provision of law is certainly taken care of in our legal system. Merely because somebody can abuse the law, the law cannot be repealed. In that case, the first enactment to be repealed is the Indian Penal Code, because it is capable of so much at use. The entire Indian Penal Code can be abused, if you interpret it strictly. In fact, Mr. Macaulay himself wrote that it is theft to dip your pen in another man's link. Therefore, the definitions are so strict that anything can can be abused

13.00 hrs.

But merely because it is capable of being abused that the law should be abrogated is a concept in jurisprudence, with which I am not familiar; perhaps others may be. So, that also is not a valid argument.

Then, he asked: What are we to do when there is a conflict between the State legislation and the Central legislation? I have already mentioned about it in my first opening reply. I would refer my hon. friend to Article 254 of the Constitution and briefly say that if the State legislation conflicts with the Central legislation in respect of a concurrent matter, then if the State legislation gets the assent of the President, then the State legislation will prevail over the Central legislation.

13.01 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at six minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing 9th August, 1982, will consist of:—

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order Paper.

2. Consideration and passing of:

(a) The Industrial Disputes (Amendment) Bill, 1982.

(b) The Motor Vehicles (Amendment) Bill, 1982.

3. Consideration and passing of the following Bills, as passed by Rajya Sabha:—

(a) The Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Amendment Bill, 1980.

(b) The Rubber (Amendment) Bill, 1982.

(c) The National Waterway (Allahabad-Haldia Stretch of the Ganga Bhagirathi Hooghly River) Bill, 1982.

4. Consideration of the motion for concurrence in the recommendation of Rajya Sabha for reference of the Mental Health Bill, 1981 to a Joint Committee.

5. Discussion under Rule 193 regarding the Report of the Backward Classes Commission.

श्री अशफाक हुसैन (महाराजगंज): डिप्टी स्पीकर महोदय, उत्तर प्रदेश और बिहार में गन्ना किसानों का एक अरब से भी अधिक रुपया चीनी मिल मालिकों और सरकार के अधीन चलने वाली मिलों पर बकाया है। खरीफ और धान की बोवाई के समय किसानों को बकाया रुपया न मिलने की वजह से कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बैल खरीदने, बीज और खाद का इन्तजाम करने और कृषि यन्त्र खरीदने या उनकी मरम्मत के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है। इसपर से सरकारी, सहकारी और बैंक के बकाये की वसूली के लिए नोटिस और कुर्की उनके पीछे दौड़ रही है। केन्द्र सरकार किसानों का सारा बकाया हर हालत में 31 अगस्त तक भुगतान करा दे और जब तक किसानों पर सरकारी, सहकारी या बैंक की हर तरह की वसूली रोक दी जाए। गन्ना किसानों के बकाये पर मिलों से गन्ना कंट्रोल नियम, 1966 के अन्तर्गत सूद सीधे किसानों को दिलवाने की व्यवस्था की जाये। इस विषय पर अगले सप्ताह बहस कराई जाए।

पूर्वोत्तर रेलवे इस समय सब से अधिक अव्यवस्था का शिकार है। समस्तीपुर से लखनऊ तक आमान-परिवर्तन को साल भर से अधिक समय गुजर चुका है, लेकिन अब भी इस लाइन पर मसाफिरों का कष्ट कम नहीं हुआ है। लखनऊ से गोरखपुर पहुंचने के लिए छोटी लाइन की गाड़ी पहले 6 घंटे लेती थी, अब बड़ी लाइन की गाड़ी आमान-परिवर्तन के बाद 8 घंटे से भी अधिक समय लेती है। वह जाते समय ढाई घंटे और आते समय साढ़े तीन घंटे लखनऊ में पड़ी रहती है। इस दरमियान उसका एयर कन्डीसनर भी बन्द कर दिया जाता है, जिससे गाड़ी में पड़ा रहना भी नामुमकिन हो जाता है। बाकि बची छोटी लाइन की हालत तो और ज्यादा खराब है। जिस लाइन पर पहले चार गाड़ियां चला करती थी, उसपर अब एक या दो गाड़ियां चलती हैं, जिनके आने-जाने का कोई समय नहीं है। गोया पूर्वोत्तर रेलवे का इस वक्त कोई पुरसाने-हाल नहीं है। रेल मंत्री को इस रेलवे पर खास तवज्जह देकर सुधार लाना चाहिए और सीधी गाड़ियां अभी चलाना सम्भव नहीं है, तो वर्तमान सवारी गाड़ियों में डीजल इन्जन की व्यवस्था कर इनको कम समय में पहुंचाया जा सकता है।

[श्री अशफाक हुसैन]

इन दोनों विषयों पर मैं अगले सप्ताह सदन में चर्चा चाहता हूं ।

شری اشفاق حسین (مہاراج گنج):

ڈپٹی اسپیکر مہودے - اتر پردیش اور بہار میں گنا کسانوں کا ایک ارب سے بھی ادھک روپئے چینی مل مالکوں اور سرکار کے ادھین چلنے والی ملوں پر بقایا ہے - خریف اور دھان کی بوائی کے سمے کسانوں کو بقایا روپیہ نہ ملنے کی وجہ سے کٹھنائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ۔ بیل خریدنے بیج اور کھاد کا انتظام کرنے اور کرشی یںتر خریدنے یا ان کی مرمت کے لئے بھی ان کے پاس پیسہ نہیں ہے ۔ اس پر سے سرکاری سہکاری اور بینک کے بقائے کی وصولی کے لئے نوٹس اور کُرکی ان کے پیچھے دوڑ رہی ہے - کیندر سرکار کسانوں کا سارا بقایا ہر حالت میں ۳۱ اگست تک بھگتان کرا دے اور جب تک کسانوں پر سرکاری سہکاری یا بینک کی ہر طرح کی وصولی روک دی جائے - گنا کسانوں کے بقایا پر ملوں سے گنا کنٹرول نیم ۱۹۶۶ع کے انترگت سود سمیت کسانوں کو دلوانے کی ویوستھا کی جائے - اس وشے پر اگلے سپتاہ بحث کرائی جائے -

۲۔ پوروی اتر ریلوے اس سمے سب سے ادھک اپیکشا کا شکار ہے - سمستی پور سے لکھنؤ تک اس پریورتن کو سال بھر سے ادھک سمے گزر چکا ہے لیکن اب بھی اس لائن پر مسافروں کا کشٹ کم نہیں ہوا ہے - لکھنؤ سے گورکھپور پہنچنے کے لئے چھوٹی لائن کی گاڑی پہلے ۱ گھنٹے لکھنؤ میں پڑی رہتی ہے - اس درمیان اس کا ایر کنڈیشنڈ بھی بند کر دیا جاتا ہے جس سے گاڑی میں پڑا رہنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے - باقی بچی چھوٹی لائن کی حالت تو اور زیادہ خراب ہے - جس لائن پر پہلے چار گاڑیاں چلا کرتی تھیں اس پر اب ایک یا دو گاڑیاں چلتی ہیں جن کے آنے جانے کا کوئی سمے نہیں ہے - گویا پوروی اتر ریلوے کا اس وقت کوئی پرسان حال نہیں ہے - ریل منتری کو اس ریلوے پر خاص توجہ دے کر سدھار لانا چاہئے اور سیدھی گاڑیاں ابھی چلانا سمبھو ہے تو ورتمان سواری گاڑیوں میں ڈیزل کی ویوستھا کر ان کو کم سمے میں پہنچایا جا سکتا ہے -

ان دونوں وشیوں پر میں اگلے سپتاہ سدن میں چرچا چاہتا ہوں -

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : उपाध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यवाही के लिए मैं निम्न दो मुद्दों पर बोलना चाहता हूं, सम्मिलित कराये ।

1. मल्लाह और मछुआ समाज के लोग इस देश में 6-7 करोड़ की संख्या में रहते हैं । इन की सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक एवं राजनैतिक स्थिति बहुत दयनीय है । हर माने में ये देश के अन्य वर्गों से बहुत पीछे हैं । इन के धंधे मत्स्य उत्पादन

नाव परिवहन, जलाशयों व नदियों में जल से उत्पन्न होने वाली फसलों का उत्पादन करना और जल से संबंधित काम धंधे हैं। स्वतंत्रता के बाद इन लोगों को किसी भी प्रकार का सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र में उन्नति करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। इन वर्गों की स्थिति अनुसूचित जाति व जन जाति से भी नीचे स्तर की रह गई है। सरकारी सेवाओं में और अन्य सेवाओं में इनको प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। मल्लाह और मछुआ समाज में निषाद, धीवर, माझी, बिन्द, कर्वत; कहार, राइकवार, आदि उपजातियां आती हैं जो देश के अनेक राज्यों में अनुसूचित जाति या जन जाति में सम्मिलित कर ली गई हैं। परन्तु पूरे देश में इन को अखिल भारतीय स्तर पर अनुसूचित जाति, जन जाति में मल्लाह व मछुआ समाज की समस्त उप जातियों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति की सूची में सम्मिलित करने के लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए।

2. देश में करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। रोजगार पाने की आशा में विभिन्न पदों के लिए करोड़ों नवयुवक एवं बेरोजगार आवेदन पत्र देते हैं और अनेक कम्पीटीशनों में बैठते हैं। बेरोजगार युवकों को साधनों के अभाव में भी आवेदन पत्र का मूल्य एवं कमपीटीशनों की फीस भी देनी होती है। परीक्षा व साक्षात्कार के लिए उन को आने जाने का मार्ग व्यय भी उठाना पड़ता है। बेरोजगारों से किसी भी प्रकार का आवेदन एवं परीक्षा शुल्क लेना घोर अन्याय है क्योंकि यह सब खर्च करने के बावजूद उसको रोजगार पाने की कोई गारंटी नहीं है। सरकार एवं रोजगार देने वाली समस्त संस्थाएं बेरोजगारों से सब प्रकार का शुल्क फीस आदि लेना समाप्त करें और संविधान में संशोधन कर के प्रत्येक बालिग व्यक्ति को योग्यतानुसार रोजगार देने की गारंटी की जाय और रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था की जाय।

SHRI BABURAO PARANJPE (Jabalpur): I beg to raise the following two points for submission to the Government to include them in the List of Business for the next week. The two points are:—

(1) The recent arrival of prisoners released from Pakistan Jail reveal the inhuman and atrocious treatment meted out to Indian prisoners in their jail. There have been disturbing news even in Pakistan newspapers about the worst type of treatment being given to Indians who are undergoing jail sentences, many of them even without a trial. The condition of prisoners, who have recently arrived shows that such inhuman treatment has brought insanity, ultimately resulting into making them a mental wreck. Sir, by no standard of human behaviour this type of treatment has been experienced anywhere else. The matter is of urgent public importance and the Government is requested to find out some time to discuss this issue so that our Government can assure the Parliament that needful is being done to protect and take care of those Indians, who are rotting in Pakistan jail.

(2) We have always been assured that Government is concerned with regard to dowry deaths. But in actuality nothing much has been done. On the contrary, over the last one year, there has been increasing number of dowry deaths of young women in the country, particularly in Delhi. These deaths are categorised as suicide, accident, drowning, burning and such other nomenclature. But the investigations are not done on proper lines to trace these cases of deaths. In many cases, the cases are covered up or hushed up for lack of proper evidence and in some cases reportedly in connivance with the police officials.

The matter is indeed of urgent public importance and is agitating the minds of the people in Delhi as well as the whole country that something more and concrete is to be done to set the deterrent to dowry deaths. Hence a fullfledged discussion on the subject needs to be included in the List of Business for the next week.

प्रो. अजित कुमार मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अगले सप्ताह के कार्यक्रम के

[श्री अजित कुमार मेहता]

लिए कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल करने का सुझाव देता हूं :

(1) जूट मिलों में तकनीकी कामों के लिए भी समुचित योग्यता नहीं रखने वाले लोगों को नियुक्त कर लेने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। कहीं कहीं तो ऐसे लोगों को टेक्नोलोजिस्टों को हटा कर रखा गया है जिनका दूर से भी जूट टेक्नोलोजी से सम्बन्ध नहीं है। भारतीय जूट उद्योग बंगलादेश, चीन और थाईलैण्ड से कठिन प्रतियोगिता का सामना कर रहा है। विदेशी खरीदारों की आवश्यकताओं की समझ और उसके अनुसार उत्पादन के स्तर का निर्धारण और गुण का नियन्त्रण टेक्नोलोजिस्टों की सहायता से ही सम्भव है। अभी 25 प्रतिशत कारखानों के प्रबंधक ऐसे हैं जिन्हें जूट टेक्नोलोजी की समुचित योग्यता नहीं है। इस नीति का जारी रहना उद्योग के लिए घातक है। उद्योग नरम ऋण नीति की सुविधा का लाभ उठाकर अपना आधुनीकरण भी नहीं कर रहा है न पुरानी अक्षम मशीनों को बदल रहा है, जिससे प्रतियोगिता से उबरने में सहायता मिलती और 3500 टेक्नोलोजिस्टों का नियोजन हो सकता। प्रशिक्षित टेक्नालोजिस्टों के अभाव में आधुनिकीकरण में पूंजी निवेश व्यर्थ है और प्रतियोगिता में जान बूझ कर पिछड़ना है। अतः सरकार को एक विधेयक सदन में लाकर उद्योग टेक्नालोजिस्टों की नियुक्ति अनिवार्य करने के साथ ही 40 कर्मचारियों को प्रति वर्ष इंस्टीट्यूट आफ जूट टेक्नोलोजी में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के लिए स्पांसर करने के लिए प्रतिबाधित करने का सुझाव देता हूं।

(2) समस्तीपुर दरभंगा सीटरगंज रेलवे लाइन को बाड़गेज में परिवर्तन करने की योजना 1973 से ही लंबित है। 1980-81 के बजट में इसके लिए 15 लाख रुपयें की व्यवस्था की गई थी तथा तत्कालीन रेल मंत्री ने आमान परिवर्तन की परियोजना का उद्घाटन भी कर दिया था और 1981-82 के बजट में इस खर्चे की पूर्ति के लिए 50 लाख रुपये का प्रावधान किया था किन्तु अब उसे वापस कर लिया गया है। इससे इस पिछड़े क्षेत्र के समुचित विकास की प्रक्रिया धीमी पड़ने की आशंका हो गई है। अतः अगले सप्ताह इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित राशि का प्रावधान पूरक बजट लाकर करने का मेरा सुझाव है।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अगले सप्ताह की कार्यसूची में दो मद लोक महत्व के जुड़वाना चाहता हूं :

(1) देश में बढ़ती हुई विमान अपहरण की घटनाओं को देखते हुए विमान यात्रियों में भय का वातावरण बन गया है। देश की रेल और बसों की तरह विमान में सफर करना भी सुरक्षित नहीं रहा। इसलिए विमानों की सभी उड़ानों में दो सीट पुलिस बल के लिए आरक्षित की जायें, जो इस तरह की घटनाओं पर तुरन्त कार्यवाही करके अपहरण को बचा सकें।

(2) देश के सभी भागों में बहुराष्ट्रीय एवं भारतीय औषधि कम्पनियां व कुछ बेनामी कम्पनियां प्रभावहीन अथवा अनावश्यक दवाइयां बेच रही हैं, जिनके कारण लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। लोग पैसा खर्च करके भी बीमारी से छुटकारा नहीं पाते हैं। ऐसी कम्पनियों के खिलाफ अगले सप्ताह की कार्यवाही में चर्चा कराने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, लोक सभा की आज की पुनरीक्षित कार्यसूची की मद संख्या 5 के क्रम में मैं अगले सप्ताह के लिए निम्न विषय पेश कर रहा हूं :-

1. सरकारी कर्मचारी को महंगाई भत्ता:

पिछले कुछ दिनों से महंगाई ने फिर से सर उठाना शुरू कर दिया है। आवश्यक सामग्रीयों के थोक मूल्यों में तो वृद्धि चल रही है, खुदरा मूल्यों में वृद्धि कभी रुकी नहीं बल्कि और तेजी से बढ रही है।

नियंत्रित गेहूं के मूल्यों में वृद्धि की सरकारी घोषणा के बाद व्यापारियों ने खुदरा दाम 10 से 15 प्रतिशत बढ़ा दिए हैं। देश के एक बड़े भाग में भयंकर सूखे की स्थिति से महंगाई और तेजी से बढ़ेगी। नौकरी-पेशा लोग तथा देहातों-शहरों के गरीब, इस के सबसे बड़े शिकार होंगे।

सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के अप्रैल के किश्त को अदायगी की घोषणा तो की पर 1 जून, 1982 को महंगाई भत्ते की एक और किश्त बकाया पड़ गई है। इस की घोषणा अब तक नहीं की गई है।

अतः मेरा वित्त मंत्री से निवेदन होगा कि वह जून के किश्त की बकाया राशि के भुगतान की घोषणा करते हुए सदन में एक बयान प्रस्तुत करें।

2. नक्सली आन्दोलन :

बिहार के कई जिलों में इस आन्दोलन के नाम पर लूटपाट, हत्या का सिलसिला चल रहा है। कथित नक्सलियों ने कहीं-कहीं राजनीतिक हत्याएं भी शुरू कर दी हैं। बिहार के कई जिलों में वे ऐसा कर चुके हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कई कार्यकर्ताओं की हत्याएं की जा चुकी हैं।

कथित नक्सली अपना आतंक मेरे निर्वाचन क्षेत्र पटना के नौबतपुर, विक्रम, फुलवारी अंचलों तथा कुछ अन्य स्थानों पर फैलाये हुए हैं। अपनी गलत राजनीति के रास्ते में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को सब से बड़ा विरोधी समझ कर ही वे इस पार्टी के साथ भिड़न्त की नीति अपना रहे हैं। उन लोगों से पटना क्षेत्र के कम्युनिस्ट नेता श्री भुवनेश्वर शर्मा, भूतपूर्व विधायक, राम नारायण सिंह और दशरथ पासवान की कहीं भी हत्या कर देने की घोषणा की है। भुवनेश्वर शर्मा की हत्या करने के लिए अब तक चार बार उनके घर पर सशस्त्र गिरोह हमला कर चुका है। अभी हाल में नक्सलियों के बम से श्री शर्मा के घर की तीन महिलाएं और छः बच्चे बुरी तरह से घायल हो गये।

इस विषय पर सदन में बहस होनी चाहिए। मेरा 184 के तहत एक संकल्प भी स्वीकृत है।

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North-East): Under items for next week's business, I would suggest the following.

There is a considerable confusion about what the Prime Minister has agreed to on the Tarapur fuel question. In November, 1981, the present Government had flatly rejected the idea of a third country like France acting as proxy supplier for the USA. Earlier, the Janata Government had rejected the same proposal.

On the floor of Parliament, the External Affairs Minister, Mr. Narasimha Rao had said that contract with the USA was 'dead', and what remained was a 'decent burial'. But now Mrs. Gandhi has gone to USA and has apparently breathed life into the corpse and revived the contract with a proxy. The French Foreign Minister, according to today's papers has declared that two new conditions are to be added to the new contract. This means a blow to our goal of self-reliance.

All this has created serious misgivings amongst the people. Therefore there should be a full discussion on the Tarapur deal, and Prime Minister should assure the House that our scientists' work will not go waste.

SHRIMATI PRAMILA DANDAVATE (Bombay North-Central): When the Minister for Parliamentary Affairs makes a statement in the House about next week's Government Business I would like the following issues to be included in the next week's Government business:—

1. *Poisonous and infected wheat for public Distribution System.*

In spite of the warning by Australian Government, the exporting country, Union Government is importing 7,50,000 tonnes of wheat contaminated due to spraying of

[Shrimati Pramila Dandavate]

pesticide which according to the consumer organisations like Consumer Guidance Society of India should be destroyed.

It is reported that the entire quantity of wheat procured by the Union Government is infected with poisonous fungus which also should not be supplied to the consumers through public distribution system.

As this state of affairs is posing a grave hazard to the lives of the consumers I would request that there should be a discussion on the price and quality control of items supplied through public distribution system.

2. *Police Commission Report*

Atrocious behaviour by the Police in Siswa where women were reportedly raped and houses plundered by the police, a Sub-Inspector allegedly raping the wife of a Constable in Delhi and reported torture of Miss Madhu, an activist of Chhatra Sangharsha Vahini, by police for trying to protect 3000 Scheduled Caste residents and to rescue a prostitute are instances of the decline in moral standard of the police.

In view of the deterioration in the law and order situation in the country and increase in the complaints about police behaviour, it is necessary to find a basic remedy to the malice.

I would therefore request the Government to place all the five volumes of the Police Commission's report on the floor of the House for discussion.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संख्या 5 के अन्तर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा चाहता हूं :—

(1) पत्रकारों को सरकारी क्वार्टर आवंटन नहीं किए जाने के कारण पत्रकारों में काफी क्षोभ है । केन्द्रीय सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सरकार की ओर से 110 क्वार्टर निर्धारित किये गये हैं जिन्हें वरीयता के आधार पर सूची बना कर आवंटित किया जाता है । लेकिन क्वार्टर खाली पड़े हैं जिन्हें पत्रकारों को अलाट करने में जानबूझ कर विलम्ब किया जा रहा है ।

अत: सरकार खाली क्वार्टर को वरीयता के आधार पर शीघ्र पत्रकारों को आवंटित करे । साथ ही सरकारी क्वार्टरों के आवंटन में की जा रही अनियमितताओं के संबंध में सदन में चर्चा हो ।

(2) प्रधान मंत्री की हाल की अमेरिका यात्रा काफी महत्वपूर्ण बतायी जाती है । प्रधान मंत्री ने अपनी अमेरिका यात्रा को काफी संतोषजनक बताया है लेकिन समाचार पत्रों के अनुसार सभी महत्वपूर्ण मसलों जैसे अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को भविष्य में और हथियार नहीं देने, लेबनान के संबंध में अमेरिका का रुख तथा तारापुर में प्रयुक्त यूरेनियम को पुन: संसाधित करने के भारत के अधिकार के बारे में अमेरिका का रुख ज्यों का त्यों पूर्ववत् है तो फिर किस आधार पर प्रधान मंत्री ने अपनी यात्रा को अत्यंत संतोषजनक बताया है ।

अत: प्रधान मंत्री से अपनी हाल की विदेश यात्रा के संबंध में सदन में वक्तव्य देने का निर्देश दिया जाए तथा सदन को उस पर बहस की अनुमति दी जाये ।

श्री बी. डी. सिंह (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दिनांक 9-8-82 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के लिये सरकारी कार्यक्रम सूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित करना चाहता हूं :-

मूल्यों में अबाध गति से वृद्धि

गत मई महीने से मूल्यों में अबाध गति से वृद्धि हो रही है । चिंताजनक बात यह है कि सरकार की बड़ी आत्म-श्लाघा के, कि रबी की फसल बहुत अच्छी हुई है और सरकार के पास खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है, इस प्रकार मूल्य-वृद्धि हो रही है । सरकार के मूल्य वृद्धि रोकने के

अनेक प्रयास प्रभावकारी नहीं हो पा रहे हैं। अतएव कहीं न कहीं कोई खामी अवश्य है। गत बारह सप्ताहों से सभी वस्तुओं का अधिकृत थोक मूल्य सूचकांक लगातार बढ़ता जा रहा है और यह सर्वविदित है कि उपभोक्ता मूल्य वृद्धि की दर थोक मूल्य-वृद्धि की दर से काफी अधिक होती है। परिणामस्वरूप सामान्य जनजीवन त्रस्त है। गत 17 जुलाई को समाप्त होने वाले सप्ताहान्त के दौरान मूल्य सूचकांक अपने नये शिखर 291.2 पर पहुंच गया। यह मूल्य वृद्धि प्रधानतया खाद्य पदार्थों के मूल्य सूचकांक तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्य सूचकांक मे वृद्धि के कारण हुई है।

जखीरेबाज एवं कालाबाजारिये परिस्थितियों से नाजायज फायदा उठाने में संलग्न हैं। इन पर अंकुश लगाने के लिये प्रांतीय सरकारें आवश्यक वस्तु अधिनियम का सम्यक उपयोग नहीं कर रही हैं। अनेक प्रांतीय सरकारों ने अधिनियम के क्रियान्वयन के लिये अभी तक प्रारंभिक व्यवस्थाएं तक नहीं की हैं। मानसून के विलम्ब के कारण सूखे की स्थिति आग में घी का काम कर रही है। प्रतिकूल प्रकृति का लाभ उठा कर ये कालाबाजारिये मूल्यों को और अधिक बढ़ाने में योगदान करेंगे।

अतएव मैं साग्रह निवेदन करूंगा कि सदन में इस विषय पर चर्चा की जाये एवं इस चिंताजनक स्थिति के निवारण के लिये उपाय निकाले जायें।

पुलिसजनों में बढ़ती अपराध प्रवृत्ति

यह बड़ी ही चिंता एवं क्षोभ का विषय है कि विगत दो-ढाई वर्षों से पुलिसजनों में अपराध की प्रवृत्ति बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। यह ऐसी समस्या है, जिससे कमोबेश सारा देश प्रभावित है। जिन लोगों का उत्तरदायित्व है कि देश में, समाज में शांति व्यवस्था सुदृढ़ हो, सभी प्रकार के अपराधों में ह्रास हो, अराजक तत्वों का कठोरता से दमन हो, नागरिकों में सुरक्षा की भावना बलवती हो, यदि वे ही लोग स्वयं अपराध प्रवृत्ति एवं नियमोल्लंघन के शिकार हो जायेंगे तो फिर जन सामान्य की स्थिति कितनी दयनीय हो जायेगी, अकल्पनीय है।

आज प्राय: प्रतिदिन ऐसे समाचार प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें पुलिस के लोग अनेक प्रकार के अपराधों में लिप्त पाये जा रहे हैं। बलात्कार, डकैती, राहजनी, हत्याओं, जैसे संगीन अपराधों में पुलिसजनों की सीधी सम्बद्धता एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। अधिकृत यात्री को चाहे बैठने का स्थान न मिले, परन्तु रेलगाड़ियों में पुलिस के लोग प्रथम श्रेणी में अनधिकृत रूप से यात्रा करते पाये जायेंगे। अराजक तत्वों से अनुचित संबंध रखना एवं जनसाधारण को निरपराध दंडित करना आज पुलिसजनों का सामान्य कार्य हो गया है।

अतएव मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस सम्मानित सदन में इस विषय पर विचार विमर्श हो तथा समस्या के निदान के लिये कुछ उपाय निकाले जायें।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, एशिया-82 के टिकटों की बिक्री यहां पर होनी है। कल हाउस नहीं है, सिर्फ 150 टिकट हैं, इसलिए सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।

(व्यवधान)

MR. DEPUTY SPEAKER: You must first give a notice. Do not raise it like this. You must write to me and then you must get my permission.

श्री जगपाल सिंह : एक-एक संसद-सदस्य ने 16-16 हजार रुपये जमा करा दिए हैं। **(व्यवधान)** सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।

MR. DEPUTY SPEAKER: Unless you write to me and take my permission I cannot allow. There is a way to deal with everything. I do not know what you are saying because you have not given notice. It is not zero hour. You must give notice.

श्री मलिक एम. एम. ए. खान (एटा) : लोक सभा के सदस्यों के लिए सिर्फ 100 टिकट हैं, सदस्य 542 हैं।

MR. DEPUTY SPEAKER: Don't raise it like this. You must write to me and then you must get my permission. Nothing will go on record without my permission.

*(Interruptions)***

श्री मलिक एम. एम. ए. खान: हम आपको लिखकर दे रहे हैं।

MR. DEPUTY SPEAKER: Let the Minister reply to the various points raised by the hon. Members.

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने विभिन्न विषयों पर अगले सप्ताह चर्चा करने के लिए सुझाव दिए हैं, मैं उन सब का आभारी हूं। जैसी कि प्रक्रिया है, मैं प्रोसीडिंग पढ़ूंगा और आवश्यक समझूंगा तो कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष उपस्थित करूंगा।

MR. DEPUTY SPEAKER: Let one of you speak.

श्री राजेश कुमार सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सोमवार को हाउस बैठेगा, कल छुट्टी है। टिकटों की संख्या 150 है और कोई सीमा निर्धारित नहीं है। अगर एक ही माननीय सदस्य सारे टिकट ले लें तो बाकियों को नहीं मिल सकेंगे। सबको टिकट उपलब्ध हों, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए।

(Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER: He has raised the issue. Now, why everybody should speak. You meet the Minister concerned and discuss with him. The House cannot give a decision on this.

श्री मलिक एम. एम. ए. खान : हमारी बात सुन लीजिए। हम आपको लिख कर दे रहे हैं। सारे सदस्यों का सवाल है। 50 टिकट राज्य सभा के लिए हैं और 100 टिकट लोक सभा के लिए हैं। 542 सदस्य हैं। हमारी कांस्टीट्यूएंसी से जो लोग आएंगे, उनको हम क्या जवाब देंगे ?

MR. DEPUTY SPEAKER: You please meet the Minister concerned. The House cannot give a decision on this. I am so sorry. I cannot give a decision on this issue.

श्री मलिक एम. एम. ए. खान: हम आपको थ्रू रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम आपको लिख कर दे रहे हैं।

MR. DEPUTY SPEAKER: The House cannot be conducted like this. There is a way to deal with things. How can I conduct the proceedings of the House if every now and then the hon. Members will get up and raise the issue? They don't give notice. This is not the way. I am not going to allow more. I have already allowed one hon. Member.

(Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER: It is all over. You cannot expect any decision from me. There is rule on the subject.

(Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER: You are not prepared to give importance to the Bill but to something else.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: The Minister concerned should be informed of the sentiments of the House.

MR. DEPUTY SPEAKER: On any point which you want to raise here, you may give notice to the Speaker.

SHRI RAM VILAS PASWAN: I have given notice.

**Not recorded.

SHRI MALIK M. M. A. KHAN: Allow me to speak on this subject.

MR. DEPUTY SPEAKER: Only two or three minutes.

SHRI MALIK M. M. A. KHAN: I will take only two minutes.

MR. DEPUTY SPEAKER: All right.

श्री मलिक एम. एम. ए. खान (एटा) : मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे सुनना गवारा किया । मेरी दरखास्त यह है कि हम 542 सदस्य हैं लोक सभा के । सौ टिकट हम लोगों के लिए एलाट किए गए हैं । पचास राज्य सभा के मेम्बरों के लिए किए गए हैं । आप गौर फरमाएं कि हम चौदह लाख की पापुलेशन को रिप्रिजेंट करते हैं । हमारी कांस्टीट्युएंसी के लोग आ कर हमारे उपर दबाव डालेंगे । अब आप बताएं कि जब सौ टिकट हैं तो एक टिकट पर हैड पर मेम्बर भी नहीं आता है । आपने फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व्ड का सिद्धान्त रखा है । जो पहले आएगा ले जाएगा । अब पहला आ कर सौ ले गया तो बाकियों की छुट्टी हो गई । एक-एक टिकट भी एक-एक को आप दें तो 442 बिना टिकट के रह जाएंगे । हम दिल्ली में रहते हैं । दिल्ली में लोक सभा और राज्य सभा के मैम्बरों के साथ यह व्यवहार है गेम्ज का इन्तजाम करने वालों का । अगर आप हमारी सहायता करें, मदद करें । एक एक सदस्य को कम से कम पांच टिकट तो मिलने चाहिएं । इसके अलावा गेम की हर आइटम के लिए हम लोगों का रिजर्वेशन होना चाहिये टिकटों का ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनीज के लिए ही नहीं । खेल की हर आइटम की लिए कम से कम दस दस टिकट एक एक एम पी को मिलने चाहियें । यह हमारी मांग है।

(Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER: I am sorry; the subject matter has already been dealt with by Mr. Khan.

Now, Mr. Balanandam.

(Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER: The subject matter is one and the same. He has already said about it. It has been recorded here.

SHRI MALIK M. M. A. KHAN: You may kindly communicate our sentiments to the Minister.

MR. DEPUTY SPEAKER: Automatically when it is recorded here, it will go to the notice of the Government.

*(Interruptions)***

MR. DEPUTY SPEAKER: Please don't record all these things. Only Mr. Balanandam.

I am so sorry. This is not the way.

One on behalf of all; he has already spoken.

I am sorry; this is not the way. If we have to follow this method, we cannot conduct the proceedings of the House. So, please cooperate. He has already spoken on behalf of all. The request is after all one and the same. The whole matter is relating to Sport. Why cannot you act sportingly on this issue at least?

(Interruptions)

SHRI RAM VILAS PASWAN: Sir, I want to speak.

MR. DEPUTY SPEAKER: One minute.

SHRI RAM VILAS PASWAN: I will take only 30 seconds.

MR. DEPUTY SPEAKER: All right.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पार्लियामेंटरी एफेयर्ज मिनिस्टर से आग्रह करूंगा कि या तो वह एम. पीज. के नाम से रिजर्वेशन खत्म कर दें, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि

**Not recorded.

[श्री राम विलास पासवान]

एम. पीज. के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन यदि वह एम. पीज. के लिए टिकट रिजर्व रखना चाहते हैं, तो इस काम को सुव्यवस्थित ढंग से करना चाहिए। आज मेरे पास पैसा नहीं है, तो टिकट मेरे नाम से रहे, जिस दिन मेरे पास होगा, मैं उन्हें ले लूंगा। यह तो नहीं होना चाहिए कि आज एक आदमी पच्चीस हजार रुपया जमा कर दे और सारे टिकट खरीद ले। बाद में जब आपकी या मेरी कांस्टीट्यूएन्सी से लोग आएंगे, तो वे माथा ठोंक लेंगे और कहेंगे कि ये एम. पी. हैं या बुद्धू हैं। Either you return them or if you want to distribute them, you give them to all Members.

(Interuptions)

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Every Officer should get one ticket only.

14.40 hrs.

IRON ORE MINES AND MANGANESE ORE MINES LABOUR WELFARE CESS (AMENDMENT) BILL, AND IRON ORE MINES AND MANGANESE ORE MINES LABOUR WELFARE FUND (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

SHRI E. BALANANDAN (Mukundapuram): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the Bill No. 18—The Iron Ore and Manganese Ore Mines Labour Welfare Cess (Amendment) Bill and the Bill No. 19—The Iron Ore and Manganese Ore Mines Labour Welfare Fund (Amendment) Bill are to extend the welfare facility to the workers employed in chronic ore mines. Naturally, the beenfit is very little. Even then there is no room to oppose this and therefore at the outset I say that I support this measure.

AN HON. MEMBER: Yes, he is supporting it.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur): Sometimes occasionally you do something good.

SHRI E. BALANANDAN: It is said in the objects and Reasons that there are 6000 workers employed in the chrome ore mines and their living conditions needs amelioration on which also there can be no difference. But the pretention of the Government of India and the Minister for Labour is that they are bent upon taking steps to ameliorate the conditions of the working class which I must submit do not tally with facts.

Sir, with your permission let me divert a little and give a few examples by way of illustration. The other day the hon. Minister for Agriculture piloted a bill in this august House which was intended to take away the little protection the F.C.I. employees were enjoying—that is, the protection they had from arbitrary dismissal and other penal actions. Was this for ameliorating the conditions of FCI workers? No. Sir. This being the share of the Agricultural Minister let us see what the hon. Minister for (anti) Communications is doing today.

SHRI GIRDHARI LAL VYAS (Bhilwara): This is irrelevant, Sir.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: He is suffering from 'communicable' disease.

SHRI E. BALANANDAN: His department has a work-force of 7½ lakhs. Out of this, 2.75 lakhs are extra-departmental staff. You will be surprised to note that their total monthly income is around Rs. 1.30 to Rs. 2.30. What is he and his notoriously inefficient P&T Board are doing for them? In order to cover up their inefficiency and corruption they have started attacking the workers Sir, we are having a big P&T Board and Mr Stephen is at the top of it. What are they doing? In the name of improving the efficiency of workers, Mr. Stephen is bent upon giving troubles to them. Protection from transfer of the Union officials is withdrawn, Union meetings are banned in the work premises. Even the posters and hand Bills of the Union are not allowed to be exhibited near the work places, etc. Now all these kinds of atrocious actions are being opposed by the workers. For this service break is

being imposed for 3000 workers, and another 1000 and odd workers are being victimised under one rule or the other. This is how the Government of India is ameliorating the condition of the P&T workers.

Finally, let me say something about the hon. Minister for Labour who is here to pilot this Bill. As we know, this House is going to discuss two more Bills introduced by the Labour Minister; one is the Industrial Disputes (Amendment) Bill and the other is the Trade Union (Amendment) Bill. I would not like to deal with the these two Bills in detail today, because they are not the subject matter, but since our Labour Minister has talked of his intentions to ameliorate the condition of the workers, I would refer to them just in passing. Whatever he may claim, the real intention of these two Bills is to either curtail or do away with whatever rights these organised workers in the country have. Therefore, the claim of the Government that they are takin steps to ameliorate the condition of the workers cannot be borne out by facts. Above all, the 200-day old strike of about 2.5 lakh textile workers in Bombay thoroughly exposes his love towards the working class. This strike has meant a loss of 100 crores of rupees to the nation.

Now, Sir, let me revert back to the Bill in question. What has been the experience of the parent Act? The total number of workers covered under this Act, enjoying this benefit in 1976 was 93000, and in the year 1979, the number got reduced to 74000; that is a reduction of 19000 within a period of three years. While the number of workers was progressively on the decrease, the production was on the increase in the iron ore and maganese ore mines. This is according to the labour statistics. Though the production increased, there was no increase in the collection of the cess fund. Naturally, the collection should increase, but I do not know, why it did not happen. The hon. Minister may kindly explain to us. The hon. Minister in his short speech indicated a figure of Rs. 180 lakhs. I do not know, to which year it belongs. However, according to the figures of the Government, the income for 1978 was Rs. 169.39 lakhs, 1979, it was Rs. 94.54 lakhs and 1980, it was 112.97 lakhs. This indicates that the collection of cess fund was not done in a proper manner. Some kind of lacuna is there. When the production is going up, naturally, the income has also to go up, but it is not so. The hon. Minister may kindly explain.

There is another point. The hon. Minister said that for the iron ore, the cess rate is now 50 paise and for the manganese ore, it is Re. 1/-. For the iron ore, you can raise it upto Re. 1/- and for the manganese ore, you can raise it upto Rs. 6/- as per the Act, but the rate now stands at 50 paise and Re. 1/-. Before 1980, it was 25 paise. The price index of mineral primary articles which stood at 120 in 1970-81 went upto 1217 in 1980-81. That is, ten times in ten years. What is the static factor? The static factor is the Cess which is the amount given for the welfare of the workers. It has remained at annas eight from 1976. No increase is found there. I know that the Minister can argue the case like this: if you increase it, it will immediately affect the man who purchases it. But the totality of the cost of all goods is on the increase; and this Fund as he has said, would be utilized for medical and other facilities, the cost of which will also go up. For these items, the cost increase is a general one. That means the benefit will be reduced, naturally, to compensate the rate of cess has to be increased on this. So, the Minister must consider this.

As per the amending Act also, it is said that you may fix it as Rs. 6/- per metric tonne of chrome ore. The original Act also says that Rs. 6/- can be charged on manganese ore, and Re. 1/- on iron ore. So, I tell the Minister that there is a case for increase. You have now fixed Rs. 3/-.

[Shri E. Balanandan]

For 6,000 workers, you are expecting Rs. 9 lakhs per annum. What can you do with this amount? You know it better than I do, being connected with the labour movement. But I submit that this rate has to be increased—twice or thrice. This may be considered by the Minister.

Coming to the expenditure side, the figures which I am having are like this. If at all some corrections are needed, I will stand corrected. The medical expenditure for 1978 was Rs. 43.66 lakhs; for 1979 Rs. 44.63 lakhs and for 1980 Rs. 54.31 lakhs. Thirty per cent, more or less, of the expenditure is on medical treatment. For how many workers? As I said, it is for 74,000 workers. Now you can add this 6,000 also. These miners are human beings. I submit that they are living in sub-human conditions.

I suggest one point about medical treatment, which the Minister may kindly consider. The money we are getting, according to this Act, is very little. So, the medical expenditure has to be directly borne by the management. The money saved can be utilised for other expenses like providing good water and housing etc.

Housing means what? The conception of housing for workers in the minds of Big Sahibs who are heading the coal and other mines in India, is nothing more than cattle sheds. It is not their mistake. Their total conception is like that. Since the money which we are getting is limited, I request the Minister to see that the medical expenditure is put on the employers directly.

What is the other expenditure? The total of housing expenditure in 1978 was Rs. 61.82 lakhs; in 1979 Rs. 49.03 lakhs and in 1980, Rs. 60.13 lakhs. And you can calculate how many houses can be constructed annually with this amount. We always hear a hue and cry about the shortage of houses. These mines are located in the isolated places. Majority of the workers cannot go and come back to their place of work even once in a month. They should stay near the place of work; and for that there are no facilities. I do not say that big bungalows should be constructed for them, but at least the minimum conveniences should be assured for these workers.

When the Board and the regional committees are to be set up, I request the hon. Minister to see that the representation of the organised workers should be increased so that they will have some kind of direct intervention and supervision. According to the Act itself, one or two people are there, but for organised workers, the number of representatives should be increased. In our country, you and we talk about workers' management in industries; not only participation but they should manage the industries. Why can't the Government think in terms of at least 50 per cent representation in the Board and Committees for workers? The experts can be appointed by the Government, but if their representation is increased, then they can take care of their Housing and a little more attention can be paid to their medical exnepditure and fund. No spending of money for the medical expenses from this fund: it should be spent by the management.

The Manganese India Ltd. is a Government of India concern. The Government of India is the custodian of law; they make laws. In Chhatisgarh before a month or two, the workers had to agitate for implementation of the Minimum Wages Act. The local management thought it is a law and order problem. They immediately called the police; and when the police came, and they had done it in the usual way. They shot and killed three workers. I am sorry to say this. In our country, where the Government is the employer, where the Government is the law maker and where the Government have to implement the law,—where the workers ask for implementation of the minimum wages, they are shot and killed. This may be looked into.

In the coal mines, fatal accidents are on the increase. There is a recommendation for safety of mines. The wooden props

which are being used in the underground mines, there is a recommendation to replace them by steel. That is not being done. It comes under your control. You are the man incharge of it, the custodian of our labourers' rights and privileges. Therefore, I request you to see that it should be implemented. We have heard recently an accident in which 15 workers died. What is the accident? The accident was due to a decayed wooden prop.

15.00 hrs.

The Coal India arranges through contractors wood worth Rs. 110 crores for these props, and that they supply very bad wood. That means death for the miners. Therefore, I request the Labour Minister to see—though it is not directly connected with the Bill as such it is your duty to see—that these recommendations are properly implemented. So, finally,—I do not want ot make a big speech on this question, because this is a Bill which comes to our aid and help—I only request the Minister to see one thing.

MR. DEPUTY-SPEAKER: He has made out many points. He has made a pointed speech.

SHRI E. BALANANDAN: Here the point is with regard to the coal miners and other miners, a little more humane treatment is to be given to them. Therefore, for the administration of this Act you should take proper care and the workers should be given more representation.

One small point, with regard to my State which comes under you. This, you may say is besides the point you are technical people; you are experts at that. I am not so much an expert. The Labour Ministry is the administering authority on agreements with regard to central labour. We have a factory, Fertilizers and Chemicals Factory—otherwise we have no factories in Kerala under the Central Sector, you know where there are 3,000 workers. After long negotiations we had some agreement. Out of 3,000 workers, 300 are belonging to Congress (I); they are obstructing the production and the management is giving support to them. (*Interruptions*)

SHRI XAVIER ARAKAL (Ernakulam): That is a bluff ! It is not relevant to the Bill also. (*Interruptions*)

SHRI E. BALANANDAN: I do not want to blufl here. I do not want to bluff also. I do not know how to bluff: I am only saying that the Minister may look into this and see that nobody should be allowed to break the agreement or flout the agreement, by which the national production will be hampered.

Lastly, I request the Minister to look into these things.

SHRIMATI JAYANTI PATNAIK (Cuttack): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I welcome and support the Bill for it brings about the welfare of chrome ore mine workers. The welfare of the workers is an important function of any welfare State. The Directive Principles of State Policy laid down in our Constitution speak of the welfare of the people in general and securing just and humane conditions for the workers in particular.

Ninety-two per cent of chrome ore deposits of the country are in Orissa. So, there is a large number of chrome ore workers in the State. I would, therefore, like to express my happiness and congratulate the Minister and the Government, as he, has come forward with such a welfare measure for the chrome ore mine workers. The chrome ore mine workers number about 6,000 as against 50,000 iron ore mine workers. Moreover, these mines are in the same belt which is contiguous to iron ore mines. So it is proper to convert the welfare fund for iron ore and manganese ore mine workers into a joint fund to include chrome ore workers. If we take an average of three dependants per worker, the total number of beneficiaries of this joint fund will be about 24.000. Chrome is an important metal and its demand is increasing in our country as it is used in the production of

[Shrimati Jayanti Patnaik]

stainless steel. The demand for it in the country as also from abroad is increasing. There is a likelihood of expansion of the chrome mines. Naturally, the number of workers will also go up. So, the welfare fund created by this Act will be used in the same way as is being used in chrome and manganese ore mines. The welfare activities will include medical, drinking water, housing, public health, recreational and educational facilities.

The mining areas are mostly inhabited by the Adivasis. These people have been connected with the mining areas since their childhood in such a way that they cannot switch over to any other occupation like agriculture, etc. So, these areas are very sensitive areas and we should not lose any time in expanding welfare activities in these areas.

The major difficulty faced by different mine workers is that these funds being part of the Consolidated Fund, have been used more often as a budgetary support rather than ameliorating the conditions of the workers and for providing them with the widest amplitude of welfare activities at the earliest.

The welfare pattern is very well known. If you take the medical facilities, the hospitals generally are not equipped to deal with many diseases including injuries. 25 per cent of fatality occurs for want of proper medical facilities. Sometimes, the hospitals are situated at such a far off place—35 kms. from their place of residence—that the workers cannot make use of the facility. So, the medical facilities should be provided to them at their doorsteps, so that they can utilise those facilities. Besides that, mobile dispensaries should be provided in order to save the lives of the chrome ore mine labourers. They should be protected from the incidence of microbal diseases, water and airborne diseases and occupational diseases. For that the welfare organisations should have to take a different approach altogether. Domiciliary treatment is not enough. Preventive aspect is the crux of the matter.

15.07 hrs.

[SHRI CHANDRAJIT YADAV *in the Chair*]

For that purpose, the mobile x-ray clinics should visit those places so that the labourers and women, who generally show an apathetic attitude towards the preventive aspect, can have their thorough x-ray check up automatically and regularly.

This is the decade of sanitation. In this decade, drinking water should be provided in an extensive way. There is a norm that one tube well be provided for 250 people. But in these areas, generally the workers do stay in a scattered way. So, this norm should not be applied in the tribal areas. The welfare fund should take care of it. The workers should be provided with enough housing facilities. Besides, there are so many facilities about which I have to tell you. But this is one of the points I have to raise here because my predecessor has already said that the number of labourers is gradually decreasing, specially, I think, in the iron ore mines, and this is a fact. I must say the problem of recession, glut and other economic phenomena affect the labourers who are rendered jobless for no fault of theirs. I shall give an example for this. For the last four years throughout the whole world, there is more decline in the export of iron ore. The export of iron ore through Paradeep port is sharply declining—you must have seen it—on account of which mines are being closed down and labourers are also rendered jobless for no fault of theirs. So, will the Welfare Fund come forward and will the Government come forward to correct this anomaly and do something? Of course, this is a policy matter and it has to be looked into. Besides, the Government have the policy to generate employment opportunities. About those labourers who have already been employed, the Government should see that they do not become jobless and besides this, I must say, I do not know whether this recession, glut and other economic phenomena affect this Welfare Fund or not because we have to raise Rs. 9 lakhs

which is of course not sufficient for 6,000 labourers. So, I ask whether this also affects the Welfare Fund or not.

Sir, the Government should also see that women and children are not exploited by the mine owners. I am saying this because a sizeable section of women are also engaged in iron ore mines. The Government should see that there should not be any discrimination in respect of equal employment opportunities and equal remuneration that should be provided to them. Besides this, through the Welfare Fund the Government should see thht some vocations are provided to them. The day-care centres and creches should also be there. All such facilities should be extended to them.

Besides, the Minister has stated that scholarships will be given to children. But I must say, Sir, that the children of the tribal areas are not at all attracted by the educational facilities because they want to supplement the income of their families for which they are engaged in some sort of work. Either they work or they go to forests to collect wood and other forest products. So, some concrete steps should be taken, at least some greater incentives should be given to the parents so that they can send their children for schooling. In this connection, residential schools should also be provided. Unless residential schools are provided, as also food, clothing and other necessities of life, the children will neither be attracted to them nor will the parents send their children to schools. And even if they send their children for schooling, there will be many drop-outs later on. It is a fact that we are very particular about primary education. So, the Minister should take this into account.

In order to inculcate the welfare programme in these areas, there is a Labour Welfare Officer. I suggest that lady social workers should be appointed to promote welfare activities and also to co-ordinate the welfare programme of the different departments.

Besides, there is a provision of constituting State Advisory Boards to advise the Central Government in the matters arising out of administration of the Act and in matters relating to the implementation of the fund. There is also a Central Advisory Committee. It comprises of mineowners, equal number of staff and workers. But one of the Advisory Board Members is supposed to be a woman. I must congratulate the Minister for making this provision. But in the Welfare Organisation like this there should be two women members because hey understand matters much better than their counter-parts.

This fund like other welfare funds for mines will be administered in consultation with Regional Advisory Committees. There will also be a Central Advisory Committee to ensure their effective functioning to promote welfare measures for all sections of society comprising men, women and children.

With this, I support the Bill.

MR. CHAIRMAN: The time allotted for this Bill is 1-1/2 hours. The Business Advisory Committee has taken into consideration that other important Bills have to be passed. This Bill relates to workers and certain other important things. To enable all the Members to speak on this Bill, Members may not take more than six to eight minutes. Otherwise it will be difficult to cope with the work.

The hon. Minister took eight minutes while introducing the Bill, whereas the hon. lady Member took fifteen minutes The Members may restrict their speech to eight minutes only.

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन तो करूंगा ही, क्योंकि यह मजदूरों के कल्याण से संबंधित है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि 35 साल की आजादी के बाद भी लोहे और मैंगानीज की खानों में काम करने वाले मजदूरों की हालत इतनी बदतर है कि उनको इन्सानों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इन्टरनेशनल आर्ग-

[श्री जगपाल सिंह]

नाइजेशन यहां पर आया और उसने रिपोर्ट दी कि हिन्दुस्तान में लोहे, कोयले और क्रोम की खानों में काम करने वाले मजदूरों की हालत दुनियां के हर मुल्क से बदतर है। उसने जगह-जगह जा कर अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हिन्दुस्तान में कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की हालत इतनी बदतर है कि उन्हें इन्सान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

35 साल की आजादी के दौरान हिन्दुस्तान में पूंजीवाद मजबूत हुआ है और इन्हीं मजदूरों और किसानों की खून पसीने की कमाई को चूस-चूस कर मजबूत हुआ है, जिनमें खानों में काम करने वाले मजदूर भी हैं, चाहे उन खानों के मालिक प्राईवेट ओनर्ज रहे हों और चाहे सरकार रही हो। प्राइवेट ओनर्ज ने मजदूरों की मेहनत की कमाई को चूस-चूस कर उनका अस्थि-पंजर बना दिया। हिन्दुस्तान की खानों मजदूरों को आज स्वच्छ पानी भी न मिल पाए, सरकार के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है ? मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में पूंजीवाद और नौकरशाह दलाल इतना मजबूत हो चुका है कि आज मंत्रियों के बस की बात भी नहीं रही है कि वे मजदूरों की हालत सुधार सकें। पीने के पानी के बारे में रिपोर्ट है कि बरसात के दिनों में खानों से जो बरसात का पानी बह कर निकलता है उसी को मजदूर इकट्ठा कर लेते हैं और उसी को अपने पीने के काम में लाते हैं, खाना उसी से बनाना पड़ता है। तो मैं पूछना चाहता हूं, 35 साल की आजादी के बाद भी ऐसा इमपार्टेंट काम इस तरह पड़ा रहे, यह किसी भी आधुनिक मुल्क के लिए जहां पर कच्चे लोहे का उत्पादन होता हो, अच्छी स्टील बनाने के लिए क्रोम जो इस्तेमाल होता है उसका उत्पादन होता हो, अच्छी स्टील दूरों की हालत इतनी बदतर बनी रहे तो मरे मुल्क के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और नहीं हो सकती है। और चीजों को छोड़ दीजिए, विलासिता की सुविधाएं नहीं, कम से कम उनके पीने के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था कराइए।

मकान की स्थिति देखिए, जो खानों के पास में उनके झोंपड़े हैं वह झोंपड़े भी उन को खानों के पास नहीं डालने दिया जाता। मील दो मील उनके झोंपड़े पड़े हुए हैं। उन को उन झोंपड़ों से खानों तक लाने ले जाने के लिए कोई साधन, ट्रक या बस की व्यवस्था आपकी सरकार नहीं करवा पाई। आप की सरकार की जो सेफ्टी कमेटी है उस है, उसने कहा है कि इनके लाने ले जाने की व्यवस्था, कपड़े साफ करने के लिए साबुन की व्यवस्था होनी चाहिए। जो आदमी खान से बाहर निकल कर जाता है उसके बच्चे भी उसकी शक्ल को नहीं पहचान पाते। आप उनके लिए साबुन की व्यवस्था तो कीजिए ताकि वह खान से निकलने के बाद साबुन और तौलिए से अपना मुंह साफ कर लें और अपने बाल बच्चों में जाएं तो उनको उसकी शक्ल तो दिखाई दे कि यह मेरा बाप है, यह मेरा भाई है। ये छोटी-छोटी सुविधाएं हैं। आप इन की तरफ मानवीय दृष्टिकोण से देखिए। इन खानों को आप चलाते हैं तो आप यह कीजिए या प्राइवेट ओनर्स हैं तो उनको आप वाइंड कीजिए कि इस तरह की सुविधाएं उनको देने की वह कोशिश करें।

शिक्षा की व्यवस्था की भी यही हालत है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कभी सर्वे आपने कराया है कि इन खानों में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों की शिक्षा की स्थिति क्या है ? प्राइमरी एजूकेशन की स्थिति क्या है ? हायर एजूकेशन की बात तो छोड़ दीजिए। बी. ए. और पोस्ट ग्रेज्युएट में तो उनका कोई बच्चा किसी कालेज में नहीं पहुंच पाता। इसलिए आप उनकी शिक्षा की व्यवस्था कीजिए। उन की खानों के पास में उनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा दिलाने की व्यवस्था कीजिए। उनको आप फ्री एजूकेशन दिलाइए। सेंट्रल गवर्नमेन्ट जा कर व्यवस्था करे। उनके बच्चों को हायर एजूकेशन दिलाने के लिए पैसों की और दूसरी सहायता देने की व्यवस्था करें ताकि आने वाले समय में यह पापुलेशन ट्रेडीशनल न बने। एक बार जो इन के पुरखे काम करते थे आज भी वही काम इन खानों के अन्दर ये लोग कर रहे हैं।

आप की टेक्नालाजी इन खानों से लोहा निकालने की इतनी बेकवर्ड है कि खान की खान ऊपर से गिर जाती है और मजदूर दब जाते हैं । रोज हम अखबारों में पढ़ते हैं कि फलां जगह की खान के अन्दर यह दुर्घटना हो गई । मैं मांग करूंगा कि इन खानों के अंदर काम करने वाले मजदूरों का ता-जिन्दगी जब तक उन का शरीर उस के अंदर है, रोजगार की गारन्टी आप दीजिए । अगर किसी परिवार का कोई आदमी दुर्घटना-ग्रस्त हो जाता है तो ता-जिन्दगी उस को रोजगार की गारन्टी दीजिए । उस के लड़के को दीजिए, लड़का नहीं हो तो उस की बीवी को दीजिए । ये मानवीय दृष्टिकोण के काम हैं । कोई ज्यादा बड़े काम नहीं हैं । लेकिन अगर आप इन को नहीं कर पाते तो इन नौ लाख रुपयों से तो आप आंसू भी नहीं पोंछ पाएंगे । आप नौ लाख रुपयों की व्यवस्था करने जा रहे हैं, 74 लाख मजदूर तो आयरन ओर में काम करते हैं और 60 हजार क्रोम की खानों में काम करते हैं . . . (व्यवधान) . . . ।

सभापति महोदय : वह कह रहे हैं कि 60 हजार नहीं 6 हजार मजदूर क्रोम की खानों में काम करते हैं ।

श्री जगपाल सिंह : हमारे हिसाब से तो 60 हजार हैं । ठीक है, अपने आंकड़े वह देंगे । लेकिन मैं आप से कहूंगा कि इतनी छोटी राशि से आप क्या कल्याण के काम कर पाएंगे । लेकिन उन के लिए मकान की व्यवस्था कर पाएंगे ? आप बड़े बड़े बंगलों की बात तो छोड़ दीजिए, एक छोटा कमरा, उस के साथ लैट्रिन बाथरूम और पानी की व्यवस्था कीजिए । लेकिन यह भी आप इस राशि से कैसे करेंगे ? मेरा यह कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस काम को करे । श्रम कल्याण निधि से आप यह नहीं कर पाएंगे । लेकिन उन के लिए मकान की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, पीने के लिए पानी की व्यवस्था और उन के काम काज की व्यवस्था, उन के बाल बच्चों को दूसरे कामों में ले जा कर निकालने की व्यवस्था आप को करनी चाहिए । उन के बाल बच्चों को आप इस गन्दे काम से निकालिए, उन को किसी और काम की तरफ ले जाइए ताकि वे अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें ।

इन खानों पर आप खास तौर से निगरानी रखें । आप के ठेकेदार उन का शोषण करते हैं । मिनिमम वेजेज ऐक्ट जो आप का है उस की कार्यान्विति भी आप उन से नहीं करवा पाए हैं । उन के काम के घंटे नहीं तय करा पाए हैं । 8-10 घंटे से ज्यादा उन से काम नहीं लिया जाना चाहिए । लेकिन मजदूर सुबह काम पर जाता है और शाम को ठेकेदार उस को बाहर निकालता है । आप काम के घंटों पर ध्यान दीजिए और मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत उनको वेज दिलाने की व्यवस्था कीजिए ।

दूसरे मैं ठेकेदारों पर ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि रूलिंग पार्टी में बिहार के शराब के ठेकेदार संसद सदस्य बनकर आए हैं, लेकिन वहां पर ठेकेदार जहरीली शराब कारखाने के मजदूरों को पिलाते हैं, जिस की वजह से मजदूरों की मृत्यु भी हो जाती है । इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि वहां जहरीली शराब बेचने पर प्रतिबंध लगाइए । जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं आप वहां अभी तक पीने के पानी की व्यवस्था नहीं करा पाए हैं। वहां मजदूरों को हर गेट पर पीने के लिए शराब मिलती है, ऐसी स्थिति में उन मजदूरों का भविष्य अंधकार में है । ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ आपको कार्यवाही करनी चाहिए । दक निवेदन यह भी है कि वहां को-आपरेटिव सोसायटीज डवेलप कीजिए, ताकि वे उन समितियों द्वारा अपने विकास के कार्य कर सकें ।

सभापति महोदय, इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया ।

श्री राम सिंह यादव (अलवर): माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो विधेयक प्रस्तुत किए हैं, मैं उनका

[श्री राम सिंह यादव]

हार्दिक समर्थन करता हूं । इन संशोधनों के माध्यम से माननीय मंत्री जी केवल कोई विस्तृत लाभकारी विधेयक उन मजदूरों के लिए नहीं ला सके हैं, केवल एक वर्ग को सुविधा देना चाहते हैं और वह वर्ग इन माइन्स में काम कर रहा है ।

जहां तक मजदूरों का प्रश्न है, मजदूरों का वर्ग एक ऐसा वर्ग है, जो बहुत बड़ा वर्ग है और जिसको अभी तक हमारे जितने भी कानून हैं, उनसे उनको किंचित लाभ भी नहीं मिल सका है । यह अन-आर्गेनाइज्ड-रूरल-लेबर है, चाहे वह खान में काम करता हो, चाहे खेत में काम करता हो, चाहे ट्रांसपोर्ट में काम करता हो या और किसी जगह पर काम करता हो, उनके लिए किसी प्रकार की कोई गारन्टी स्कीम नहीं है और उनको किसी तरह की सुविधाएं इस कानून के माध्यम से नहीं मिल पाती है । संविधान की धारा-43 के तहत भी अभी तक उनको कोई भी सुविधा नहीं मिल सकती है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप मजदूरों के हित में सोचने वाले व्यक्ति हैं, चिन्तनशील हैं, मननशील हैं और आप का इरादा भी है मजदूरों को अधिक से अधिक लाभ देने का । लेकिन हिन्दुस्तान के अंदर करीब सात करोड़ अन-आर्गेनाइज्ड लेबर हैं और उनको आप अभी तक कोई भी सुविधा नहीं दे सके हैं। इस ओरिजनल एक्ट में भी आपने ऐसा कहीं भी प्रावधान नहीं किया है। कहीं-कहीं ऐसा भी होता है कि किसी किसी खान में कम आदमी काम करते हैं, मान लीजिए 20 आदमी कम करते हैं, जो कि अन-आर्गेनाइज्ड हैं, उनको किस तरह का लाभ मिलेगा, इसका प्रावधान जब तक आप नहीं करेंगे, तब तक मजदूरों को लाभ नहीं मिल सकता है ।

खास तौर से एक दूसरी प्राब्लम रूरल लेबर के साथ अन-एम्पलायमेंट की है, यह भी खास कर खेत में काम करने वाले मजदूरों के साथ पैदा होती है। जब एग्रीकल्चर आपरेशन समाप्त हो जाता है, तब उनको रोजगार नहीं मिलता है । उनके लिए अभी तक आपने कोई व्यवस्था नहीं की है, जिस की वजह से देश की इकानोमि में, कन्ट्री की इकानोमि में, कोई सुधार नहीं हो सका है । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आपके जितने भी लेबर-लाज हैं, उन लेबर-लाज में आपने जितनी भी सुविधाएं देने का प्रावधान किया है, क्या वास्तविक रूप में उनको वे सुविधाएं मिलती हैं ? मैं आपका ध्यान एक विशेष बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, आप तो जानते ही हैं कि हमारे देश में लेबर्स की तादाद कितनी है, उनमें से ऐसे कितने लोगों के बच्चे हैं जो प्रोविंशयल सर्विसेज या नेशनल सर्विसेज में आ सके हैं । न आज तक कोई आई. ए. एस. बन सका है और न ही आज तक कोई पी. सी. एस. बन सका है । इसका कारण यह है कि आज तक उनकी शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है । लेकिन जहां पर आपके सरकारी कर्मचारी रहते हैं या दूसरे बड़े लोग रहते हैं*, वहां सैंट्रल स्कूल की व्यवस्था कर दी जाती है । लेकिन अगर मजदूर रहते हैं और उनकी कितनी ही बड़ी कालोनी हो, तो वहां पर आप सेन्ट्रल स्कूल नहीं खोलना चाहते हैं, सेन्ट्रल स्कूल की फैसेलिटी नहीं देना चाहते । यह आप के दृष्टिकोण में एक बहुत बड़ा अंतर है और उस अन्तर को अगर आप दूर नहीं करेंगे, तो मजदूरों का हित नहीं होगा । जैसा कि मेरे से पूर्व-वक्ताओं ने कहा है कि मजदूरों की संख्या घटती जा रही है और मजदूर अधिक से अधिक संख्या में यह चाहते हैं कि हम इस तरफ न जाएं । इस का कारण यह है कि जो सुविधाएं वास्तव में उन के लिए निर्धारित की हैं, वे सुविधाएं वास्तव में उन को नहीं मिलती हैं ।

हमारे जो लेबर लाज हैं, उन में सब से बड़ा अभाव, सब से बड़ी कमी यह है कि हम जितने भी फंड क्रीएट करते हैं और मजदूरों के नाम पर उन के हित के लिए क्रिएट करते हैं, वास्तव में जिस उद्देश्य से पैसा इकट्ठा करते हैं, संग्रह करते हैं, उस पैसे का उस तरह से इस्तेमाल न हो कर केवल अधिकारीगण या व्यवस्था के नाम

पर वह खर्च हो जाता है। जब तक आप इस खर्चे पर कन्ट्रोल नहीं करेंगे, तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। आप की जो लेबर मिनिस्ट्री है, उस में इस बात की समीक्षा की जाए कि इस तरह का जो पैसा इकट्ठा किया जाता है, पैसा इकट्ठा किया जाता है, वह अफसरों पर कितना खर्च होता है और ट्रेड यूनियन के लीडरों पर, उनके अधिकारियों पर कितना खर्च होता है और मजदूरों के हितों के कामों पर वास्तव में कितना खर्च होता है। क्या कभी आप ने इस तरह का एकानामिक सर्वे किया है, आर्थिक सर्वेक्षण किया है। आप अगर इस का आर्थिक सर्वेक्षण करवाएंगे तो आप को पता चलेगा कि उस का बहुत बड़ा अंश दूसरों पर खर्च होता है। और मजदूरों के हितों के कामों पर बहुत कम खर्च होता है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि चेस्ट की बीमारी, इन मांइस में काम करने वाले मजदूरों में बहुत अधिक होती है। टी बी. और अस्थमा और दूसरे जो ऐसे रोग हैं, इन रोगों को दूर करने के लिए आप नियमित रूप से कोई व्यवस्था करें, जिस से इन लोगों की जो आने वाली पीढ़ी है, जो इन के बच्चे हैं और परिवार के दूसरे सदस्य हैं, वे प्रभावित न हो सकें। इस के लिए आपको समुचित रूप से ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उन का वीकली या वाई-वीकली या मंथली-चैक हो और उन को इस के बाद पूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए। आज मजदूरों को मैडीकल फैसिलिटीज के मामले में बहुत निगलैक्ट किया जाता है और उन की सही तौर पर देखरेख नहीं होती है।

एक सब से बड़ी अभाव की चीज जो मजदूरों के साथ है और जिस की वजह से न तो उन का स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है और न उनकी शिक्षा अच्छी हो सकती है और वे देश के स्वस्थ नागरिक नहीं बन सकते हैं, वह है मकान का अभाव। उन को मकान की सुविधाएं देने के बारे में न तो मैनेजमेंट चिन्तित है, न एम्पलायर चिन्तित रहता है और न सरकार चिन्तित रहती है, जिस की वजह से मजदूरों को हट्स में रहना पड़ता है, जिन की हालत बहुत खराब होती है। यही कारण है कि उन की प्रगति सही तरीके से नहीं होती है। हमारे संविधान में जो लक्ष्य है और हमारी प्रधान मंत्री, माननीय श्रीमती गांधी ने जो लक्ष्य रखा है, वह आर्टीकल 43(ए) में दिया हुआ है। उस में यह लिखा हुआ है :

> "43A. The State shall take steps, by suitable legislation or in any other way to secure the participation of workers in the management of undertakings, establishments or other organisations engaged in any industry."

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अभी समय लगेगा लेकिन इस के पहले वाला जो आर्टीकल है, आर्टीकल 43, कम से कम उस की पूर्ति के लिए तो आप कुछ करें। आप लेबर को क्या सुविधाएं देने जा रहे हैं। यह आप का कोई डोमैस्टिक ला नहीं है, यह कांस्टीट्यूशनल ला है और कांस्टीट्यूशनल गारन्टी लेबर को दी गई है। इस कांस्टीट्यूशनल गारन्टी को देने में कोई हिचकिचाहट हो या सही तरीके से उस का इम्पलीमेंटेशन न हो, तो मैं समझता हूं कि यह लेबर के साथ न्याय नहीं होगा। आर्टीकल 43 में यह दिया हुआ है :

> "43. The State shall endeavour to secure, by suitable legislation or economic organisation or in any other way, to all workers, agricultural, industrial or otherwise, work a living wage conditions of work ensuring a decent standard of life and full employment of leisure and social and cultural opportunities and, in particular, the State shall endeavour to promote cottage industries on an individual or co-operative basis in rural areas.

इसमें में जो सिद्धान्त दिए हुए हैं, जिन का प्रतिपादित हमारे संविधान-निर्माताओं ने किया है, उन को आप पूरा करने का प्रयत्न करेंगे ऐसी आशा मैं करता हूं।

[श्री राम सिंह यादव]

अंत में मैं दो सुझाव देना चाहूंगा । एक तो यह है कि माइंस और मिनरल्स इंडस्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर हैं, उन के लिए अलग-अलग कानून बने हुए हैं । और का अलग है, आइरन-ओर का अलग है और डोलोमाइट का अलग कानून बना हुआ है । क्या आप यह गंभीरतापूर्वक सोचेंगे कि जितने भी माइनिंग लेबर हैं और जिस की तादाद इस देश के अन्दर लगभग 20 लाख है, उन सब के लिए आप एक कानून देंगे जिस से उन को समुचित रूप से जो लाभ आप उन को देना चाहते हैं वह उन को मिल सके और जिस तरह से उन की कंडीशन्स में आप सुधार लाना चाहते हैं, वह सुधार आ सके । उनकी स्थिति में, उनकी ट्रेड यूनियन में मजबूती आए, वे सशक्त बनें ।

दूसरे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप ऐसा उपाय सोचें जिस से कि देहातों में काम करने वाली असंगठित लेबर को भी ऐसी सुविधाओं का लाभ मिल सके ।

मिनिमम वेजिज कानून को इम्पलीमेंट करने के लिए, एन्फोर्स करने के लिए भी आप कोई सशक्त एवं प्रभावशाली कदम उठाएं ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं, जो विधेयक मंत्री जी ने सदन में प्रस्तुत किए हैं, उनका समर्थन करता हूं ।

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI (Bhubaneswar): Mr. Chairman, Sir, as one who has associated himself with the organization of workers in iron, manganese and chrome ore mines in Orissa for the last years, I feel that we are at least one step ahead today when these Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Cess (Amendment) Bill and the Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Fund (Amendment) Bill have been extended to the workers of Chrome ore mines.

Last year we came in a delegation and met the Union Labour Minister and others and we urged upon them the need to increase the minimum wages of workers in chrome ore mines and we also urged upon them to include chrome ore in the Welfare Cess and Welfare Fund. We demanded that last year, and we are happy that today the government has come forward with such a measure.

It is one of the Directive Principles of State Policy which enjoins on all of us that we shall have to assure better living conditions for the working class. Today it has become more important because our hon. Prime Minister has said in the 20-point economic programme that the weaker sections of the society deserve more consideration and more concessions from the Government. If you analyse the composition of the working class so far as mines are concerned—iron, manganese, dolomite, limestone chrome, etc.—you will find that about 75 per cent of the workers belong to the weaker sections of the society. Therefore, I must say that it is at least a step ahead in the direction towards which we want to move.

I would like to point out one thing here The mine workers—I have lived with them for many years because I started my public life organizing this working class—form a class by themselves; you cannot compare them with other kinds of workers because they have to live and work in remote areas where none of the modern or urban facilities exists. Coal, mica iron ore, dolomite, limestone, manganese mine workers were covered under the welfare measures previously. In 1963, the Iron ore Cess Fund Act was enacted. Now this is being extended to chrome. In Orissa, in chrome ore mines about 5,000 workers are working. The total number is about 6,000. I think, 95 per cent of the workers of chrome ore mines work in Orissa.

In this connection I would like to submit before the Government that, instead of bringing this kind of piecemeal extension of welfare measures—first it was coal, then iron ore, then manganese, dolomite, limestone and now chrome ore—there should be a comprehensive legislation covering all the mineral ores.

I would like to bring to the notice of the hon. Minister that in Orissa, in one

place, Kurdha, granite stone quarrying and granite stone crushing mills employ about 7,000 workers, and there mostly minor children and women belonging to weaker sections work. Why not gradually the Government of India should consider to expand these facilities by bringing in these granite stone and stone crushing quarries which are becoming a major industry today because of therapid development of building construction and road development work. I think this should also be taken into consideration.

Here I would also like to point out one thing. One disquieting feature is that in 1976, the total number of workers in the iron ore mines were about 52,000 in the entire country. In 1980, that was reduced to 39,000. Similarly, in manganese ore mine, the workers' number was 28,000 in 1976 but in 1980, they have been reduced to 23,000. In chromite ore mine, the number of workers was 6,000. If you look at these things, you will find that in many places, the number of workers either in iron ore or in manganese ore mines is being reduced and, even the chromite ore mines) the mine owners look to the price in the international market. It is like gold. The chromite ore is fetching a very good price. In Orissa, you will find that some of the chromite mine-owners have stopped raising of the mines because the price in the international market had fallen. They have reduced the number of workers also. In Orissa, in the iron-ore mines thousands of workers are being retrenched because the mines were stopped. In Paradip itself, about 2 to 3 million tonnes of ores are lying because the ships are not coming to the Paradip Port. Many of the workers in these mines are tribals who have been retrenched now.

When our main aim is to achieve the economic amelioration of the weaker sections of the society, how to prevent the retrenchment of the workers? I hope the Government will take this into consideration. About the administration of the funds, in 1976, the total accumulation, if I am not correct, the Minister will correct me, was about Rs. 3.50 crores. Now, what is the total accumulation in the iron ore, manganese ore, dolomite and limestone fund? I must say that the hon. Members should not go by the impression that the cess fund is one of the biggest achievements of the Government. It is only a supplementing effort of the Government. I hope the hon. Minister will do well if he places before the House some information both by States and the Centre as to how much of benefit has gone to these workers by various welfare measures undertaken by Governments in the matter of medical help, education, drinking water facilities and health care. This is a very limited fund running to Rs. 1.80 crores. I hope the Government will do well if they highlight on what is the total benefit that they are giving to these workers.

Sir, I will take two to three minutes more. My point is that the administration of this fund should be looked into. My personal experience is this. You have your advisory committees; you have regional advisory committees and the central advisory committees. Who are the members on the regional advisory committees? How many times do they sit? Will the hon. Minister present a report to the House on how many times they met and what kind of welfare measures were undertaken by these Committees etc.? Was it discussed by the workers' council at all? I think it has not been discussed at all. The hon. Minister will try to see that at least they meet once in a month or once in two or three months. These regional committees should mostly be represented by the workers themselves. They should also sit in the general body meetings and discuss what kind of welfare measures should be undertaken for the year 1982-83 or 1983-84. They should themselves discuss these and finalise these. They should themselves say what are the welfare measures which they need immediately. If these are

[Shri Chintamani Panigrahi]

implemented, then the workers will feel that they are part and parcel of the cess fund operation. They will also feel encouraged and inspired that they participate in the management of these funds. Therefore, both at the regional level and at the central level, these committees should be reconstituted and the frequency of these meetings should be ensured and the accounting matters should be placed before the general body meeting. I have seen in one place a very big building being constructed in the name of welfare measures for the workers. But, what happened? I think only the officers went there. How can the tribal people visit this building since they will have no time to go to this building at all. They must have spent not less than 3 million rupees for the construction of this big building constructed out of this fund. Therefore, the hon. minister, coming from the trade unionists, will at least apply his mind to see that every pie from this fund is spent only for the benefit of the workers, for the welfare of the working-class people. I have seen in Dhanbad and other coal mining belt areas—even in my own area—a lot of exploitation is going on. In 1957-58 a committee was appointed to look into this exploitation and they found the mining workers and their families are being robbed by the Sahukars and moneylenders. So, Sir, why not we see that in all the welfare measures which are adopted the workers themselves participate in these measures and thus feel that Government is doing something for them?

Lastly, Sir, I would like to know during the last 3 years from the Cess Fund how much they aimed at and how much they spent on different welfare measures like education etc. Sir, I think among the welfare activities the major thing that should be included today—whether it is possible or not it is for the Government to consider—is that rice is selling at Rs. 3.70 per Kg. in Orissa. It is impossible for a common man to buy rice at such high price. Why not the cooperative stores in which the workers themselves participate and sell these commodities so that they are not exploited by the middlemen? With these few words I commend this Bill and I am happy that the hon. Minister has brought this Bill. I fully support this Bill.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना): हम लोग एक साथ दो विधेयकों पर विचार कर रहे हैं । एक लौह अयस्क खान तथा मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर संशोधन विधेयक है और दूसरा लौह अयस्क खान तथा मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि संशोधन विधेयक है । एक बात मैं सैस सम्बन्धी विधेयक के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । यह बात एक आध माननीय सदस्य ने पहले भी कही है । इनके प्रस्ताव के मुताबिक जो सैस लगाया जा रहा है वह ज्यादा से ज्यादा छः रुपए होगा । अभी इन्होंने तीन रुपए ही इसको किया है लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये छः रुपए तक इसको ले जाएंगे । मेरा संशोधन है कि इसमें कुछ वृद्धि होनी चाहिए और दस रुपए तक इसको ले जाया जाना चाहिए । यह अधिकतम सीमा कर दी जानी चाहिए । इनको पैसा कल्याण कार्यों के लिए चाहिए । इस तरीके से अभी जो पैसा इनको मिलेगा वह नौ लाख होगा । छः हजार मजदूरों के कल्याण कार्यों के लिए यह बहुत ही अपर्याप्त है । मैं चाहता हूं कि इस सीमा को बढ़ाया जाए । कुछ क्रोम बाहर जाएगा, निर्यात होगी उससे ये कस्टम ड्यूटी वसूल करेंगे और जो यहां बिकेगा उससे एक्साइज ड्यूटी वसूल की जाएगी । मैं चाहता हूं कि इस में वृद्धि इस प्रकार से की जानी चाहिए ।

श्रम कल्याण निधि सम्बन्धी विधेयक के बारे में मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूं ।

किसी भी खान में काम करने वाले मजदूर हों, चाहे वह लोहे की खान हो या कोयले, क्रोम और मैंगाजीन की खान हो, उनका काम सब से ज्यादा मेहनत का है और उन्हें शारीरिक श्रम भी बहुत अधिक करना पड़ता है, क्योंकि सब जगह मैकेनाइजेशन के जरिए काम नहीं हो रहा है । इसलिए इन लोगों की स्थिति बड़ी दयनीय है ।

इन्हें पौष्टिक भोजन और दूसरी आवश्यक सुविधाएं नहीं मिलतीं, इसलिए वे बीमारियों के भी शिकार होते हैं। इनके काम की स्थिति को देखते हुए इनको विशेष सहायता करनी चाहिए।

प्रश्न यह है कि इन मजदूरों के स्वास्थ्य, खेल-कूद, शिक्षा और आवास आदि कल्याण-कार्यों के लिए जो कानून बनाया जा रहा है, उसका कार्यान्वयन ठीक से हो पाता है या नहीं, जो भी सीमित निधि सरकार के पास होगी, मजदूरों के लिए उसका ठीक से उपयोग हो पाता है या नहीं। इस निधि में वृद्धि करने का काम तो है ही, लेकिन जिन लोगों के लिए यह निधि बनाई जा रही है, उन तक उसका लाभ पहुंचे, मैं समझता हूं कि यह सब से बड़ा काम है। सब लोग जानते हैं कि उन की स्थिति बहुत खराब है। हम शहरों में देखते हैं कि शिक्षा की स्थिति बहुत असंतोषजनक है। तो खानों में तो वह और भी अधिक असंतोषजनक हो सकती है।

मुझे खानों का अधिक अनुभव नहीं है, केवल एक दो जगह का अनुभव है। जैसे, जमशेदपुर में किरिबुरू आयरन ओर की खान के बारे में मुझे थोड़ी सी जानकारी है कि वहां पर आवास, स्वास्थ्य-सेवाओं और पीने के पानी की व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। सरकार भी मानती है कि वह उसे संतोषजनक स्थिति में नहीं पहुंचा सकी है। एक और खान का मुझे अनुभव है। हमारे सूबे में रोहतास जिले में अमझोर में गंधक की खान है। मैं वहां की एक यूनियन का अध्यक्ष भी हूं। मुझे कभी-कभी वहां जाने का मौका मिलता है। इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस पैसे का इस्तेमाल उन लोगों के कल्याण के लिए हो और इसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश न हो। आज भ्रष्टाचार सब जगह फैल गया है। मजदूरों के लिए काम करने वाले संस्थानों में भी भ्रष्टाचार है। उदाहरण के लिए प्राविडेंट फंड के कार्यालय मजदूरों के लिए बने हैं। अगर मजदूर न रहें, तो उनकी क्या जरूरत है, लेकिन वहां भी भ्रष्टाचार है। अधिकारी भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और कुछ गड़बड़ी श्रमजीवी खुद भी करते हैं, जो प्राविडेंट फंड सम्बन्धी काम कराने के लिए मजदूरों से पैसे मांगते हैं। अधिकारी खुले तौर पर ऐसा करते हैं। सरकार को इन बातों की जानकारी होती है, लेकिन उन्हें पकड़ा नहीं जाता है। इस फंड में भी ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है और गड़बड़ की गुंजाइश हो सकती है। मैं चाहता हूं कि सरकार की निगाह इस तरफ रहे।

कभी कभी देखने को मिलता है कि इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए जो सलाहकार समिति बनाई जाती है, उस पर काफी ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है। इस बिल में कहा गया है कि निधि इकट्ठी करने का खर्चा इसी से लिया जाएगा। आप ने कहा कि हाफ परसेंट लेकिन वह भी इस से क्यों? इस में तो और आप को एड करना चाहिए पर इसमें आप वसूलने का खर्च भी निकालना चाहते हैं? मैं समझता हूं कि यह मुनासिब नहीं है। यह पैसा जिन के लिए आप वसूल कर रहे हैं उन्हीं पर खर्च हो, यह मेरा कहना है।

दूसरी बात जो गड़बड़ी करे उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही में कोताही नहीं होनी चाहिए।

श्री जमीलुर्रहमान : स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए।

श्री रामावतार शास्त्री : स्ट्राइक तो होगी ही जमीलुर्रहमान साहब, उस से आप कैसे बच सकिएगा? ...(**व्यवधान**)... समझ लीजिए, यहां आप लड़िएगा कि आप की तनख्वाह बढ़े तो वहां मजदूर नहीं लड़ेगा? जब उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी तो वह हड़ताल करेगा ही। ...(**व्यवधान**)... बिलकुल मैं प्रोडक्शन की बात भी कर रहा हूं। मैं इन दोनों विधेयकों का समर्थन करूंगा। मैं यह कह रहा हूं कि ये सारे काम कीजिएगा तो यह प्रोडक्शन में बाधक नहीं सहायक होगा और प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन तो मजदूरों को अलग कर के नहीं बढ़ेगा। उन की कठिनाइयों

[श्री रामावतार शास्त्री]

को दूर करिएगा तो वह जरूर ठीक से काम करेंगे ।

मेरा मतलब यह है कि इस में अगर कोई गैर कानूनी काम करे, गलत काम करे, मजदूर विरोधी काम करे तो ऐसे लोगों के विरूद्ध कार्यवाही होनी चाहिए । इस दिशा में आप ने कुछ किया है तो थोड़ा सदन को बताइए ताकि हम लोग आश्वस्त हो सकें कि इस तरह के कानूनों की कार्यान्विति में जो कठिनाइयां हैं उन को हम ने इस तरह से हल किया है या जरूरत पड़ी है किसी के खिलाफ कार्यवाही करने की तो हमने इस तरह से किया है । मजदूर वर्ग को इस से विश्वास होगा ।

अन्तिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बहुत तरह की माइन्स हैं, तमाम तरह की माइन्स के मजदूरों को मिला कर उन के लिए एक तरह का कल्याणकारी कानून क्यों नहीं बनाते ? यह अलग-अलग सब बना रहे हैं । हम समर्थन भी कर रहे हैं । लेकिन हमारी समझ से एक साथ बनाइए तो अच्छा रहेगा । आप को भी पीसमील में नहीं लाना पड़ेगा और हम लोगों को भी बार-बार बोलना नहीं पड़ेगा । आप एक बार सब के लिए एक साथ लाइए और हम भी एक बार बोल लें। कानून तो बड़े अच्छे अच्छे बने हुए हैं किताबों में। सवाल है उन के कार्यान्वयन का । अगर ठीक से उन को लागू करेंगे तो जरूर समर्थन मिलेगा और नहीं करेंगे तो हड़ताल जमीलुर्रहमान साहब के लाख नहीं चाहने पर भी होगी । ...(व्यवधान)... बाहर भी मैं यही बात बोलूंगा । मैं इस विचार का हूं कि मजदूरों को अपनी ड्यूटी भी करनी चाहिए । मैं यह नहीं कहता कि यह खाली मांग रखें और काम करें । कम से कम आइ टी यू सी ने कभी ऐसा नहीं कहा और मैं ए आइ टी यू सी का जवाबदेह सदस्य हूं। इसलिए मैं यह कह रहा हूं । बिहार में तो ए आइ टी यू सी के मातहत ही हम लोग काम कर रहे हैं और यही वहां कर रहे हैं। हम जवाबदेही से काम करते हैं । हम चाहते हैं कि देश का उत्पादन भी बढ़े देश भी बढ़े लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि मजदूरों की कठिनाइयां भी दूर हों । इसी के लिए आप यह बिल लाए हैं इसलिए मैं इस का समर्थन करता हूं ।

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay North-East): Sir, the Bill is of limited import and, therefore, one cannot really obect to it because the Objects and Reasons make it clear that this step is in the right direction, however small it is. Knowing the hon. Minister for quite some time, the Minister is by no means areactionary. He always sides with labour when he is not a Minister. But unfortunately, the company he keeps with is such that he has been forced to bring before Parliament a series of anti-labour measures. I would like to take this opportunity to say a little than just about the Bill. I would like to bring to the notice of the House the general climate that is being built against the labour.

16.00 hrs.

I am also not anti-labour; in fact, my constituency in Bombay is the poorest part of Bombay and 75 per cent are factory workers, and another 15 per cent are low-paid office employees, and in every election, I had to face some big trade union leader. In 1977,, I had to face the General Secretary of INTUC, Raja Kulkarni and I had to defeat him, and in 1980, Datta Samant was the candidate against me.

SHRI G. M. BANATWALLA (Ponnani): How is it all relevant to the Bill?

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: I am preparing the gound. I will come to Lebanon and Israel in a minute; do not worry.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): Tell him that even an aeroplane has to walk for some distance before it takes off.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: That is right.

MR. CHAIRMAN: But when you come to Israel and Lebanon, you must oppose Israel.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Of course; I am totally oppose to Israel, but that does not mean that I am opposed to making friends with Israel. I oppose their policy, like I am opposed to your policy, but I am your friend.

Now, really the question is whether there will be a fundamental change in the livelihood of the workers in these industries because of this Bill or because what the Minister proposes to bring in the coming days or in the next session. That is the real question. Statistically, I have seen for many industries including the iron-ore mining industry, that the share of wages, measured in real terms in the total distributed revenue has been consistently coming down since 1965, and, therefore, the share of workers in the national product also has come down. I do not know of any country in the world, where the share of wages and salaries has actually come down. In the United States, a capitalist country, in Japan and England, the share of wages of workers has been consistently going up. The share of wages in England, for example, today in the national product is something close to 73 per cent of the national product, whereas in India, the share of wages in the national product is only 35 per cent. Twenty years ago, it was somewhere close to 50 per cent and it has come down despite all the progressive legislations that one talks of and despite the 20-Point programme which Shri Chintamani Panigrahi talks of. How is it that the share of wages in the national product for workers has come down? And it has been happening in every industry. I would like the Minister to see the Labour Bureau statistics, and the real wages, deflated by a genuine cost of living index, not the one they put out, which has all kinds of fraudulent ways, plus the prices that they use—some of them are controlled prices. If the cost of living is calculated on the basis of proper market retail prices, and the money wage is divided by that, we will get the real wages. I will take a challenge, and I will show it to you, Sir, that the real wage today is less than what it was in 1960.

Again, Sir, this is unprecedented that the real wage has declined in terms of *per capita* consumption of edible oil, pulses etc. Therefore, it is not proper for us to go and tell the workers: "Do not agitate, do not strike, do not go on hartal etc." They will do it under the most repressive system, as Shastriji knows what is happening in Poland.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI: Of course, I know, but don't you know also the situation there?

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: I would not go and tell the workers, that they should not go on strike. Take the Bombay Textile strike. Honestly, it is a matter of great regret that the wages of the most inefficient textile mills are the same as the wages of the most efficient mills in Bombay. How can you justify this? Bombay Dyeing pays almost the same rates as some of the 'broke' textile mills. You cannot tell the workers that they should not get a wage rise. This is wrong. Despite all he propaganda, the productivity of workers has been going up consistently at the rate of 3 per cent per year, whereas the real wages has been coming down. This I can prove with statistics; if the Minister calls a seminar I will come with white paper to establish all this. I have been a Professor of Economics. If he arranges for a special debate, I would be very happy to produce all the facts. Therefore, this is the question.

The second part of this is that the fruits of the labour of such workers in iron-ore are not filtered down to the workers. Shastriji has rightly said that these mining workers have to do a lot of physical labour at great physical risk. Now, their products are getting exported. Take for instance Iron-ore. Today lot of exports are taking place in iron-ore. Forty million tonnes is the production of iron and steel. Vast amount of it is being exported. In fact, in the case of Kudremukh according to the agreement the whole mountain was to be exported. And the quality of the iron-ore is top-class. Recently Japan, which imported iron-ore from us paid a bonus of something like Rs. 12 crores, because the quality of iron-ore was higher than we

[Dr. Subramaniam Swamy]

stipulated in our contract. Therefore, out of their guilty conscience, they said, all right we have earned better than what we have bargained for, we give you bonus. But none of that filters back. This is the important thing. Therefore, we have to look into that context. Not so much cass, 45 paise so much or from Rs. 6/- he wants to raise Rs. 10|-. It is not the question. The question is, there is the fruit of labour. It is getting translated. It is getting exported. Recently the export price of all these products actually had gone up. They have gone up from 12 dollars per tonne for iron-ore to 16 dollars per tonne, but none of them is reflected in the wages ot workers. So, how can you ask the workers to keep quiet? They may not understand the sophisticated economics, but they certainly understand such simple and straight forward arithmetics, particularly in view of the fact that during the last three or four years, there has been now a fundamental change.

AN HON. MEMBER: What happened during the Janata regime?

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: I will not defend everything. In two and a half years we did more than these people have done in 30 years. If we are in power for 30 years, we will create revolution in the country. You wait for some more time. Next elections are coming very soon. There we will show.

The other point is that Government not only in the export sector, but locally....

AN HON. MEMBER: What a wishful thinking;

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: We live on wishful thinking.

AN HON. MEMBER: You carry on with your wishful thinking.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: We were complacent like you. We used to say to Congressmen: 'You will never come back. But you did come back.' So, take lesson from our complacency.

Along with the fact that the value earned in exports is not being translated back to the workers, take also the internal position. Is it not a fact that the prices of steel, pig iron, everything has been deregulated? Now there is no control on them. As a consequence, profits of Tatas and all these big owners have gone up very substantially. Their share in the market has boomed. But has it been translated back? Why has this not been translated back? Therefore, I would like the Government to monitor in those respects, not that whenever the workers say we want so much, then you start negotiating with them, then you try to break their strike. That is not the way. You should have a constant monitoring unit which looks at all these and all these breakdowns. And then what is due to them should be given to them without their asking. If you do that, as it is in Japan, there will be hardly any strike. I don't think the workers want to go on strike. In fact, when I go to the houses of textile workers, their women are are unhappy. Many of them are in tears. They say their husbands are sitting at home, doing nothing. They want them to work. I have not seen any worker willingly wanting to go on strike. But when they are faced at a dead end, this is what happens. A little sympathy from the Government and this kind of analysis of what is their due coming automatically would produce the right climate in which the workers feel a share in the production.

Therefore, Sir, while supporting the Bill, I must express great regret at the anti-labour tone that has been set by this Government.

SHRI XAVIER ARAKAL (Ernakulam): Mr. Chairman, Sir, the Bill seeks two things. One is to convert the existing welfare fund so that the chrome can also be included. The second is to impose excise and custom's duty at a rate. There is a universal support for these Bills from every quarter of this House on these two subjects.

I have two reasons to support the Bill. One, is that it will reduee the administra-

tive expenses considerably and second, there will be a uniform welfare activity in the field of mining.

The welfare of the Labour is in the Concurrent List, Entry 24; and mines and minerals are controlled or regulated by the Union List, Entry 54 and 55. And also the State List 23 is subject to the entry 54 and 55 of the Union List. So, the three propositions I put before the House are: (1) Has the Government contemplated the nationalization of the entire mining industry? I have been demanding this in this House quite often; (2) Dr. Swamy has highlighted an aspect which I also have been mentioning in this House, *viz.* has the Government applied its mind to stop the export of iron and other ores to other countries? He has cited the good example of Japan. We can have joint collaborations in our own country, where Japan can be invited to have industries here, and develop them here rather than our exporting the ores; and (3) The Mines Act of 1952 and the rules thereunder require reconsideration and evaluation by this House, because many Members have expressed their anxiety on this aspect, especially Mr. Panigrahi, Shrimati Patnaik and Dr. Swamy.

Now, the answer from the Labour Minister will be: "This is not within the jurisdiction of my Department". I beg to say that that attitude should not be there. Let the Government come forward with their stand on these three issues.

We have vast experience in the field of welfare activities in the mines. If you refer to the Acts of 1951, 1961 and 1976 you will find that five things are especially mentioned, *viz.* housing, medical care, water supply and educational and recreational facilities. As you, Mr. Chairman, yourself correctly asked, how much have we spent? Who are the beneficiaries? How far has it gone down to the people who deserve it? I hope the Minister will give a proper reply, and a statement on this issue.

I also agree with Mr. Balanandan when he says that at present the rate of iron ore cess is only 50 paise per metric tonne, and on managanese ore, it is Re. 1/-. He has given some statistics, which I do not want to repeat. I submit that that rate should be revised, considering the requirement of this labour sector, and welfare activities. That has to be revised, to bring it on par with other rates and the demand.

Our lady Member quite correctly put it, when she highlighted the problem of unemployment, old age and lack of mobile dispensaries. So, we would like to know what is the Government coming forward with; and how far are the lessons we have learnt from the Act of 1961 and the Act of 1976 going to be incorporated into the present Bill.

These are the four points to which I would like the hon. Minister to give serious consideration. I hope he will come forward with an answer.

With these words, I support the Bill.

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति जी, लौह अयस्क खान तथा मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर और लौह अयस्क खान तथा मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि संशोधन विधेयकों का मैं समर्थन करता हूं यद्यपि ये विधेयक श्रमिकों की कल्याण की दृष्टि से बहुत ही नाकाफी हैं । यह उनके लिये बहुत ही कम निधि कही जायेगी । सरकार 6000 श्रमिकों के कल्याण के लिये 9 लाख रुपये का उपबन्ध करने जा रही है, लेकिन यह कुल मिलाकर प्रति श्रमिक डेढ़ सौ रुपया बैठता है, साढ़े बारह रुपये प्रति माह । इससे आप समझ सकते हैं कि इतनी मंहगाई में, जबकि साढ़े बारह रुपये में एक समय का लंच या डिनर दिल्ली में नहीं हो पाता, श्रमिकों का कल्याण कैसे होगा ? यह बहुत ही गम्भीर विषय है । मंत्री जी ने इस ओर पहल की है, यह बात सही है, लेकिन ये मजदूर अधिकतर जंगलों और पहाड़ों में काम करते हैं, जहां से शहरों में आने के लिये कोई यातायात के साधन और सड़कें इत्यादि नहीं होते हैं । वहां पर पानी-बिजली की व्यवस्था नहीं

[श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा]

होती, दवादारू की व्यवस्था नहीं होती। तकनीकी शिक्षा और पढ़ाई इत्यादि का अभाव होता है। इस तरह से आप सोच सकते हैं कि साढ़े बारह रुपये से आप क्या-क्या सुविधाएं उनको दे रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये 9 लाख रुपया एक ही जगह पर खर्च होना है। कई जगहों पर खानें हैं और सैकड़ों मील की दूरी पर हैं। उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र-प्रदेश, मणिपुर, गोवा, इन सब जगहों पर हैं और इन सब जगहों पर आपको थोड़ा-थोड़ा देना है। इसके अलावा हर जगह नैमित्तिक श्रमिक भी काफी संख्या में होते हैं, वे इन कल्याणकार्यों से वंचित रहते हैं। उनकी ओर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इन सब चीजों को देखते हुए इस प्रावधान को "ऊंट के मुंह में जीरा" कहा जा सकता है। इसमें व्यापक दृष्टिकोण नहीं रखा गया है।

इस पैसे को सीमा शुल्क से और लेवी बढ़ाकर लेंगे। उसमें भी साढ़े चार हजार व्यय होगा, इसके बावजूद कई अधिकारीगण रहते हैं। कल्याण विभाग के कमिश्नर होते हैं जो योजना बनाते हैं। सालाना बजट बनाते हैं, उनकी कितनी सिटिंग्स होती हैं, उसमें भी खर्च होता है। वह भी इसी में से निकलता है। एम. पी. आई. अनुदेशक और अनुदेशिकाएं होती हैं, इन लोगों का वेतन देखा जाए तो 9 लाख रुपया तो इसी में खर्च हो जाएगा। कागजों पर दिखा दिया जाता है कि इतनी पढ़ाई हुई है, इतनी कढ़ाई की शिक्षा हुई है, इतना मेडीकल में खर्च हुआ। चना, बिस्कुट वितरित करते हैं, इसी में लाखों रुपये का हिसाब हो जाता है। मैंने अपने क्षेत्र में देखा है वहां पर "अभ्रक खान श्रमिक कल्याण संस्थान" में बहुत घपला है।

इसके अलावा अभी बहुत सी खानें अछूती रह गई हैं, इस ओर भी मंत्री जी ध्यान दें। ग्रेनाइट, स्टोन क्रेशर इत्यादि बहुत सी माइन्स हैं, वहां भी श्रमिक हैं। उनके मालिकों से भी कर अधिग्रहीत करके उन श्रमिकों का कल्याण किया जाना चाहिये।

जापान, अमरीका, इंग्लैण्ड, आदि में श्रमिक खान से निकलते हैं तो उनके लिए बाथरूम की व्यवस्था होती है, साबुन मिलता है और बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं। हमारे यहां इन सब चीजों का अभाव है। अगर आप साबुन ही देना चाहते हैं श्रमिकों को तो मैं समझता हूं कि बारह रुपये तो केवल साबुन में ही खत्म हो जाएंगे, एक एक श्रमिक को देंगे तो उसी में ये खर्च हो जाएंगे। भारत एक विशाल देश है और इन श्रमिकों की समस्याएं भी विशिष्ट हैं। जो राशि खर्च करने के लिये इनके वास्ते रखी जाती है वह हास्यास्पद होती है। इसको बढ़ाना चाहिये। चीजों के दाम बढ़ते हैं तो यह राशि भी बढ़नी चाहिये। लोहा, क्रोम, इस्पात आदि की काफी कीमत कंज्यूमर से वसूल होती है, दो तीन गुना दाम बढ़ गए हैं। आपको उपकर को भी बढ़ाना चाहिये। बढ़ी हुई राशि वसूल करके आपको श्रमिकों के कल्याण कार्यों में इसको लगाना चाहिये।

ये बेचारे मजदूर जंगलों में, झाड़, पहाड़ के किनारों में रहते हैं। अपने बाल बच्चों समेत ये एक सीमित दायरे में घूमते फिरते रहते हैं, जीवन गुजर बसर करते हैं। वहीं उनका जीवन समाप्त हो जाता है। इस वास्ते दो चार सुझाव उनके कल्याण के सम्बन्ध में मैं देना चाहता हूं। एडल्ट एजूकेशन देने के उन क्षेत्रों में व्यवस्था की जानी चाहिये। हर एडल्ट को देने की व्यवस्था की जानी चाहिये और उनको इसके लिए कुछ पारितोषिक भी दिया जाना चाहिये। इससे दूसरों को प्रेरणा मिलेगा, बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। माइंज के अलग बगल में कुछ तकनीकी शिक्षा देने की भी व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि उनके बच्चे तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर सकें और सुनियोजित उद्योग धंधों में काम पा सकें और वे बेचारे अपने माता पिता की तरह से बंधुआ मजदूर बन कर ही न रह जाएं। उनके वास्ते पर्याप्त स्कूलों की व्यवस्था होनी चाहिये। जहां ये मजदूर काम करते हैं वहां स्कूल आदि की कोई व्यवस्था नहीं होती है। बच्चे बिना पढ़ाई के रह जाते हैं। इस वास्ते उनके वास्ते

स्कूलों की, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की जानी चाहिये । पोष्टिक आहार, मनोरंजन के साधन, सिनेमा इत्यादि दो चार आप दिखा देते हैं और सारा पैसा उसी में खर्च हो जाता है । मैं चाहता हूं कि वास्तविक कल्याण जिस से उनको हो सकता हो वैसी व्यवस्था आपको उनके वास्ते करनी चाहिये । आपने समितियों का उपबन्ध किया है । आपने कहा है कि केन्द्र के कितने लोग रहेंगे, आयरन और, मैंगनीज और माइज के जो मालिक हैं उनके प्रतिनिधि भी उस में रहेंगे । इस तरह से जो व्यवस्था आपने की है उससे जांच पड़ताल की ठीक व्यवस्था नहीं हो सकती है । आपने यह भी कहा है कि एक महिला भी मैम्बर हो सकती है । लेकिन ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लायीज हुये । मेरी मांग है कि मजदूरों में से उनके प्रतिनिधि लिए जाने चाहियें और उनकी संख्या पचास प्रतिशत होनी चाहिये । वे जा कर जांच पड़ताल करें कि उनके कल्याण के वास्ते जो राशि रखी गई है उसका अपव्यय तो नहीं हो रहा है । मैं यह भी मांग करता हूं कि स्थानीय पब्लिक रिप्रिजेंटेटिव्ज को भी उस में शामिल किया जाना चाहिये, ताकि वे देख सकें कि कल्याण की राशि वास्तव में कल्याण कार्यों पर खर्च हो रही है और जो भ्रष्टाचार होता है, उसकी रोकथाम हो सके ।

मैं समझता हूं कि जो राशि है यह बहुत ही अत्यल्प है । इससे मजदूरों का कोई कल्याण नहीं होने वाला है । इस वास्ते इस पर फिर से विचार करके इसको बढ़ाने की आवश्यकता है । मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय जब जबाव दें तो आश्वासन दें कि मजदूरों के साथ न्याय किया जाएगा ।

*SHRI S. MURUGIAN (Tiruppattur): Mr. Chariman, Sir, I extend my whole-hearted support to the Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Cess (Amendment) Bill as also the Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Fund (Amendment) Bill, which have been introduced by our hon. Minister of Labour.

The hon. Minister of Labour through the first Bill proposes to levy Rs. 3 per tonne of chrome ore and the total realisation is likely to be of the order of Rs. 9 lakhs. This amount will constitute the Welfare Fund which will be utilised for implementing welfare programmes for the chrome ore mine workers. The chrome ore mines are predominant in the State of Orissa and the total number of chrome ore mine workers is of the order of about 6000. Since the Government has not so far cared to look after the welfare needs of these workers, now these Bills have been brought forward for ensuring that the interests of these workers are not neglected at least hereafter. I wish to suggest that only a few aspects of welfare needs of these workers can be looked after by this small sum. In fact, all the basic needs of mine workers should be the concern of the Government of India and in order to ensure that they are all provided to the mine workers in the country, I demand that the hon. Minister should bring forward a comprehensive Bill before this House at an early date.

Sir, I would like to take this opportunity to say that though Tamil Nadu abounds in minerals yet their exploitation is being neglected. The State Government is not taking interest in their exploitation. The Centre has entrusted the exploitation of minor minerals to the State Government and unfortunately there is no sustaining interest on the part of the State Government to exploit the minor minerals. I would refer to the mismanagement by the State Government in the matter of black granite, which is available in abundance in Tamil Nadu. Till recently this black granite was being exported in substantial quantity to foreign countries. Some four, five years ago, the State Government got a Bill enacted under which the exploitation of black granite was brought under public sector. A new organisation by the name of TAMIN has been set up by the State Government for this purpose.

*The original speech was delivered in Tamil.

[Shri S. Murugian]

Consequent upon the nationalisation, the private sector industrialists, who were exploiting this minerals till then, were refused extension of their leases on their expiry. About 200 of them went out of the field. If the public sector unit could have functioned as effectively as the private sector industrialists, then the employees would not have lost their jobs. Unfortunately, as is usual, the sluggishness and the negligence on the part of public sector unit have led to the loss of livelihood for more than 15000 mine workers. I do not question the nationalisation of these mines. But I would like to demand that the mine workers should not lose their livelihood. A proper assessment should be made now as to how many workers were there before nationalisation, the annual production during that period, the foreign exchange earned by the export during the pre-nationalisation period and what is the present position in respect of these items under the charge of public sector management. For 20 years the private people were exporting black granite. Since the question of foreign exchange earning is involved, the Centre should not take shelter under the plea that the minor minerals are under the charge of the State Government. Secondly, when the Central Government is legislating for the welfare of workers, the State Government of Tamil Nadu should not throw these workers to the wolf of unemployment. The State Government has now passed an Act increasing the cess on black granite by 17 times. Naturally this will tell upon the export of black granite to foreign countries. The mine workers will continue to be thrown out of employment. If this situation is allowed to continue, there will then be eruption of violence in Tamil Nadu. This situation should be averted by the State Government and also by the Central Government.

In the interest of maintaining sustained production of black granite so that we continue to earn foreign exchange and in the interest of continued employment for thousands of black granite mine workers in Tamil Nadu, the Centre should declare this mineral as a major mineral and take over the responsibility of exploiting it. This is required because this mineral is available in abundance in Tamil Nadu, which has not been so far exploited fully for the country's good. The licences for former owners of the quarries should be restored to them. In the case of those whose lease period is coming to an end, those leases should be extended. Further licences should be issued for full exploitation of black granite in unexplored areas. Then only employment to workers can be guaranteed and further employment can be generated.

With these words I support these two Bills.

MR. CHAIRMAN: Shri Harikesh Bahadur. Please be brief.

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर): हमारी पार्टी में 12 सदस्य हैं और मुझे उसके मुताबिक टाइम मिलना चाहिये। लेकिन मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं सिर्फ पांच मिनट लूंगा।

सभापति महोदय, ये जो दोनों विधेयक हैं ये ठीक ही हैं। इन का विरोध करने की बात ज्यादा कुछ है नहीं। कुछ कमी है जिसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान जरूर आकृष्ट करूंगा।

जहां तक खान मजदूरों की स्थिति का सवाल है यह बात तो सही है कि खान मजदूरों को बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है। मंत्री जी भी इस बात से सहमत हैं। लेकिन जो उन की आर्थिक स्थिति है वह बहुत अच्छी नहीं है। जहां तक आयरन ओर का सवाल है माननीय वक्ताओं ने इस पर प्रकाश भी डाला कि धीरे धीरे हमारी स्टील इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं उन की कीमत बढ़ती जा रही है। हमारा आयरन ओर जो निकाला जाता है वह बहुत ही अच्छे किस्म का है और विदेशों में भेजा जाता है। इन सारी चीजों की कीमत लगातार बढ़ती जाती है। लेकिन इस

बढ़ती हुई कीमत का जो सकारात्मक पहलू है वह यह होना चाहिये कि उस का लाभ श्रमिकों को भी मिलना चाहिये। वह नहीं मिल पाता। इस लिये मेरी सबसे पहले तो मांग यह होगी कि चूंकि चीजों की कमत बढ़ती चली जा रही है इसलिये इन मजदूरों की जो मजदूरी है उस में भी वृद्धि की जाय।

सुझाव के रूप में दो तीन बातें रखना चाहूंगा। इन की आज जो समस्याएं हैं मुख्य रूप से वह है चिकित्सा कि समस्या, शिक्षा की समस्या, रहने के लिए आवास की समस्या। इन समस्याओं को सुलझाने के लिये सरकार को चाहिए कि कारगर और ठोस कदम उठाए। इस के लिए कुछ अधिक धन इन कार्यों पर खर्च करना पड़ सकता है जिस के लिये सरकार भी जो यह फंड बनाती है या बना रही है, उस का इस्तेमाल करे, साथ ही कुछ अनुदान के रूप में इन कार्यों के लिए सरकार को अलग से भी प्रबन्ध करना चाहिये ताकि बड़े पैमाने पर मकानों का निर्माण हो सके, शिक्षा की सुविधाएं इन मजदूरों को दी जा सकें।

हमारे गोरखपुर में पहले एक लेबर डिपो था। वहां से श्रमिकों की भर्ती हुआ करती थी जो कि आयरन और माइन्स में और कोल माइन्स बिहार जा कर काम करते थे। उस को सेंट्रल एम्पलायमेंट एक्सचेंज के रूप में बदल दिया गया है। लेकिन उसका काम भी बहुत ढीला ढाला है और ऐसा लगता है कि शायद यह एम्पलायमेंट एक्सचेंज ही बंद कर दिया जाय। मैं सरकार से मांग करता हूं कि अगर उसे बन्द करने की कोई योजना हो तो उस योजना को अवश्य समाप्त कर दें और उसे चलने दें। साथ ही ट्रेनिंग सेन्टर एक वहां पर खोला जाय ताकि मजदूरों को उस से लाभ हो और जो वेलफेयर फन्ड है उसका अधिक से अधिक लाभ उन को मिल सके इस की भी व्यवस्था की जाय। मैं फिर यह कहना चाहूंगा कि श्रमिकों की मजदूरी में कुछ वृद्धि करने की बात सरकार को सोचनी चाहिए क्योंकि आज की बढ़ती हुई महगाई में अगर इन की मजदूरी नहीं बढ़ाई जाती तो इन की आर्थिक समस्याओं का समाधान और निराकरण नहीं हो सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः इस विधेयक का का समर्थन करता हूं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI BHAGWAT JHA AZAD): Mr. Chairman, Sir, the two Bills which are under consideration have got very limited purpose. By one, we are putting cess on chrome ore and by the other, from the Fund so created we are trying to provide welfare measures —welfare measures for the chrome ore workers who are 6000 in the country and who are working in different mines.

In the course of the debate, some of the hon. Members have referred to almost everything that would be under the Labour Ministry. I would welcome those points to be replied to when the debate on my Ministry comes next year or when such occasion comes. Claiming to be a professor of economics, which I also agree, the hon. Member who is not here has talked about the general wage policy, falling prices and recession. One of my friends from this side asked for the nationalisation of the entire mines, to stop all exports and have the factories here. So, there are a large variety of issues, much bigger than I could conceive of not in this Bill, but many other Bills as well. Of course, I am thankful to some of the hon. Members, specially Shastriji. Today he made marvellous contribution to the debate. He was exactly to the point. At first he said he would have only one amendment. That was in regard to the cess that we were levying. He said increase it more than Rs. 3/- not only Rs. 6/- that we have said, but make it Rs. 10/-. By another amendment he has suggested welfare measures.

In the whole debate hon. Members have generally referred to the welfare measures as were referred to in the Bill. The others are very much beyond the point. I will take them up next time to reply.

As has been pointed out by the hon. Members, it is true that those workers who work in these mines have very diffi-

[Shri Bhagwat Jha Azad]

cult job. It is much arduous as compared to many other jobs in the country. We all agree on this point. Therefore, it needs our special attention. The welfare measures that have already been taken under the Iron Ore and Manganese Welfare Fund Act, which we are amending—and adding chrome also—need to be extended, need to be augmented, need to be increased. But one point has to be kept in mind—when we go in for the welfare measures, those measures cannot be a substitute by the larger ones which the States are called upon to discharge. Take for instance, education. The general education—primary level, higher level or the adult education—as referred to by Shri Vermaji cannot form part of the welfare measures in this Act. All we are doing in the field of education is that we are giving the workers' ward scholarships. We are trying to encourage to go to schools or trying to remove as far as possible their economic difficulty in getting education. That can be no substitute for the general education in the country in different parts where the mines are functioning.

Hon. Members have said about medical facilities. They have said about housing. I fully agree with them. I have always been sharing with the House. I do not want to make anything in trying to circumvent the point. I straightway say that I agree with the hon. Members that the facilities that we are giving are not enough. The Directive Principles as quoted by Shri Yadav and other Members enjoin upon us to give them a decent living. It is true that we have not been able to come to that stage so far. But I must also say—that what we have done these years about their welfare should be noted and appreciated. If some of the hon. Members do not want to put the word 'appreciate', let them not. The Members who want to appreciate appreciate it. Let us take one stride ahead and say this is not enough. This should be increased. In that respect I agree. Take for example 'housing'. Under the Act the Management is charged upon for certain statutory responsibilities. This fund is not a substitute for that. This fund is in support of what the statutory responsibilities of the management are for drinking water, for medical faciliies. For housing we are giving subsidy. Today, in the present circumstances it is not enough. Therefore, there has not been enough or large construction of houses for the labour. The moment I saw this, I asked my Department to immediately go into the matter and revise the estimate so that we can really make some contribution for the houses and goad th eemployers to construct houses. I want to say that this has been difficult. In all the three spheres we will do that and so also for the scholarship. I think at present the scholarship is Rs. 10 to 15. It is not enough. I have to and I shall increase it because the hon. Members have given me support. We have to do it. In all the fields we will try to come to a certain standard which may not be an ideal standard. It may not be that standard which the hon. Members on that side or this side or I, the Minister want to have. Shastriji's suggestion to increase the rate of cess is a valid point. At present we have taken Rs. 3/-. We have kept the maximum at Rs. 6/-. From time to time Government has been increasing the rate of cess as and when it is needed. For example, in iron ore we have Rs. 0.25. We have put it to Rs. 0.50. For Manganese we have come to Re. 1/-. We will have Rs. 3/-. The maximum outer limit is Rs| 6/-. Whenever we need more than Rs. 6|-. Whenever we need more than and ask Shastriji, Shri Arakal and both sides of the House to give me support. Since we are starting on this Chrome for the first time, I would wish the hon. Members to support me to enable me to start with this point.

So far as medical facilities are concerned, we have dispensaries, mobile dispensaries. The hon. Lady Member and you, Mr. Chairman, made valuable contributions. We shall see that all these points are taken care of. The present welfare measures will be augmented and increased.

Many Members have said about the decrease in labour. There has been de-

crease not in the welfare measures or it is not that they have been hard hit by the diseases. In this technological world, it being labour intensive, we do not permit them to bring modern techniques on a large scale. But there are some places where this technique is required. In some places we have modern technology, advance technology. Therefore, that decrease is there.

You, Mr. Chairman, have said about administration of the fund. All hon. Members—Shatstriji, yourself and some other Members—Vermaji, Arakal, have suggested that. It is most important. Not only this, but in all other things we do, legislation is good enough. We all support it. But the important point is implementation of it. For that we are trying to strengthen our administration, not only strengthening by numbers i.e. increasing the number of Welfare Commissioners but trying to improve the methodology of working. We are trying to do that so that we can give the maximum number to them. It is true that the workers are working in distant parts. In many places we have not got good infra-structure—the road to reach there. It is not possible to have dispensary everywhere. What are we trying? We are trying to group them, regroup them and give them facilities. Some hon. Members have said about Chest and T.B. beds in the hopsital. We have reserved in the hospital the T.B. beds. We are giving Rs. 3000 and odd. We are giving for dieting Rs. 50/-. I do not think it is enough. We are trying to increase that fund at our disposal. We are trying to reallocate or re-structure the amounts that are being spent on education, on health, housing, recreation.

Prof. Ajit Kumar Mehta has not spoken. He did not move his amendment. But I have taken note of that. He has said that the people should be careful with the employers. The management does not get quota and get away with the responsibility. We will take note of it. They have a statutory responsibility under the Act. That part we are not substituting. We are not going to give them that. But under the Welfare Fund Act, we are to give subsidy for medical, housing, etc. Only in that part, we will be helpful; otherwise not.

So, I think, the important points of the hon. Members have been met, about the cess, about the welfare measures under different heads, how to administer them and all that. In regard to all these points, as I have said, the cess from time to time we will increase as per the demand and, about the welfare fund, we will spend it under different heads. As I have already said, they are not enough at present and we are trying to revise the standards.

Lastly, about the administrative point, the most important point, we will try to implement this not by adding the number but by taking the maximum out of the number that we have; not by spending the amount on the officers but by taking the maximum out of them and improving their services.

I have already replied to the hon. Member who has now come, an intellectual member of the House, a Professor of Economics whom I know....

MR. CHAIRMAN: What is the total accumulation in the Fund?

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: About the total accumulation in the Fund, in 1978-79, we had Rs. 94.54 lakhs income and the expenditure we did was Rs 135.41; the balance was Rs. 294 lakhs. In 1981-82, the income is Rs. 185.56 lakhs and the expenditure is Rs. 134.08 lakhs; the balance now with us is Rs. 235.11 lakhs. If we see the expenditure figure, we will find that it is less this year than what it was last year. It is because, as I explained, the housing facilities and other things were not being done. We will try to revive that and we will do it.

Only one thing I will say for the hon. Member, a Professor of Economics—I am also a student of Economics. He said everything all right and supported it. But he made a very pungent remark—I think,

[Shri Bhagwat Jha Azad]

that was off the cuff, just by the way—that the Government policy is anti-labour. If he wants to put to me statistcs, I will also quote statisics off-hand—it is belittling the workers if they say this—that during the last year, being a Professor of Economics, if he, remembers, the industrial production in the country has gone up by 10 per cent compared to (—)1.4 per cent during his party's regime.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Lok Dal Government.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: All right; Lok Dal Government. Take, for example, the production of foodgrains. A large number of hon. Members have referred to the unorganised labour. I have not replied to that. By that, they mean the largest number of workers in the country who are working in agriculture There we have got 130 million tonnes; in steel we have got 19 per cent; in fertiliser we have got 62 per cent; in crude oil we have got 52 per cent and energy we have got 13 per cent. All these increases could not have been due to anti-labour policy of the Government. But for the pro-labour policy of the Government, support of the labour and support and satisfaction of the labour, these increases could not have been there.

These statistics speak that hon. Member's remark was absolutely baseless, not justified by facts. As a matter of fact, this Government is for labour; this Government is of the labour because all the time we are thinking about them. It is expected of the hon. Members on the other side that rather than helping their political unions, let them try to use trade union as a trade union for the welfare of workers and, in that case, our meeting point will definitely be the welfare of the workers and the welfare of the country.

With these words, I am grateful to all the hon. Members who have given support to these two Bills.

MR. CHAIRMAN: Now, the question is:

"That the Bill to amend the Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Cess Act, 1976, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill.

The question is:

"That Clause 2 to 11 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clauses 2 to 11 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Now the other Bill. The question is:

"That the Bill to amend the Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Fund Act, 1976, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR CHAIRMAN: Now, the House will take up clause by clause consideration.

The question is:

"That Clause 2 to 5 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 to 5 were added to the Bill.

Clause—6—Amendment of Section 4

MR. CHAIRMAN: Clause 6. Prof. Ajit Kumar Mehta.

PROF. AJIT KUMAR MEHTA (Samastipur): Sir, I beg to move:

Page 3,—

after line 5, *insert*—

'(e) the following sub-section shall be inserted at the end, namely:—

"(2) The fund shall not be applied to meet the expenditure on items of expenditure which fall in the welfare responsibilities of the employer.".' (1)

MR. CHAIRMAN: Amendment moved by Prof. Ajit Kumar Mehta is now placed before the House.

प्रो. अजीत कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने पहले ही मेरे संशोधन पर ध्यान दे दिया है । फिर भी मुझे एक आशंका है कि इस फण्ड को कहीं व्यवस्था पर ही अधिक खर्च न कर दिया जाए । इस बात को ध्यान में रखना चाहिये : जो पदाधिकारी व्यवस्था करते हैं, वे ज्यादा ध्यान अपने ऊपर ही रखते हैं ।

दूसरी बात यह है कि जब आप इस बात को मानते हैं कि इस फण्ड को ऐसे खर्च नहीं होने दिया जाएगा जिसमें एम्प्लायज को दोहरा लाभ हो जाए तो फिर इसका प्रावधान बिल में ही क्यों नहीं कर देते हैं जिससे शक की गुंजाइश ही न रहे । यही मेरा आग्रह है ।

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: I have replied to this in the general debate. We are taking care of that. Statutory responsibility of the employers is there. They are separate. In that we are not giving them anything. We are only trying to give them subsidy where we have to help them. Only that part is there. The other part which the hon. Member has mentioned, we are not doing in that.

MR. CHAIRMAN: Are you willing to withdraw your Amendment?

PROF. AJIT KUMAR MEHTA: Yes, Sir, because the Minister has assured.

MR. CHAIRMAN: Is it the pleasure of the House that the amendment moved by Shri Ajit Kumar Mehta be withdrawn?

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

Amendment No. 1 was, by leave withdrawn.

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That Clause 6 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 6 was added to the Bill.

Clauses 7 to 12 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

16.55 hrs.

PUBLIC WAKFS (EXTENSION OF LIMITATION) (DELHI AMENDMENT) BILL

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI A. A. RAHIM): Mr. Chairman, Sir, A large-scale unauthorised occupation of wakf properties took place immediately after the partition of the country. If the properties were in the adverse possession for 12 years or more, it would have been difficult to save the title of true owners from being extinguished. With this in view, the Public Wakfs (Extension of Limitation) Act, 1959, was enacted to extend the limitation up to 15th August, 1967. This date indicated the period of limitation in respect of suits for the recovery of any immovable property forming part of a Public Wakf, where the dispossession had taken place any time after 15th August, 1947 and before 7th May, 1954 (the date from which the power to declare any property as evacuee property ceased). The State Wakf Boards were thus given the necessary powers to institute suits for recovery of the wakf properties.

The survey of wakf properties was still in progress in a number of States and the period of limitation was extended twice by the Government once in 1967 and again in 1969, extending the date up to 31-12-1970. Thereafter, depending upon the circumstances, the Wakf Boards were advised to approach their State Governments for carrying out local amendments to the Public Wakfs (Extension of Limitation) Act, 1959.

In so far as the Union Territory of Delhi is concerned, the limitation was extended once in 1974 up to 31-12-1976 and again in 1978 up to 31-12-1980.

As the survey of wakfs in the Union Territory of Delhi is still in progress and the Delhi Wakf Board is not in a position to institute legal proceedings in a number of cases, the Delhi Wakf Board, has approached the Delhi Administration, for further extension of period of limitation up to 31-12-1985. Such extensions have already been in existence in Andhra Pradesh, Bihar, Karnataka, Punjab and Tamilnadu. It is in the process of being extended in Haryana, Kerala, Madhya Pradesh and Orissa also.

In view of the genuine difficulty of Delhi Wakf Board, the Bill for extension of period of limitation has become necessary.

I now move that the Bill be taken for consideration of the House.

I beg to move:

"That the Bill further to amend the Public Wakfs (Extension of Limitation) Act, 1959, as in force in the Union territory of Delhi, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

MR. CHAIRMAN: Motion moved.

"That the Bill further to amend the Public Wakfs (Extension of Limitation) Act, 1959, as in force in the Union Territory of Delhi, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

Shri Abdul Samad to speak.

SHRI ABDUL SAMAD (Vellore): I rise to support this Bill for the Public Wakfs (Extension of Limitation) (Delhi Amendment) Bill, 1982.

Properties worth several crores of rupees belonging to the various Wakfs are usurped by certain interested parties and almost every day this sort of misappropriation is going on in this country. It is a heinous crime committed not only against the law of our land but also the law of God.

Wakfs are created by rightous people for specific purposes of charity. But, unfortunately in most of the cases, these sacred trusts are mismanaged and the income out of them is misused.

If these properties are properly managed and the income accrued out of it is spent according to the wishes of the original Wakfs, most of the problems of the minority Muslim community could have been solved.

Even after the enactment of Public Wakfs Act of 1959 hundreds of crores of rupees worth of wakf properties are outside the purview of this Act, not only in the Metropolitan city of Madras, but also throughout the country. Hence I extend my solid support to this Bill.

But, merely passing the Bill would not help in solving thet problems of brnging the properties of wakfs under the purview of the said law. There must be a concerted effort on the part of the officials and members of the Board. Wide publicity must be given about the implication of this Act and the importance of bringing such usurped properties, under the purview of this Act. I would even suggest announcing of offering certain incentives such as cash awards for informing the respective Wakf Boards about the illegal occupants of the Wakf properties and about the people who are in actual possession of such properties.

17.00 hrs.

In many of the States, the respective Governments themselves are the real culprits. Wakf properties worth several crores of rupees and the land which could fetch fabulous prices are given away by certain Governments for constructing cinema-houses and putting up liquor shops and housing apartments to oher influential parties much against the wishes of the original waqifs and without paying adequate compensation for the wakfs thus alienated.

Since waqfs are created mainly for religious and charitable purposes, Government should see to it that the properties belonging to such sacred trusts are not given for conducting any anti-religious and anti-social activities. All the cinema-houses and liquor shops in waqf lands should be removed or demolished. There must be specific instruction to the Muthawallis not to give on lease or rental basis any of the waqf properties for the above-said purposes.

Further, Sir, in many of the States, Wakf Boards are not constituted according to the provisions of the State Act. This is the case specially with my State, Tamil Nadu. More than 7,000 waqfs of Tamil Nadu have been entrusted in the hands of a person who pays no heed to any one of the established traditions of the Muslim community and whose *bona fide* of being a Muslim is also widely discussed in many of the religious seminars; he has been thrust upon the Muslim community as Chairman of the Wakf Board by the ADMK Government. It seems, he has taken a vow not to do any good but to wreak vengeance upon all respected Muthawalis and Jamiaths. A no-onfidence motion was moved against this chair man, and nine out of the eleven members voted for the motion. Instead of giving effect to this Resolution, the ADMK Government, which is totally opposed to the Muslim aspirations and sentiments dissolved the Board and asked that discredited person to form the Board stuffed with his own yes-men. After the formation of this Board, a lot of discontent erupted in the entire State and no business of the Board is conducted according to the established norms of procedures. Therefore, I want to avail myself of this opportunity to demand the Government of India to appoint an Inquiry Commission to go into the affairs of the Tamil Nadu Waqf Board under the leadership of the present Chairman. If such a Commission is constituted, more than one thousand people are prepared to file their affidavits.

Sir, in order to check such wrong-doings by any person in any State Waqf Board I want to impress upon the Government to bring forth a comprehensive Waqf Amendment Bill at an early date in this House. Some initiative was taken some time ago by the then Minister of Law, Shri Shiv Shankar, and an assurance was also given that such a Bill would be introduced in this Session. But no explanation has been given for not bringing forth such a legisaltion so far. I request the hon. Minister to introduce that Bill at least in the next Session.

With these words, I support this Bill.

श्री समीनुद्दीन (गोड्डा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस वक्फ बिल की पुरजोर ताईद करता हूं। साथ ही साथ इज-हारे ख्याल के तौर पर चन्द बातें पेश कर देना जरूरी समझता हूं। सुन्नी वक्फ

[श्री समीनद्दीन]

की दो किस्में हैं, वक्फ दो तरह के होते हैं। एक वक्फ आम और दूसरा वक्फ अलल औलाद। वक्फ आम वह है जो मजहबी कामों के लिए और इक्तसादी कामों के लिए उसी फिरके के लिए होना चाहिए जिस फिरके का वह वक्फ है। वक्फ अलल औलाद वह है अगर किसी का बाप अपनी औलाद के लिए वक्फ कर दे तो वह औलाद उसकी पैदावार को, आमदनी को खा सकती है, मगर बेच नहीं सकती। वक्फ जायदाद का फरोख्त करना नाजायज है। मुझे इस बात का अफसोस है कि दिल्ली शहर में 1200 केसेज ऐसे हैं... और ये केसिज कब हुए? 1947 के बाद, जब पाकिस्तान और हिन्दुस्तान का बंटवारा हुआ, तो 1200 वक्फ जायदादों में गड़बड़ी पैदा हुई, और इस गड़बड़ी को पैदा करने के लिए यहां की सरकार की भी शिकायत है। मौलाना होवेजुलरहमान साहब ने 1947 के बाद मस्जिदों और कब्रिस्तानों को वापस लेने के लिए दौड़-धूप की। इसमें कुछ थोड़ी सी कामयाबी हुई। जब वक्फ बोर्ड 1962 में कायम हुआ, तो उसने वक्फ जायदादों को लौटाने के लिए मुकदमें किए। अब तक 1200 केसिज में से सिर्फ 70 केसिज का निबटारा हो सका है और बाकी केसिज का निबटारा नहीं हो सका है। वह ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है।

इसी तरह से बहुत से लोग व्यक्तिगत तरीके से बोगस मुतवल्ली हो गए हैं और होटल खुल गए हैं, मकानात को तफरीहगाह बना लिया गया है। अगर किसी वयक्ति ने इस किस्म का गसबन कब्जा किया है, तो वह व्यक्तिगत हैसियत है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दिल्ली में मालवीय नगर के कबरिस्तान पर डी.डी.ए. ने कब्जा कर लिया है। इसी तरह से निजामुद्दीन में डी.डी.ए. ने पुल बनाने के सिलसिले में सड़क के लिए कबरिस्तान को दखल कर लिया है। पूर्वी मार्ग, बंसत बिहार, सैल नं. 260 में कबरिस्तान को डी.डी.ए. ने पार्क बना दिया है। जब हुकूमत के अधिकारी वक्फ की जायदाद पर कब्जा करते हों, उसकी इज्जत न करते हों, तो व्यक्तिगत लोगों को क्या कहा जा सकता है?

इस सिलसिले में मैं सब से बड़ी बात यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली एक ऐसा शहर है, जहां हजारों बरसों से हुकूमतें बनती रही और टूटती रही हैं। यहां पर कभी राजपूतों की हुकूमत थी, फिर मुगलों की हुकूमत थी, फिर अंग्रेजों की हुकूमत हुई और आज कौमी हुकूमत है। मगर दिल्ली में जितने मजहबी इरादे या इबादतगाहें बनी हुई हैं, चाहे वह किसी मजहब की हों, बुद्दिस्ट, हिन्दू, सिख या ईसाई मजहब की हों, को मानने वालों को हक है कि व उनमें उनकी मरम्मत कर सकें, उनमें इबादत कर सकें और उनको तरक्की दे सकें। मगर दिल्ली में अंग्रेजी दौर से यह कानून है कि आज तक जो मस्जिदें मुगल दौर में बनी हैं, उन्हें आसारे-कदीमा के तौर पर रखा गया है, उन्हें मानने वाले लोगों के हवाले नहीं किया जाता है और न उनकी मरम्मत होती है। नतीजा यह होगा कि ऐसी मस्जिदें गिर जाएंगी, ढह जाएंगी। गुरुद्वारे, गिरजा और मंदिर को मानने वालों का हक है कि व उनमें इबादत कर सकते हैं उनकी मरम्मत कर सकते हैं और उन्हें बढ़ा सकते हैं। फिर वही हक मस्जिद को मानने वालों को भी मिलना चाहिए, लेकिन दिल्ली में उन्हें यह हक नहीं है। दिल्ली में मुगल दौर की बहुत सी मसजियों, दरगाह और मजारात ऐसे हैं, जिन्हें आसारे-कदीमा करार दिया गया है, हालांकि वक्फ के गजेट में दर्ज हैं कि वे वक्फ जायदादें हैं, जो सरासर प्रजातन्त्र के खिलाफ है। ऐसा हक सभी मजहब वालों को बराबर होना चाहिए। जहां कहीं कोशिशें की गई हैं बहुत मुश्किलों के बाद उस को निजात मिली है। तुगलक की मस्जिद बंसत बिहार में है, उस को डी.डी.ए. ने तफरीहगाह बना लिया था। बहुत कोशिश करने के बाद अब उस को वापस कर दिया गया है। शेरशाह की बहुत बड़ी मस्जिद है, वीरान पड़ी हुई है, चारों तरफ से टूट रही है। जनपथ की मस्जिद है और पहाड़गंज की मस्जिद में होटल खोला हुआ है। अफ-

सोच इस बात का है कि राजधानी में अगर इस किस्म की बातें होती हैं तो पूरे हिन्दुस्तान में क्या होता होगा ?

मैं एक चीज बतला देना चाहता हूं। जब कि मैंने 1950-51 में सऊदी अरब का दौरा किया तो एक अरबी ने कहकहा लगाते हुए मुझसे यह पूछा कि तुम कहां से आए हो ? मैंने कहा कि हिन्द से आया हूं । तो उस ने कहा जहां मुसलमानों को दिन रात काटा जाता है और उन की मस्जिदों और कब्रिस्तानों को दखल किया जाता है ? मैंने कहा यह सब झूठ है, यह पाकिस्तानियों का प्रोपेगेंडा है । हम मुकेश 1786 एल. एस. 9-14 10-9-82 लोग वहां मुतमईन हैं । मैंने कहा कि जिस हिन्दुस्तान के बारे में आप ऐसा कह रहे हैं वहां एक मुसलमान मौलाना अबुल कलाम आजाद वजीरे तालीम हैं ।

लेकिन जब मैं हिन्दुस्तान आया और दिल्ली में देखा तो मालूम हुआ कि बहुत सी मस्जिदें हमारे कब्जे में नहीं हैं । जनपथ की मस्जिद, पहाड़गंज की मस्जिद, जैबुन निशा वाली मस्जिद इत्यादि हमारे कब्जे में नहीं हैं । इन सारी की सारी मस्जिदों में या तो घोड़े बांधे जाते हैं, होटल खोले हुए हैं या डी.डी.ए. ने उन पर कब्जा कर रखा है । राजधानी के अंदर यह चीज जो मुस्लिम फिरके के साथ की जा रही है पूरी दुनिया में इस की शोहरत फैलती है और हुकूमत की बदनामी होती है ।

साथ ही साथ मैं यह कह देना चाहता हूं कि जो आज वक्फ बोर्ड है वक्फ बोर्ड के जरिए भी बहुत कुछ गदरबूद हुआ है । बहुत जायदाद बेची गई है और उन जायदादों से जो आमदनी होती रही है उन पैसों का गबन किया गया है । जरूरत इस बात की है कि कम से कम दिल्ली वक्फ बोर्ड को बदला जाए और ऐसे लोगों को दिल्ली वक्फ बोर्ड में लाया जाए जिन को खुदा का डर हो और वक्फ की जायदाद की आमदनी को सार्वजनिक मुस्लिम कामों में लगाएं, जैसे मुस्लिम प्रसंनलाट-बोर्ड का जमातुल हिन्द-उलमा इबादतगाहों को इबादतगाह समझ कर उस की मरम्मत भी करें और उस से जो आमदनी हो उसे वह मस्जिदों में लगाएं । यह मेरी तजवीज है और इस तजवीज के तहत हुकूमत को चाहिए कि इस सिलसिले में वह सख्त कदम उठाए । यह मकूला है कि ऐसी बात न कहा करो जो खुद न करो । इसी तरह हुकूमत को यह लाजिम है, उस की कार्यवाहियों का उसी वक्त असर होगा जब वह खुद इस तरह की कार्यवाहियां बंद करे । आप किस को कहिएगा, किस को नसीहत कीजिएगा जब खुद ही आप ऐसा करते रहिएगा ? मस्जिदों पर कब्जा, दरगाहों और मजारों पर कब्जा, उन को तफरीहगाह बनाना और कब्रिस्तानों पर सड़क बनाना, ये काम तो हुकूमत खुद कर रही है तो वह कहेगी किस को ? इस लिए सब से पहले जरूरत इस बात की है कि हुकूमत इन बातों से बाज आए तभी इस का असर अवाम पर होगा और अवाम जो इस पर जबर काबिज है वह उस से बाज आएगा ।

شری شمس الدین (گونڈہ) :

اپ ڈپٹی سپیکر صاحب - میں اس وقف بل کی پرزور تائید کرتا ہوں ساتھ ہی ساتھ اظہار خیال کے طور پر چند باتیں پیش کر دینا ضروری سمجھتا ہوں - پہلی وقف کی دو قسمیں ہیں - وقف دو طرح کے ہوتے ہیں - ایک وقف عام اور دوسرا وقف ال اولاد - وقف عام وہ ہے جو مذہبی کاموں کے لئے اور اقتصادی کاموں کے لئے اسی فرقے کے لئے ہونا چاہئے جس فرقے کا وہ وقف ہے - وقف ال اولاد وہ ہے اگر کسی کا باپ اپنی اولاد کے لئے وقف کر دے تو وہ اولاد اس کی پیداوار کو آمدنی کو کھا سکتی ہے مگر بیچ نہیں سکتی - وقف جائداد کا فروخت کرنا ناجائز ہے - مجھے اس

[شری شمیم الدین]

بات کا افسوس ہے کہ دلی شہر میں ۱۲۰۰ کیسز ایسے ہیں ... اور یہ کیسز کب ہوئے - ۱۹۴۷ع کے بعد جب پاکستان اور ہندوستان کا بٹوارہ ہوا تو ۱۲۰۰ وقف جائدادوں کے بارے میں گڑبڑ پیدا ہوئی اور اس گڑبڑ کو پیدا کرنے کے لئے یہاں کی سرکار کی بھی شکایت ہے - مولانا حفیظ الرحمن صاحب نے ۱۹۴۷ع کے بعد مسجدوں اور قبرستانوں کو واپس لینے کے لئے دوڑ دھوپ کی - اس میں کچھ تھوڑی سی کامیابی ہوئی - جب وقف بورڈ ۱۹۶۲ع میں قائم ہوا تو اس نے وقف جائدادوں کو لوٹانے کے لئے مقدمے کئے - اب تک ۱۲۰۰ کیسز میں سے صرف ۷۰ کیسز کا نپٹارا ہو سکا ہے اور باقی کیسز کا نپٹارا نہیں ہو سکا ہے - وہ جیوں کا تیوں پڑا ہوا ہے -

اسی طرح سے بہت سے لوگ ویکتی گت طریقے سے بوگس متولی ہو گئے ہیں - اور ہوٹل کھل گئے ہیں مکانات کو تعمیر کا بدلا لیا گیا ہے - اگر کسی ویکتی نے اس قسم کا کہیں قبضہ کر لیا ہے تو وہ ویکتی گت حیثیت سے ہے لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دلی میں مالویہ نگر کے قبرستان پر ڈی - ڈی - اے - نے قبضہ کر لیا ہے - اسی طرح سے نظام الدین میں ڈی - ڈی - اے - نے پل بنانے کے سلسلے میں سڑک کے لئے قبرستان کو دخل کر لیا ہے - پوروی مارگ وسنت وہار سہل نمبر ۲۶۰ میں قبرستان کو ڈی - ڈی - اے - نے پارک بنا دیا ہے - جب حکومت کے ادھیکاری وقف کی جائداد پر قبضہ کرتے ہوں اس کی عزت نہ کرتے ہوں تو ویکتی گت لوگوں کو کیا کہا جا سکتا ہے -

اس سلسلے میں میں سب سے بڑی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دلی ایک ایسا شہر ہے جہاں ہزاروں برسوں سے حکومتیں بنتی رہی اور ٹوٹتی رہی ہیں - یہاں پر کبھی راجپوتوں کی حکومت تھی پھر مغلوں کی حکومت تھی پھر انگریزوں کی حکومت ہوئی اور آج قومی حکومت ہے - مگر دلی میں جتنے مذہبی ادارے یا عبادت گاہیں بنی ہوئی ہیں چاہے وہ کسی مذہب کی ہوں بدھ اسٹ ہندو سکھ یا عیسائی مذہب کی ہوں انہیں ماننے والوں کو یہ حق ہے کہ وہ ان کی مرمت کر سکیں ان میں عبادت کر سکیں اور ان کو ترقی دے سکیں - مگر دلی میں انگریزی دور سے یہ قانون ہے کہ آج تک جو مسجدیں مغل دور میں بنی ہیں انہیں آثار قدیمہ کے طور پر رکھا گیا ہے انہیں ماننے والے لوگوں کے حوالے

نہیں کیا جاتا ہے اور نہ ان کی مرمت ہوتی ہے نتیجہ یہ ہوگا کہ ایسی مسجدیں گر جائیں گی ڈھے جائیں گی - گردوارے گرجا اور مندر کو ماننے والوں کو حق ہے کہ وہ ان میں عبادت کر سکتے ہیں ان کی مرمت کر سکتے ہیں اور انہیں بڑھا سکتے ہیں - پھر وہی حق مسجد کو ماننے والوں کو بھی ملنا چاہئے لیکن دلی میں انہیں یہ حق نہیں ہے - دلی میں مغل دور کی بہت سی مساجد درگاہیں اور مزارات ایسے ہیں جنہیں آثار قدیمہ قرار دیا گیا ہے حالانکہ وقف کے گزٹ میں درج ہے کہ وہ وقف جائدادیں ہیں - جو سراسر پرجا تنتر کے خلاف ہیں - ایسا حق سبھی مذہب والوں کو برابر ہونا چاہئے - جہاں کہیں کوششیں کی گئی ہیں بہت مشکلوں کے بعد اس کو نجات ملی ہے تغلق کی مسجد وسنت وہار میں ہے اس کو ڈی - ڈی - اے - تفریح گاہ بنا لیا تھا - بہت کوشش کرنے کے بعد اب اس کو واپس کر دیا گیا ہے - شہر شاہ کی مسجد بہت بڑی مسجد ہے اور پہاڑ گنج کی مسجد میں ہوٹل کھولا ہوا ہے - افسوس اس بات کا ہے کہ راجدھانی میں اگر اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں تو پورے ہندوستان میں کیا ہوتا ہوگا -

میں ایک چیز بتلا دینا چاہتا ہوں - جب میں ۱۹۵۰-۵۱ء میں سعودی عرب کا دورا میں نے کیا تو ایک عربی نے قہقہہ لگاتے ہوئے مجھ سے یہ پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو - میں نے کہا کہ ہند سے آیا ہوں - تو اس نے کہا جہاں مسلمانوں کو دن رات کاٹا جاتا ہے اور ان کی مسجدوں اور قبرستانوں کو ختم کیا جاتا ہے - میں نے کہا یہ سب جھوٹ ہے یہ پاکستانیوں کا پروپیگنڈہ ہے - ہم لوگ وہاں مطمئن ہیں - میں نے کہا کہ جس ہندوستان کے بارے میں آپ ایسا کہہ رہے ہیں وہاں ایک مسلمان مولانا ابوالکلام آزاد وزیر تعلیم ہیں - لیکن جب میں ہندوستان آیا اور دلی میں دیکھا تو معلوم ہوا کہ بہت سی مسجدیں ہمارے قبضے میں نہیں ہیں - جن پتھر کی مسجد پہاڑ گنج کی مسجد جوبلی الانسا والی مسجد اتحادی ہمارے قبضے میں نہیں ہیں - ان ساری کی ساری مسجدوں میں یا تو گھوڑے باندھے جاتے ہیں ہوٹل کھولے ہوئے ہیں یا ڈی - ڈی - اے - نے ان پر قبضہ کر رکھا ہے - راجدھانی کے اندر یہ چیز جو مسلم فرقے کے ساتھ کی جا رہی ہے پوری دنیا میں اس کی شہرت پھیلتی ہے اور ہماری حکومت کی بد نامی ہوتی ہے -

[شری شمن الدین]

ساتھ ھی ساتھ میں یہ کہہ دینا چاھتا ھوں کہ جو آج وقف بورڈ ھے وقف کے ذریعہ بھی بہت کچھ غدر بود ھوا ھے - بہت زیادہ جائداد بھچی گئی ھیں اور ان جائدادوں سے جو آمدنی ھوتی رھی ھے ان پیسوں کا غبن کیا گیا ھے - ضرورت اس بات کی ھے کہ کم سے کم دلی وقف بورڈ کو بدلا جائے اور ایسے لوگوں کو دلی وقف بورڈ میں لیا جائے جن کو خدا کا ڈر ھو اور وقف کی جائداد ھلد کی آمدنی کو ساروجنک مسلم کاموں میں لگائیں جیسے مسلم پرسنلات بورڈ وا جمیعۃ العلما عبادت گاھوں کو عبادت گاہ سمجھ کر اس کی مرمت بھی کریں - اور اس سے جو آمدنی ھو اسے وہ مسجدوں میں لگائیں - یہ میری تجویز ھے اور اس تجویز کے تحت حکومت کو چاھئے کہ اس سلسلے میں وہ سخت قدم اٹھائے - یہ مقولہ ھے کہ "دوسروں کو ایسی بات نہ کہا کرو جو خود نہ کرو -" اسی طرح حکومت کو یہ لازمی ھے اس کی کاروائیوں کا اسی وقت اثر ھوگا جب وہ خود اس طرح کی کاروائیاں بلد کرے - آپ کس کو کہئے گا - کس کو نصیحت کیجئے گا - جب خود ھی آپ ایسا کرتے رھئے گا - مسجدوں پر قبضہ درگاھوں اور مزاروں پر قبضہ ان کو تفریح گاہ بنانا اور قبرستانوں پر سڑک بنانا یہ کام تو حکومت خود کر رھی ھے تو وہ کہے گی کس کو - اس لئے سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ھے کہ حکومت ان باتوں سے باز آئے تبھی اس کا اثر عوام پر ھوگا اور عوام جو اس پر قصداً قابض ھیں وہ اس سے باز آئے گا -

श्री सैयद मसुदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : मैं इस बिल का समर्थन करता हूं लेकिन समर्थन करते हुए भी मैं यह बताऊंगा कि यह सरकार जो इस बिल को सदन में पेश किए हुए है यह बिल्कुल बेकार है। बेकार इसलिए कि जो ओरिजिनल एक्ट, 1959 इस सदन में पास हुआ था, उसमें कई बार अमेंडमेंट किए गए हैं। 1967, 1969, 1972, 1974, 1978---इस प्रकार पांच मर्तबा इस बिल में अमेंडमेंट हो चुका है, लेकिन जायदाद जहां थी, वहीं है और वहां से वापिस नहीं आयी है। जिसके कब्जे में वह जायदाद है, वह उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सरकार की भी नीयत नहीं है, उसको वापिस लाने की।

श्री जी.एम. बनातवाला : जायदाद की बात अलग है, सर्वे नहीं हो रहा है।

شری جی - ایم - بنات والا :

جائداد کی بات الگ ھے - سروے نہیں ھو رھا ھے -

श्री सैयद मसुदल हुसैन: सरकार की नीयत नहीं है। राज्य सभा में इस बारे में मंत्री महोदय द्वारा जवाब दिया गया था। 22-23 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस बिल के पास होने के बाद भी इसमें सर्वे कम्पिलिट नहीं हुआ है। उसकी जिम्मेदारी किस पर है? सरकार की नीयत नहीं है सर्वे कम्पलिट कराने की। जो इल्लिगली वक्फ प्रापर्टी को कब्जा किए हुए बैठे हैं। जिसको प्रापर्टी मिली हुई है, वह सोचता है कि अगर इसके लिए

दो-चार हजार जाता है, तो वह परवाह नहीं करता है। एडमिनिस्ट्रेशन जिसकी यह जिम्मेदारी है वह भी उसको वापिस लेना चाहता है, क्योंकि वह भी देखता है कि उसको दो-चार हजार मिल रहा है। वक्फ प्रापर्टी अगर वारिस आ जाएगी तो मेरा घाटा हो जाएगा। वह यह सोचता है कि जब तक इल्लिगली दखली प्रापर्टी दूसरे के हाथ में रहेगी, तब तक मेरा फायदा है। इस संबंध में मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि 1985 तक इसमें लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड होने वाला है। 1985 में आप फिर इस सदन में एक और बिल लायेंगे कि इसको 1990 तक एक्सटेंड कर दिया जाए। इस प्रकार एक्सटेंड होता रहेगा, लेकिन कुछ काम नहीं होगा। यदि आप कुछ काम करना चाहते हैं, तो मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं।

वेस्ट बंगाल में इस संबंध में बंगाल वक्फ एक्ट 1934 है, उसके मुताबिक कमीशनर आफ वक्फ होते हैं। वे ही सब वक्फ प्रापर्टी के ओवर-हाल सुपरवीजन मेन्टेनेन्स और एडमिनिस्ट्रेशन के मालिक होते हैं। इस संबंध में कमीशनर आफ वक्फ को पावर दी गई है कि अगर कोई प्रापर्टी इल्लिगली ट्रांसफर हो गई है या दूसरे ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है इस हालत में अगर उस वक्फ प्रापर्टी की कोई मुतवल्ली न हो या तो मुतवल्ली है लेकिन वे ट्रांसफर हुई प्रापर्टी को वापिस लेने को तैयार नहीं हैं, ऐसी हालत में।

The Commissioner of Wakfs in the competent person to file a suit as a plantiff against the stranger - purchaser or the illegal occupant.

इस प्रकार की बात उसमें लिखी हुई है। उस एक्ट में इतना तक कहा गया है कि कोई भी प्रापर्टी वक्फ बोर्ड में इन्रोल नहीं है और कमीशनर को यह मालूम हो गया है कि वह प्रापर्टी कभी भी वक्फ प्रापर्टी के हिसाब से ट्रिट होता था और मुतवल्ली ने इसको बेच दिया है या परसनल प्रापर्टी के हिसाब से ट्रीट कर रहे हैं, इस प्रकार की खबर यदि उसको किसी भी तरह से मिल चुकी है या परसनल कोरेसपोंडेन्स से मिलती है, तो उसको यह पावर है कि वह प्रापर्टी को इन्रोल कर सकता है। उन की इस बारे में जो फाइडिंग होगी, वह बंगाल वक्फ एक्ट, 1934 के मुताबिक जूडीशियल फाइडिंग के बराबर है। इस पर आप ध्यान दीजिए।

कोर्ट फीस के बारे में मुझे यह कहना है कि अगर लाखों रुपए की जायदाद भी होती है और प्रापर्टी की रिकवरी का अगर मामला हो, तो एड वलोरम कोर्ट फी की जरूरत होगी। इस के बारे में कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बैंच का 1954 का एक डिवीजन है, रिपोर्टेड इन 1954, कलकत्ता पेज 101। इस में साफ बताया गया है कि वक्फ प्रोपर्टी का हकीकत में जो मालिक होता है, वह अल्ला होता है और अल्ला तो मामला करने के लिए आता नहीं और मामला करने के लिए कमिश्नर साहब जाते हैं, जिन का इस वक्फ प्रापर्टी में जो इन्ट्रेस्ट होता है वह बहुत लिमिटेड होता है और वे सिर्फ सुपरवीजन, एडमिनिस्ट्रेशन और मेन्टीनेन्स पर ही ध्यान देते हैं और उन के पर्सनल गेन का कोई सवाल नहीं होता, इसलिए इस पर एड वलोरम फीस नहीं लगेगी और इन के लिए तो जो नामीनल फीस जो डेक्लेरेशन आफ टाइटिल और परमानेंट इंजंक्शन के लिए है, उतनी ही कोर्ट फीस से काम चल जाएगा। तो इस पर आप ध्यान दें। आप कह रहे हैं कि जो जायदाद है, पैसे की वजह से और साधन की वजह से उस के लिए कुछ करने के बारे में अमल नहीं हो रहा है। यह जो आप कह रहे हैं यह कुछ लोगों को गार्ड करने के लिए कह रहे हैं और आम पब्लिक को गुमराह करने के लिए ऐसा कर रहे हैं।

[श्री सैयद मसूदल हुसैन]

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि बर्नी कमेटी की रिपोर्ट है दिल्ली की वक्फ प्रोपर्टी के बारे में । 1974 में 23 मई को उस की मीटिंग हुई थी और उस की जो फाइंडिंग्स हैं, वे आप के खिलाफ हैं और उस मीटिंग में दि दैन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, मिनिस्टर आफ वक्फ मरहूम फखरुद्दीन अली अहमद साहब थे । अब आप उस पर भी गौर नहीं कर रहे हैं ।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर): उन की क्या फाइंडिंग्स हैं, वे पढ़ दीजिए,

श्री सैयद मसूदल हुसैन : मैं उस को पढ़ देता हूं ।

"Lastly the Committee recommended that the Wakfs which were in dilabitated condition and were not capable of use and such of the Wakfs which were non-existent at site and where the Government had already constructed buildings, etc. should be given to the Government and the Delhi Wakf Board should withdraw its claim over these properties."

इस के बारे में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है । जहां तक दिल्ली की बात है, इस में बहुत सी मिनिस्ट्रीज इन्वाल्व्ड हैं, मिनिस्ट्री आफ वर्कस एंड हाउसिंग इंवाल्वड है। बर्नी कमेटी की रिपोर्ट है हालांकि मुझे औरीजिनल रिपोर्ट नहीं मिली है और नोट ही मिला है । औरीजिनल रिपोर्ट को देखने के बाद अगर मौका मिले और मौका तो जरूर मिलेगा क्योंकि 1985 में इस तरह का बिल फिर सदन में आएगा, तब मैं इस के बारे में कहूंगा । तो मेरा कहना यह है कि वक्फ प्रोपर्टी के बारे में बार-बार ऐसा धोका देना ठीक नहीं है । दिल्ली की वक्फ प्रोपर्टी के बारे में आप एक काम्प्रीहेंसिव बिल लाइये और इस प्रोपर्टी की रिकवरी के लिए कोशिश कीजिए । दूसरी स्टेट्स में जो उन के अलग अलग एक्ट हैं, वे मेरे ख्याल से काफी हैं । कर्नाटक में कुछ काम हो चुका है और कुछ होना है ।

अन्त में मैं यही कहूंगा कि बंगाल वक्फ एक्ट जो है, उस के मुताबिक आप एक काम्प्रीहेंसिव बिल दिल्ली के लिए लाइए और इस की प्रोपर्टी को बचाने की कोशिश कीजिए ।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर): डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस बिल की तारीफ करते हुए, इन मौके का खैरमकदम करता हूं कि मुझे वक्फ के बारे में चन्द बातें अर्ज करने का मौका मिला है।

आज वक्फ की जो जायदादें हैं उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है । करोड़ों रुपये की मिल्कियत की ये जायदादें हिन्दुस्तान के हर हिस्से में फैली हुई हैं। इन जायदादों का मकसद मुसलमानों की बेहतरी और बहबूदी के लिए, उनके मजहबी कामों के लिये, उनको इक्तसादी हालत को बेहतर बनाने के लिये है लेकिन आज मैं बहुत दु:ख के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि पूरे मुल्क में, खास तौर पर दिल्ली में वक्फ जायदादों की एक बड़ी लूट मची हुई है । इस लूट में सिर्फ प्राइवेट लोग ही शामिल नही हैं, बल्कि इस लूट में गवर्नमेंट के डिपार्टमेन्ट और गवर्नमेंट की एजेंसियां भी शामिल हैं । खुद दिल्ली में डी. डी. ए. वक्फ जायदादों की सब से बड़ी डकैत है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट वक्फ जायदादों के पीछे पड़ा हुआ है । खुद जब मरकजी हुकूमत की नाक के नीचे दिल्ली में वक्फ जायदादों की लूट मची हुई हो तो डिप्टी स्पीकर साहब आप इस बात का अन्दाजा लगा सकते हैं कि पूरे मुल्क में क्या होता होगा।

वक्फ जायदादें जिस तरह से लूटी जा रही हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1976 में एक वक्फ इंकवायरी कमेटी बनायी गयी थी । उस कमेटी की फाइंडिंग्स में लिखा है —

"With all the Wakf properties situated in the capital, where the land hunger is acute and the land value has been sky-rocketing, the number of unauthorised occupation of Wakf land and property has been on a tremendous scale. As a result of this, not only the individual Wakf institutions have

suffered great losses, but the income of the Delhi Wakf Board has also considerably shrunk under such circumstances."

डिप्टी स्पीकर साहब कमेटी ने फिर आगे लिखा है –

"We are actually distressed to note that while the Central Wakf Minister has been hammering home through several demi-officials upon the State Chief Ministers that all the Wakf properties under illegal occupation of the State Government, local bodies such as Municipalities, Zila Parishad and Panchayats should be handed over to the Wakf Board.....

and wherever a title is disputed, a committee should be formed to settle such questions amicably in respect of the Union Territory of Delhi, Where the Delhi Development Authority and the Delhi Administration are stated to have encroached upon wakf property on a large scale. no such action so far has been taken."

1976 में वक्फ इन्क्वारी कमेटी ने रिपोर्ट दी । इसी रिपोर्ट को देखते हुए गवर्नमेन्ट ने एक बर्नी कमेटी अपाएंट की जो गवर्नमेंट की एजेंसियां डी. डी. ए. या वर्क्स एण्ड हाउसिंग डिपार्टमेंट वगैरह हैं, इनसे जो वक्फ बोर्ड के डिस्प्यूट आफ प्रापर्टी के बारे में चल रहे हैं, उन मामलों का फैसला करेगी। बर्नी साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई । उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी । उस कमेटी की रिपोर्ट भी हमारे सामने है । उस कमेटी ने दिल्ली वक्फ जायदादों को तीन हिस्सों में बांटा है–मस्जिद, दरगाह, कब्रिस्तान । जमीन-जायदाद के जो भी झगड़े थे, उनके बारे में उन्होंने रिपोर्ट दी । रिपोर्ट के पहले हिस्से में उन्होंने कहा –

"The Wakf properties, which are in existence on the site or in the regular use, shall be transferred to the Delhi Wakf Board/Mutawallis and the Government will withdraw its claims to the ownership. The Wakf Board/Mutawallis will be empowered to develop such properties in accordance with the Master Plan and Municipal by-law."

इसमें 88 प्रापर्टीज का जिक्र है, मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, वक्त नहीं है, लेकिन 88 प्रापर्टीज का जिक्र बर्नी कमेटी ने किया है, जिसमें वक्फ बोर्ड को या जो जायदाद मुतल्लवी हैं, उनको प्रापर्टी वापिस कर देनी चाहिए और अधिकार देना चाहिये कि वे दिल्ली मास्टर प्लान के तहत उसका डेवलपमेन्ट कर सकें और जो आमदनी है उसे ले सकें ।

दूसरी कैटेगरी में उन्होंने कहा –

"The wakfs which are non-existent on site and which the Government constructed buildings, parks etc. shall be handed over to the Government The Delhi Wakf Board shall withdraw its claim to this property."

इसमें 11 प्रापर्टीज थी, जिन पर डी. डी. ए. ने या गवर्नमेन्ट एजेंसीज ने अपनी बिल्डिंग्स बना दी थी, पार्क बना दिये थे, उनके कब्जे में चले गए थे, इसलिये बर्नी कमेटी ने 11 जायदादों को डी. डी. ए. को और अन्य गवर्नमेंट एजेंसियों को वापस करने के लिये सिफारिश की ।

तीसरी सिफारिश थी –

"The Wakfs which are in dilipidated condition shall be handed over to the Delhi Wakf Board.

"The Government shall withdraw its claim to the ownership of such properties. The Delhi Wakf Board shall also be permitted to develop them in accordance with the Master Plan and Municipal by-laws. The Delhi Wakfs Board shall develop this work in a befitting manner keeping in view the architecture of the surrounding etc.."

इसमें 47 प्रापर्टीज थी, जिनको गवर्नमेन्ट एजेंसिज को वक्फ बोर्ड को या मुतल्लवी को वापिस करना था । इसके आलावा मस्जिद के लिये, कब्रिस्तान के लिये बर्नी कमेटी ने साफ अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ये सारे कब्रिस्तान और मजिदें वक्फ बोर्ड को या मुतल्लवी को वापिस करनी चाहियें।

[श्री जैनुल बशर]

डिप्टी स्पीकर साहब, बर्नी कमेटी ने सारी प्राप्रटींज को डिमार्क कर दिया था, अलग-अलग कर दिया था, इतनी साफ रिपोर्ट होने के बावजूद मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हुकूमत ने कोई्वाही नहीं की। थोड़ी-बहुत प्रापर्टीज वापिस की हैं, जिसमे काफी लोगों ने दिलचस्पी रखी, दौड़-धूप की, एम पीज ने दिलचस्पी ली, उनको वापिस कर दिया गया है।

लेकिन बहुत तादाद में जायदादें अब भी लोगों के कब्जे में हैं। जो गवर्नमेन्ट के, डी.डी.ए. के तथा दूसरी गवर्नमेंट एजेंसीज के कब्जे में हैं वक्फ बोर्ड की प्रापर्टीज गैर कानूनी तरीके से उनको तो गवर्नमेंट छोड़ नहीं रही है तो प्राइवेट लोगों ने जो एनक्रोचमेन्ट कर रखा है, उसके लिये क्या कहा जाए।

वक्फ बोर्ड के जो मुतवल्ली हैं, जो वक्फ की देखभाल करने वाले हैं वे भी सभी ईमानदार नहीं हैं। खुदा का और ला का डर लगता है तो उन के दिल से खत्म हो गया है। खुद वक्फ के मुतवल्ली जो उनकी देख-रेख के लिए मुकर्रर हैं या वक्फ बोर्ड ने उनको बनाया है या जिन लोगों ने वक्फ किया था और जो मुतवल्ली चले आ रहे हैं उन्होंने भी बहुत सी वक्फ की जायदाद जिस में कब्रिस्तान शामिल हैं, मस्जिदें शामिल हैं, दूसरी जायदादें शामिल हैं उनको बेचना शुरू कर दिया है, उनको बेचते चले जा रहे हैं। वक्फ की जायदाद बिकती नहीं है। वस ए वक्फ, फार एवर ए वक्फ। एक बार जो वक्फ की चीज हो गई वह हमेशा वक्फ की रहती है। उसको बेचा नहीं जा सकता है। उससे आमदनी की जा सकती है, इनकम की जा सकती है। ऐसे लोगों पर भी गवर्नमेंट को नजर रखनी है जो ब्लैक शीप खुद मुसलमानों में हैं, जो वक्फ प्रापर्टीज को बेचते जा रहे हैं उन पर भी कड़ी निगाह रखने की जरूरत है। वक्फ के कानून को आप बदलें। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे वक्फ प्रापर्टीज के साथ आप इन्साफ नहीं कर सकते। आज करोड़ों नहीं बल्कि अरबों की जायदाद पूरे हिन्दुस्तान के मुसलमानों के पास है जिसे उनकी तौलीम को तरक्की देने के लिये, उनकी इक्तसादी हालत बेहतर बनाने के लिये अस्पताल खोलने के लिये और दूसरे चैरिटेबल परपजिज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन वह नहीं हो रहा है। मजबूरन हमें गवर्नमेंट की तरफ देखना पड़ रहा है। आप एक सख्त कानून बनायें जिससे वक्फ प्रापटी का एनक्रोचमेंट न हो सके और इस एनक्रोचमेंट को रोकने के लिए पहले यह जरूरी है कि हुकूमत ने जो एनक्रोचमेंट किया है, उसे को वह छोड़े और एक मिसाल कायम करे दूसरे लोगों के लिये कि गवर्नमेंट ने वक्फ प्रापर्टी सारी छोड़ दी है, वे भी उसको छोड़ दें।

एक आखिरी बात कह कर मैं खत्म करता हूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला है। मैं उसके मैरिट्स में नहीं जाना चाहता। यह कोर्ट का फैसला है। यह बहुत खतरनाक फैसला है। उसने कहा है कि हुकूमत वक्फ प्रापर्टी को जिस में मस्जिद और कब्रिस्तान भी शामिल है एक्वायर कर सकती है और उस पर बिल्डिंग वगैरह बना सकती है। मस्जिद के लिए उसने कहा है कि मुसलमानों के लिए नमाज पढ़ना वहां जरूरी नहीं है, इसलिए मस्जिद को भी एक्वायर किया जा सकता है। आप तो जानते ही होंगे कि मुसलमानों में मस्जिद का क्या रुतबा है, मस्जिद मुसलमानों के लिए जरूरी है या नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले ने बहुत डमेज किया है। इसको दूर करने के लिए मैं आपके जरिये खास कर एग्रिकलचर मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि जब वह-लेंड एक्विजिशन बिल अगले सैशन में लाए तो कम से कम इस बात का बन्दोबस्त जरूर करें कि मजहबी जो जायदादें हैं चाहे वे हिन्दू मजहब से ताल्लुक रखती हों, मुस्लिम मजहब से ताल्लुक रखती हों, सिख मजहब से ताल्लुक रखती हों, एक्वायर नहीं की जाएंगी।

इन अल्फाज के साथ मैं उस बिल की पुरजोर ताईद करता हूं।

श्री गुलाम मोहम्मद खां (मुरादाबाद) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया है ।

मैं आपके सामने इसकी छोटी सी हिस्टरी पेश करना चाहता हूं । 1947 से पहले यहां पर जो खाते-पीते और मालदार मुसलमान थे, उन्होंने कुछ जायदादें वक्फ कीं । उन्होंने तीन तरह से वक्फ कीं । एक तो वक्फ अलल-औलाद यानी उनकी औलाद ही मालिक हो सकती है, और कोई नहीं । दूसरे, मजहबी कामों के लिए वक्फ किया, ताकि उसमें सिर्फ मस्जिद बन सके या दीनी तालीम दी जा सके । तीसरे, समाजी तालीम के लिए जायदाद वक्फ की गई, ताकि स्कूल और यतीमखाने वहां चलाए जा सकें ।

बदकिस्मती हिन्दुस्तान की यह हुई कि 1947 में तक्सीम के बाद जिन लोगों ने वक्फ किया था, वे और मुतवल्ली लोग मय कागजात के मुल्क से बाहर चले गए और कुछ नहीं पता चला कि वक्फ की जायदाद कौन सी और कहां हैं । मरहूम पंडित जी के जमाने में भी यह मामला जेरे-बहस आता रहा । 1954 में पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया गया । उसमें यह तय किया गया कि वक्फ बोर्ड बनाया जाए, वक्फ डेवलपमेंट कौंसिल बनाई जाए और उसका चेयरमैन जनाब फखरुद्दीन अली अहमद को बनाया गया । उसमें यह तय पाया गया कि उन कागजात की तलाश की जाए, ताकि पता चले कि कौन-कौन सी जायदादें वक्फ की हैं । लगभग 1200 से ज्यादा जायदादें कई कामों के लिए वक्फ की गई थीं । तलाश जारी रही । 1959 तक बहुत सी जायदादों का पता नहीं चला, कुछ का पता चल गया । बाज पर बाहर से आए हुए शरणार्थियों ने कब्जा कर लिया ।

फिर इसमें तौसीअ के लिए पार्लियामेंट में बिल आया । इस तरह से पांच बार यह बिल तौसीअ के लिए आया है । अभी तक सर्वे कम्पलीट नहीं हुआ है और न जायदादों का पता चला है । पांच बार एक्सटेंशन देने के मानी ये हैं कि दाल में कुछ काला है । क्यों बार बार एक्सटेंशन दिया जाता रहा है ? ताकि एनक्रोचमेंट पक्का और मजबूत हो जाए, बिल्डिंग, सिनेमा और बाजार बन जाएंगे, तो कोई सवाल ही नहीं रहेगा उन जायदादों को खाली कराने का ।

बहुत सी जायदादें ऐसी हैं, जो इस वक्त गवर्नमेंट के कब्जे में हैं, जैसा कि हमारे दूसरे मुकर्रीन ने फरमाया है, और वह बिल्कुल सही है । जब सरकार ही कब्जा कर रही है, तो फरियाद कहां करेंगे ? मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह पहले सरकार को रोकें, वर्ना यह बिल तो महज एक तमाशा बन जाएगा । सब लोग हंसते हैं कि बार-बार एक्सटेंशन देने का क्या मतलब है, क्या मिल-मिला कर बात खत्म हो जाएगी । 402 केसों का फैसला हो चुका है, लेकिन वे जायदादें भी वक्फ बोर्ड को नहीं दी गई हैं । माफ करें, ऐसा मालूम होता है कि वक्फ बोर्ड अन्दर से गदला है । उसमें वे आदमी रखे जाते हैं, जो बड़े रिटायर्ड आफिसर्ज हों, जिन्हें सरकार के परवरिश करना मकसूद हो, या बड़ी-बड़ी पालीटीशंज को, जिनकी परवरिश करनी हो । वे लोग न काम करते हैं और न देख-भाल करते हैं । बस सरकार की हां में हां मिलाते हैं । डी. डी. ए. और गवर्नमेंट की दूसरी एजेन्सीज ने कब्जा कर रखा है, लेकिन वे सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं देते हैं ।

बर्नी कमेटी 1974 में मुकर्रर की गई थी । 1976 में उसकी रिपोर्ट आ गई । हिन्दुस्तान के तमाम मुसलमान चाहते हैं कि उस रिपोर्ट को लागू किया जाए, लेकिन सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा है । इन 1200 जायदादों की कीमत एक कमेटी ने 158 लाख रुपये लगाई है, जबकि वे हैं करीब 500 करोड़ रुपये की । अगर ये जायदादें मुसलमानों को दे दी जाएं, तो सरकार को उन की मदद करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी । उसकी तरफ से कहा जाता है कि हम तुम्हारे मजहब की और सब चीजों की हिफाजत करेंगे । कम से कम वह

[श्री गुलाम मोहम्मद खां]

वक्फ की जायदादों को देने का छोटा सा काम कर दें, तो मुसलमान अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा और तालीम का कुछ इन्तजाम कर लेगा। आज दिल्ली भर में एक भी इन्टरमीडिएट मुस्लिम कालेज नहीं है, जिसमें कुछ भी तालीम दी जा सके। मैं देख कर आया हूं कि वे टूटी-फूटी बिल्डिंग में चल रहे हैं। वे इस इन्तजार में हैं कि जब वक्फ की आमदनी आ जाएगी, तो हमारा कुछ हो जाएगा। बहुत दिन हो गए हैं इस इन्तजार में। बिल को सपोर्ट तो मजबूरन ही करना पड़ेगा। आप पास कर लेंगे, मेजोरिटी है ही। लेकिन माइनारिटी वाले जो अपोजीशन के लोग हैं वह भी बुरा नहीं कह रहे हैं, वह अच्छा ही कहते हैं कि आपकी गुडविल हो जाएगी अगर आपने कांप्रीहेंसिव बिल ला कर पास कर दिया और एक्सटेंशन न दें। या एक्सटेंशन आप दे दीजिए, नेक्स्ट सेशन में पेश कर दीजिए। अगर पेश हो गया तो कारगुजारी आपकी लिखी जाएगी। हमें तो कुछ मिलगा ही नहीं। वह कहेंगे कि तुम जनता पार्टी में कुछ नहीं कर पाए, कांग्रेस ने कर दिया। गुडविल आप ले लीजिए मुसलमानों की।

थोड़ी रोशनी और डाल दूं। नार्दर्न इंडिया में, यू पी में, बिहार में स्टेट लेजिस्लेशन के जरिये चलाया जाता है और वह कुछ अच्छा भी चल रहा है। यहां तो चलने को तैयार ही नहीं हैं। मस्जिदों का जिक्र बहुत आ गया है। तीस चालीस मस्जिदें, बहुत से कब्रिस्तान और बहुत सी और दीनी चीजें मुसलमानों की जो हैं उन पर अभी पूरा-पूरा कब्जा है। उन को छुड़ाने के लिए बार-बार दरखास्त दी जाती है। जैसा कि बर्नी कमेटी की रिपोर्ट में आया है, सरकार ने जिन चीजों पर कब्जा कर लिया है और लबे सड़क है या कुछ बाहर है और कुछ बिल्डिंगें जिन पर बन चुकी हैं वह सरकार अपने नाम लिखा ले, बाकी चीजें जो उसकी हैं वक्फ बोर्ड को वह उसे दे दे। फैसले के लिए वक्फ बोर्ड तैयार नहीं है। मेरा यह आप से निवेदन है कि बर्नी कमेटी को लागू कर दीजिएगा तो मुसलमानों की तमाम समस्याओं का हल हो जायेगा। इसी तरह का एक काम्प्रीहेंसिव बिल पास करके सब का काम चल जाएगा और वही चीज तमाम हिन्दुस्तान के और स्टेट्स में लागू कर दें। जैसे मिसाल के तौर पर केरल में है, वक्फ की जायदाद से एक यूनिवर्सिटी बन गई है, उस में बिला लिहाजे मिल्लत कोई भी स्टूडेंट दाखिला ले सकता है—हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो किसी पर कोई पाबन्दी नहीं है। अगर इसी तरह की बात कर दें कि यहां की जायदादों से कोई स्कूल बने और बिला लिहाजे मिल्लत हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो, सब उस में दाखिला ले सकें तो बहुत बेहतर होगा। ये चैरिटेबल वक्फ हैं। इसमें यह पैसा लगेगा तो उसका फायदा अकेले मुसलमानों को न मिल कर सब को मिले तो उस से ज्यादा अच्छाइयां बढ़ जायेंगी, समाज की अच्छाइयां बढ़ जायेंगी।

एक और प्वाइंट है। यह जो वक्फ है यह मुस्लिम परसनल ला के तहत चलाया जाता है। मुस्लिम परसनल ला एक अलाहिदा चीज है। उस का अलाहिदा कानून है। शादी इस तरह से होगी, तलाक इस तरह से होगा, औलाद को हक इस तरह से पहुंचेंगे। इसी तरह से अगर यह चीज उस में एड कर दी जाय कि मुस्लिम परसनल ला के तहत यह चलाया जायगा और जो इन जायदादों के स्कूल होंगे उसमें बिला लिहाजे मजहब और मिल्लत सब लोग दाखिला ले सकें, इससे सब लोग फायदा उठाएं तो इस से कौमी यकजहती भी पैदा होगी और हिन्दू मुस्लिम एकता बढ़ेगी। इस का बढ़ना भी हमारे यहां बहुत जरूरी है।

इसलिये ऐसा एक काम्प्रीहेंसिव बिल हो जिसमें तमाम हिन्दुस्तान के लिए गुंजाइश हो एक तरीका हो, अब वह क्या-क्या तरीका निकलेगा वह आए ज्यादा अच्छा जानते हैं। बिहार, बंगाल, यू पी और काश्मीर में जो काम चल रहे हैं उन

से बहुत तसल्ली है लोगों को कि ये बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं और केरल में भी खास मिसालें कायम हुई हैं । यू पी का हाल दिल्ली जैसा ही है । कोई अच्छा नहीं है। वहां तो एन्क्रांचमेन्ट इतना बढ़ गया है कि कोई ठिकाना नहीं है । वहां तो यह हाल है कि हम जाते हैं और देखते हैं कि वक्फ बोर्ड की जायदाद पर कब्जा कर लिया, वक्फ बोर्ड के सेक्रेटरी को कुछ पैसे दे दिए और वह खामोश हो गया । वह भी इसी तवज्जह की मोहताज है जैसे दिल्ली है । यू पी में इस से ज्यादा ही कुछ होगा । कोई अच्छा काम मैं नहीं देख रहा हूं ।

मैं मुरादाबाद से आता हूं जहां मुसलमानों की वक्फ की जायदाद लाखों नहीं करोड़ों रुपये की होगी । कोई इस्तेमाल उस का नहीं होता । उल्टे और खर्चा गवर्नमेंट पर पड़ जाता है । डेफिश्येंसी रहती है । दिल्ली में तो अपना-अपना खर्च बोर्ड चला भी लेते हैं लेकिन मुरादाबाद बाद में कमी रहती है । कलेक्टर साहब कहते हैं कि इसके लिए कुछ न कुछ इंतजाम ऊपर से करो । वक्फ भी वहां कुछ कम नहीं हैं, बहुत ज्यादा हैं । लखनऊ में बहुत बड़ी जायदादें वक्फ की हैं, इलाहाबाद, कानपुर में मैंने देखा है, काफी जायदादें हैं । तो यही मेरी गुजारिश है कि एक काम्प्रीहेंसिव बिल ला कर हिन्दुस्तान के मुसलमानों पर बहुत बड़ा एहसान आप करेंगे। गुडविल आप को मिलेगी, हमें तो कुछ मिलना नहीं है ।

17.50 hrs.

STATEMENT RE: SALE OF TICKETS OF ASIAD TO MEMBERS OF PARLIAMENT

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SUPPLY AND REHABILITION (SHRI BUTA SINGH): Mr Deputy-Speaker, Sir, I am grateful to the hon. Members of both the Houses for showing keen interest in the Ninth Asian Games to be held from 19th November.

The question relating to the sale of tickets to the hon. MPs to enable them and their family members to witness the Games, has been engaging the attention of the Organising Committee and the Parliamentary Forum of Sports. The hon. Chairman, Rajya Sabha, hon. Speaker and you, Sir, have been taking keen interest in the subject. You have been very kind to give me a patient hearing and you have listened to various problems connected with the issue.

Sir, only just now, in your Chamber a meeting was held with the Members of the Parliamentary Forum of Sports. It has been decided in that meeting that the plan for sale of tickets of ASIAD to the MPs will be finalised on tenth i.e. Tuesday. Thereafter, the tickets will be sold in a manner and on dates to be announced later.

As on today, no ticket will be sold on 9th August as announced earlier.

17.51 hrs.

PUBLIC WAKFS (EXTENSION OF LIMITATION) (DELHI AMENDMENT) BILL—*Contd.*

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : उपलब्ध महोदय, मैं इस बिल का हृदय से समर्थन करता हूं । मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश के अन्दर भी वक्फ प्रापर्टीज हैं, उसका सारा का सारा इन्तजाम पंजाब, हरियाणा के वक्फ बोर्ड द्वारा किया जाता है। वहां के मुसलमानों की बहुत बुरी हालत है । जब आप दिल्ली में इस संबंध में समय मांग रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के अन्दर भी आप एक अलहदा वक्फ बोर्ड बनायें, ताकि वहां की सारी की सारी प्रापर्टीज को ठीक प्रकार से कन्ट्रोल किया जा सके । मुसलमानों की आबादी वहां पर भी अधिक है, मेरे नहान जिला है, शिमला में भी है, सोलन में भी है और बिलासपुर में भी - वहां के मुसलमानों के लिए न पढाई का इन्तजाम ठीक प्रकार है और न ही और कोई सुविधायें हैं । उर्दू वहां की सैकेण्ड लैंगवेज है । वहां इस प्रकार की जनता प्रापर्टी है, उस पर मोमडन ने कब्जा कर रखा है और उससे जितनी कमाई होती है वे सब खा जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो उससे आमदनी

[श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी]

होती है, वह बाकयदा नैशनलाइज करके आप उसको अपने सरकारी खजाने में रखें और उनका ठीक प्रकार से विस्तार किया जाए। मेरे पास एक डेप्यूटेशन आया था, जिस ने यह मांग की कि कम से कम आप एक मौलवी लायें, ताकि नमाज तो हम पढ़ना सीख लें। लेकिन उनके पास पैसा न होने की वजह से उनके बच्चे नहीं पढ पाते हैं। जिस तरह से मंदिर के मालिक हिमाचल प्रदेश के अन्दर हैं। मंदिरों की जितनी कमाई आती है, वे सब अपने हिसाब से करते हैं। गुरूद्वारों का संचालन गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा किया जाता है और उनकी यूनिवर्सिटी भी चल रही है। जब गरीबों के ख्याल करने का प्रश्न आता है तो वे कान में उंगली डाल कर नमाज पढते हैं, उनको मुसलमानों की तरक्की का कोई ख्याल नहीं आता है। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर हम वक्फ प्रापर्टी का प्रबन्ध ठीक प्रकार से करना चाहते हैं, तो हमें इसकी कमाई को बड़े ध्यान से खर्च करना चाहिए। जिसके लिए वे जायदादें हैं। जैसा इन्होंने कहा कि दिल्ली में अन्धेरगर्दी हो रही है, तो इस की जांच होनी चाहिए और कौन आदमी ऐसा करता है, उस को देखना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : सरकार करती है।

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : और भी हो सकते हैं बीच में। वक्फ बोर्ड के आदमी भी उस में शामिल हो सकते हैं। सरकार अकेले यह नहीं करती है लेकिन सरकार का जहां तक सम्बन्ध है, मैं यह समझता हूं कि सरकार इस हाउस में ऐसा बिल लाए कि हर राज्य में, हर स्टेट में अलेहदा-अलेहदा वक्फ बोर्ड होने चाहिए ताकि वहां की प्रापर्टी की हिफाजत हो सके।

अब मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आदमी शिमला में मस्जिद में रहते हैं, उन की बहुत बुरी हालत है। वहां पर एक मौलवी ने कब्जा किया हुआ है और वह अम्बाले में रहता है और उन से किराया चार्ज करता है और उन को कोई सुविधा नहीं है। जो मुसलमान वहां पर काश्मीर से आते हैं या दूसरे प्रान्तों से वहां पर जाते हैं, उन को को वहां पर रहने के लिये जगह नहीं मिलती। वहां पर महज एक मस्जिद है, जहां पर इन्तजाम ठीक तरह का नहीं है। मैं समझता हूं कि दिल्ली हो या शिमला हो या अन्य बड़े शहर हों, वहां पर मुसलमानों की प्रोपर्टी का यह हाल है: हमारे यहां डक्साई में जाएं तो वह केन्टोन्मेंट बोर्ड में आता है कसौली में जाए, तो वह केन्टोन्मेंट बोर्ड में आता है, डलहौजी में जाए, तो वह केन्टोनमेंट बोर्ड में आता है और स्पाटू में जाएं तो वह केन्टोन्मेन्ट बोर्ड में आता है और ये जितने केन्टोन्मेन्ट बोर्ड में हैं, वहां पर कोई चीज आप बना नहीं सकते हैं। 1924 का जो एक्ट है, उस के मुताबिक केन्ट में कोई मकान नहीं बना सकता है, कोई जायदाद ठीक नहीं कर सकता। अंग्रेजों के जमाने का यह पुराना एक्ट है और इस को बदलना होगा। कई लोग वैसे ही बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। कानून बनाने के लिए हमारे पास बहुमत है और हम नया कानून, बना कर लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं जिससे उन लोगों में यह विश्वास हो कि यह जो सरकार है, यह उन के बारे में भी कुछ सोचती है। उन की जो जायदाद है, उस की हिफाजत हमें करनी चाहिए और ठीक प्रकार से उसका प्रयोग हो और मिसयूज न हो, यह हमें देखना चाहिए।

इतना कह कर मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के लिए एक वक्फ बोर्ड बनाया जाए और यह जो बिल आप लाए हैं, इस की मैं ताईद करता हूं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Mr. Ratansinh Rajda may speak.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: We are going to pass this Bill. Then only we are going to adjourn. The Business Advisory Committee has already decided. It has been announced also.

SHRI RATANSINH RAJDA: (Bombay South): Sir, near chaotic conditions prevail in India with regard to Wakf properties. That is the situation throughout India. Sir, the present amending Bill has been brought about to extend the limitation because formerly it was up to

31.12.1980. Now, unauthorised occupations are on a very large scale as far as wakf properties are concerned. To enable the recovery of those unauthorised possessions and to enable them to file suits for the recovery, this amendment has been brought about and it is a commendable step taken by the Government. The only thing is that the various speeches that have been made here bring one thing to light and that is whether this Government has got a resolute will, a determination to see that a comprehensive Bill is brought about and all the injustices done so far, which have accumulated all these years, are put to a naught and justice is done as far as all those wakf properties are concerned.

Sir, unauthorised occupations of Wakf properties are on a very large scale. Unfortunately in a place like Delhi, the Capital of India, the survey work is not complete. We do not know how many properties are there, what is their total value or what will be the total valuation of all these properties. It may amount to crores of rupees and in the absence of any survey, one does not know what is happening to all those unauthorised occupations. Nobody is challenging these unauthorised occupants and they run away with their mischief. All these years they have been the beneficiaries without any legal title to all those properties and for that it is very much necessary to regulate and to extend the period of limitation so that we get these properties. It is necessary that this limitation is extended so that within the next five years up to 1985 we will cope up with the situation and all these properties which are under unauthorised occupation are recovered, their possession is taken back and recovery is effected from the clutches of unauthorised occupants.

18.00 hrs.

Sir, I think and I hope that this would be the last extension and during this period, the Government will be able to cope up with the situation and for that energetic and vigorous steps will have to be taken. I hope, this would be the last amendment which will solve this problem to the satisfaction of the minority community in this country.

MR DEPUTY-SPEAKER: Shri Jamilur Rahman.

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am going to call all of you. We are going to complete this Bill and then only, we will adjourn.

SHRI JAMILUR RAHMAN (Kishanganj): Hon. Deputy Speaker, Sir, are you going to extend the time?

MR DEPUTY-SPEAKER: It is already extended. We are going to complete this Bill. All Members whose names are before me will be called to speak, except Shri Sunder Singh because his name is not here!

श्री जमीलूर्रहमान (किशनगंज) : मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे एक मौका इनायत फरमाया है कि मैं इस नन्हे-मुन्हे से वक्फ तरमीमी बिल पर कुछ कहूं । मैं इस बिल का खैरमकदम करता हूं और साथ-साथ इसको सपोर्ट करता हूं । लेकिन मैं चंद बातें कहे बगैर नहीं रह सकता ।...**(व्यवधान)** ...

मैं आपको एक शेर अर्ज करना चाहता हूं :-

हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम।

वे कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता ।

मेरे कहने का मकसद यही है कि इस छोटे-मोटे बिल लाने से कोई मसला हल होने वाला नहीं है । अगर वक्फ जायदादों का सारे हिन्दुस्तान में ठीक से सर्वे हो जाए, जो कि अब तक नहीं हो पाया है तो वे मेरे ख्याल में 15 हजार करोड़ रुपये की हैं । लेकिन 35 वर्ष का अर्सा हो गया, यह अब तक नहीं हो पाया है । यह अफसोसनाक बात है और यह बात जबकि मैं इस सदन में खड़े हो कर कह रहा हूं तो बहुत ही इत्मीनान और जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि यह सिर्फ मेरी ही आवाज नहीं है, यह करोड़ों मुसलमानों की आवाज है ।

[श्री जमीलुर्रहमान]

मेरे ख्याल से अगर वक्फ जायदादों का मसला हल हो जाए तो इस मुल्क का मुसलमान मदद के लिए सरकार की तरफ आंख नहीं उठायेगा। 1947 के बाद से बराबर शोर-शराबा मुसलमानों की तरफ से हो रहा है और कई मर्तबा इस सवाल को उठाया गया। लेकिन कहें तो किस को कहें।

आनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अर्ज करता हूं कि इस मुल्क में सेक्युलरिज्म और वक्फ के चार सब से बड़े दुश्मन हैं। नम्बर एक - लैण्ड एण्ड डवलपमेंट डिपार्टमेंट, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा डी. डी. ए., तीसरे वर्क्स एण्ड हाउसिंग मिनिस्ट्री इन्कलूडिंग रिहेबलिटेशन मिनिस्ट्री और चौथे आरकेलोजिकल डिपार्टमेंट आफ इंडिया।

मुल्क में 1947 में हालात नाजुक थे। उस वक्त हम छोटे-मोटे थे, हम को क्या पता था कि यह क्या चीज है। उन नाजुक हालात में मुसलमानों ने अपने को खतरे में महसूस किया और वे अपनी-अपनी जगहों से दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो गये। 1971 में मुसलमानों में एतमाद आया जबकि श्रीमती इन्दिरा गांधी जीत कर आयी तो वे (मुसलमान) अपनी अपनी जगहों पर जा कर फिर बसे और उन्होंने अपनी-अपनी जगहों को हासिल करने का सवाल उठाया। लेकिन हुआ क्या? अभी तक उन जायदादों को रिलीज नहीं किया गया। इस के लिए हम किस को ब्लेम करें, किस को कहें। यह बात मैं आपके जरिये सरकार को कहना चाहता हूं और कह रहा हूं।

दूसरी बात यह है कि 1974 में बनी कमेटी की इन्टेरिम रिपोर्ट आयी थी। 1976 में रिपोर्ट सबमिट हुई, छः साढे छः साल हो गए हैं, अभी तक जेरे गौर है। कब तक जेरे गौर होगा। उसकी कोई सीमा होनी चाहिए, लिमिटेशन होनी चाहिए। 1985 तक आपने लिमिटेशन बढाने को कहा है। क्या मकसद है? पहले बात दिल और दिमाग में आती है, उसके बाद चेहरे पर और बाद में हाथ-पैर एक्शन में आते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, दिल्ली भारत का दिल है, अगर यहां पर कोई बात होती है तो उसकी हवा सारे देश में फैलती है। यहां पर सैकड़ों दूसरे गैर-मुमालिक लोग रहते हैं, वे भी इस बात को देखते हैं। इसलिए अगर थोड़ी सी भी बात होती है तो पूरे हिन्दुस्तान में उसका जिक्र होता है। तुर्कमान गेट की घटना सही थी या गलत, इस बात में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन 1977 की इस घटना का असर जो हिन्दुस्तान पर पड़ा है वह मेरे और आपके सामने है। इन बातों में मैं नहीं जाना चाहता। बर्नी-कमेटी की रिपोर्ट को छः साल हो गए, क्यों नहीं एक कंप्रहेंसिव बिल आता है। 1985 तक एक्सटेंड करने का क्या मकसद है? ताकि जो बची-खुची वक्फ जायदादें दिल्ली में हैं वे भी साफ हो जाएं।

रिकवरी की कोई बात नहीं आई कि जायदाद वक्फ को या मुसलमानों को वापिस हो, इसकी बात नहीं आई। एक्सटेंशन देने से क्या होगा — इसका मतलब यह होगा कि जैसे शेखूसराय और यूसफसराय में कब्रिस्तान था, उस पर चारों तरफ डी डी. ए. का कब्जा हो गया है। एक मस्जिद भोंठ जहां पहले मुसलमान बसते थे, वे वापिस आ गए हैं, लेकिन वहां पर आर्कलाजिकल डिपार्टमेन्ट का कब्जा है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है और न मस्जिद वापिस हुई है। पुरानी दिल्ली में एक मस्जिद बस टर्मिनल के पास टूट-फूट गई है, मुसलमानों को नमाज पढ़ने की जगह नहीं है। पहाड़गंज की मस्जिद में होटल बन गया है। एक दर्द हो तो आपको बताएं, यह तो लाइलाज मर्ज है।

डिप्टी स्पीकर साहब आप बड़े साफ जहन के आदमी हैं। आप उस स्टेट से आते हैं जहां पढ़े-लिखे लोगों की संख्या ज्यादा है। इसलिए उस बात का असर आप पर भी है। आप खुले जहन के पढे लिखे आदमी हैं, लेकिन मैंने ये जो चार डिपार्टमेंट बताए हैं, उनमें ऐसे लोग हैं, जिनका एक उसूल मालूम होता है, कि उनकी हरकतों से यह मालूम होता है कि जैसे कि वे चाहते हैं कि अकलियत हिन्दुस्तान में न रहे, उनकी जायदाद न रहे। वक्फ को 'डेडी-

केशन आफ गाड' माना है । एक्ट के मुताबिक देखा जाए :-

"(a) "beneficiary" means a person or object for whose benefit a wakf is created and include religious, pious and charitable objects and any other objects of public utility sanctioned by the Muslim law;"

उसके नीचे दिया है --

"(i) Any person who has a right to worship or to perform any religious rite in a mosque, idgah, imambara, dargah, Khangah, Maqbara, grave-yard or any other religious institution connected with the wakf or to participate in any religious or charitable institution under the Wakf;"

आप मोहम्मडन एक्ट में देखेंगे, एक मकसद के तहत वक्फ किया जाता है । उसमें दो किस्म के वक्फ होते हैं - "फार दि पीपुल इन दी नेम आफ गाड" और दूसरा होता है औलादों के लिए । तो क्या ये चारों डिपार्टमेंट क्या इन दोनों चीजों में आते हैं । हमारे हिस्सेदार ये डिपार्टमेंट नहीं हैं और न्ही यह वक्फ अहले औलाद की केटेगरी में आते हैं । चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो ।

इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कि समय मिलना चाहिए और हमारा पूरा समर्थन है, लेकिन आप पूरा बिल लाइए और इस तरह की व्यवस्था कीजिए कि वे मुसलमानों की वक्फ जायदादें बच सकें । जिस परपज के लिए वे जायदाद दी गई हैं, उनको पूरा किया जा सके । स्कूल बनें, कालेज बनें, अस्पताल बनें, डेवेलपमेंट के लिए उपयोग किया जाए । अस्पताल बनें लेडी स्कूल बनें, उनके डिवेलेपमेंट के काम हों ।

मैं आंकडा दे रहा हूं । वक्फों की हालत सारे मुल्क में बुरी है, लेकिन दिल्ली में तो और भी बुरी हालत है । इतनी अफरा-तफरी क्यों मची हुई है? किस वक्त जमीन बेच कर कहीं कोई फरार हो जाएगा पता ही नहीं चलता । सरकार के पास कोई साधन नहीं है कि उसको वापिस लिया जा सके । आप आंकड़ा देखें । 134 जायदाद वर्क्स एंड हाउसिंग के तहत डी. डी. ए. के कब्जे में इस वक्त भी हैं । 108 जायदादें लैंड एंड डिवेलपमेंट के कब्जे में हैं । क्यों इसके बारे में कार्रवाई नहीं हुई है । जब 7-8 मंजिला इमारतें बन जाएंगी तब नींद टूटेगी क्या ? क्या मतलब है इसका ? मैं भीख नहीं मांग रहा हूं । भिखारी नहीं हूं । अपना हक मांगता हूं । इन वक्फ की जायदादों को वापिस कीजिए । इनको लेने वाले दूसरे आदमी नहीं हो सकते हैं, ये चार डिपार्टमेंट लेने वाले नही हो सकते हैं । जो वारिस हैं वही हो सकते हैं । पंद्रह करोड़ मुसलमान हिन्दुस्तान के इनके वारिस हैं ।

अभी तक आप ने सर्वे नहीं किया है इन जायदादों का । कम से कम दिल्ली की जायदादों का आप सर्वे तो करायें और सदन को जो नतीजा नकलें बताएं कि देश में कितनी वक्फ की जायदादें हैं और कितने करोड़ की हैं और दिल्ली में कितनी हैं और कितने करोड़ की हैं ।

MR DEPUTY SPEAKER: When a comprehensive Bill comes, you must give sufficient time for that. You are exhausting everything on this occasion.

SHRI JAMILUR RAHMAN: You must allow me at least 45 minutes. I pray God that you should be in the Chair on that particular day when that comprehensive Bill comes.

प्रेस के बारे में बड़ी लम्बी बात हुई है आज । यह कहा जाता है कि बिहार सरकार ने 292 (ए) ला कर प्रेस के अधिकार में हस्तक्षेप किया है । कालिंग एटेंशन पहले पहर सदन में आया था । एक दो प्रश्न मैं उसके लिये भी रखना चाहता हूं । सदन में उसका जवाब तो नहीं मिल पाएगा । मौलिक अधिकारों का मैं बड़ा हामी हूं अलम्बरदार हूं । प्रेस को नेशनल प्रेस कहा जाता है लेकिन मैं तो इसको कैपिटलिस्टिक प्रेस मानता हूं मैं चाहता हूं कि बताया जाए कि अकलियतों की जायदादों पर जिस कद्र जुल्म हो रहा है और उनकी इकोनोमिक और सोशल हालत जो है, उसकी डिवेलेपमेंट के लिए भी क्या आज तक यह नाम निहादी नेशनल प्रेस ने कुछ लिखा है । क्या हम हिन्दुस्तान के

[श्री जमीलुर्रहमान]

शहरी नहीं हैं ? जब कोई फिसाद का मामला पैदा होता है, गड़बड़ी पैदा होती है, प्रेस वालों को पैट्रोडालर नजर आते हैं। लेकिन क्या उन्होंने कभी यह भी बताया है कि कितने मुसलमान और कितने गैर मुसलमान मुल्क के बाहर हो और वे कितने पैट्रोडालर अलग-अलग हिन्दुस्तान में भेजते हैं? जब पैट्रोडालर्ज का इलजाम लगाया जाता है तो यह भी बताया जाना चाहिए कि कितने मुसलमान हिन्दुस्तान के बाहर हैं और कितने गैर मुसलमान बाहर हैं और दोनों अलग-अलग कितने पैट्रो डालर हिन्दुस्तान में लाते हैं या भेजते हैं। प्रेस की आजादी का मैं बड़ा हामी हूं अलम्बरदार हूं। 1971 से 1977 तक मैं मैम्बर रहा हूं। पार्लियामेंट की कार्यवाही गवाह है कि मैं स्माल और मीडियम न्यूजपेपर्ज का हमेशा हामी रहा हूं। गुजराल साहब मिनिस्टर थे, दीगर लोग भी रहे, शुक्ल जी भी थे, सब इस बात के गवाह हैं कि मैं कितना बड़ा अलम्बरदार स्माल एंड मीडियम न्यूजपेपर्ज का रहा हूं और इस चीज को पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्ज भी साबित कर देंगी। लेकिन यह नाम निहादी नेशनल प्रेस वालों को कौन समझाए।

दरगाह किलोखेड़ी का मामला दिल्ली में अभी भी पैंडिंग है। दूसरा कोई दरगुजर कर सकता है लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस मामले को दरगुजर कर दिया जाए। यह अहम मामला है। इसको दरगुजर होने भी नहीं दूंगा। 29 तारीख को पिछले महीने को मैं खुद वहां गया था।

मैं दरगाह शरीफ गया था। किलोखेड़ी में दरगाह के अलावा छोटे-छोटे कब्रिस्तान भी हैं। डी. डी. ए. के बुलडोजर शान में चल रहे थे। जैसा कि मैंने अर्ज किया है, चार पांच डिपार्टमेंन्ट में ऐसे लोग हैं, जो चाहते हैं कि यहां पर हम लोगों का खातमा हो जाए। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं कि मैं इतना कमजोर-जान नहीं हूं, मैं आसानी से खत्म होने वाला नहीं हूं हिन्दुस्तान से, चाहे वे कितनी कोशिश करें, चाहे कितना दंगा-फसाद करें। हम जिस नेता पर यकीन करते हैं, उसका ईमान है सोशलिज्म और सेकूलरिज्म पर।

MR DEPUTY-SPEAKER: You are a part and parcel of the Indian nation. No question of eliminating.

SHRI JAMILUR RAHMAN: Yes; I claim it. My father claimed it and his father claimed it. My son also will claim it.

अगर रीएक्शनरी फोर्सिज हमें डराना धमकाना चाहती हैं, तो जमीलुर्रहमान और उसकी सात पुश्तों के लोग डरने वाले नहीं हैं।

किलोखेड़ी का मजार एक मुतबर्रिक मकाम है। अभी पिछले महीने 29 तारीख को मैं गया था। मजार में जितनी कबरें हैं, सिवाए पीर साहब के मजार, को सब तोड़ फोड़ कर बराबर कर दी गई हैं। पीने के पानी का जो कुआं था, उसको तोड़ कर बराबर कर दिया गया है। इतना ही नहीं, वहां चार पीपल के दरख्त हैं। उनके चारों तरफ चबूतरा बना दिया गया है और मजार को बन्द कर दिया गया है। आप गौर फरमाएं कि यह किस बात का संकेत है, किस बात की तरफ इशारा है कि एक तरफ तो कबरों को खत्म किया जा रहा है, कुएं को खत्म कर दिया गया है, दूसरी तरफ पीपल के दरख्तों के चारों तरफ चबूतरा बना कर ढोल बजाया जा रहा है। इसके मानी ये हैं कि फसाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है।

इस लिए मेरी गुजारिश है कि मिनिस्टर साहब मेहरबानी फरमा कर एक काम्प्रिहेंसिव बिल लाएं। शेर के मुताबिक कहीं ऐसा न हो कि "हम खाक हो जाएंगे तेरी जुल्फ के सर होने तक"। सरकार लिमिटेशन पीरियड को बढ़ाती जाय और डी. डी. ए., आर्केआलोजिकल डिपार्टमेंट और वर्क्स एंड हाउसिंग डिपार्टमेंन्ट सब वक्फ की खाली जमीनों और मकानों पर कब्जा करता जाए और कोई जायदाद ही न बचे, तो मुकदमा किस बात का? यह बात मैं संकेत के तौर पर कह रहा हूं।

अभी आनरेबल मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड एडमिनिस्ट्रेशन को एपरोच किया और इस लिए जरूरत पड़ी कि वक्फ एक्ट में एमेंडमेंट ला कर उसको लिमीटेशन 1985 के आखिर तक बढा दिया जाए । मुहतरम वजीर साहब को शिकवा किससे है ? - हम लोगों से या इस सदन से ? जो आदमी मुजरिम के कटघरे में खड़ा है, जो इस काम को करा रहा है, लैंड डेवेलपमेंट विंग वही एपरोच कर रहा है कि इस एक्सट को बढाया जाए । इसकी नीयत बहुत खराब है कि टाइम को एक्सटेंड कर के मौका मिले और एक्वायर कर के मुसलमानों की सारी जायदाद को नेस्तो-नाबूद कर दिया जाए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी ।

मेरा दिल चाहता है कि हर एक को उसका जायज हक मिलना चाहिए । यही हमारी पार्टी का असूल है और यही हमारी नेता का उसूल है और हम और हमारी पार्टी इस के बारे में किसी से काम्प्रोमाइस करने के लिए तैयार नहीं है । हम, हमारी पार्टी और हमारी नेता इस गलत रवैये के खिलाफ हर वह कदम उठा सकते हैं, जो जायज और दुरूस्त है ।

شری جمیل الرحمن (کشن گنج) :

محترم ڈپٹی اسپیکر صاحب - میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایک موقع عنایت فرمایا ہے کہ میں اس نئے ملے سے وقف ترمیمی بل پر کچھ کہوں - میں اس بل کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ اس کو سپورٹ کرتا ہوں - لیکن میں چند باتیں کہے بغیر نہیں رہ سکتا - (انٹرپشن) ....

میں آپ سے ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں -

"ہم آہ بھی کرتے ہیں
تو ہو جاتے ہیں بدنام
وہ قتل بھی کرتے ہیں
تو چرچا نہیں ہوتا —"

میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اس چھوٹے موٹے بل لانے سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے - اگر وقف جائدادوں کا سارے ہندوستان میں ٹھیک سے سروے ہو جائے جو کہ اب تک نہیں ہو پایا ہے تو وہ میرے خیال میں پندرہ ہزار کروڑ روپئے کی ہیں - لیکن ۳۵ ورش کا عرصہ ہوگیا یہ اب تک نہیں ہو پایا ہے - یہ افسوس ناک بات ہے اور یہ بات جب کہ میں اس سدن میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں تو بہت ہی اطمینان اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف میری ہی آواز نہیں ہے یہ کروڑوں مسلمانوں کی آواز ہے -

میرے خیال سے اگر وقف جائدادوں کا مسئلہ حل ہو جائے تو اس ملک کا مسلمان مدد کے لئے سرکار کی طرف آنکھ نہیں اٹھائے گا - ۱۹۴۷ء کے بعد سے برابر شور شرابا مسلمانوں کی طرف سے ہو رہا ہے اور کئی مرتبہ اس سوال کو اٹھایا گیا - لیکن کہیں تو اس کو کہیں -

آنریبل ڈپٹی اسپیکر صاحب میں عرض کرتا ہوں کہ اس ملک میں سیکولرزم اور وقف کے چار سب سے بڑے دشمن ہیں - نمبر ایک لینڈ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈیپارٹمنٹ - دلی

[شری جمیل الرحمن]

ایڈ منسٹریشن دوسرا ڈی - ڈی - اے - تیسرے ورکس اینڈ ہاؤسنگ منسٹری انکلوڈنگ دی ہیبلی ٹیشن منسٹری اور چوتھے آرکیولوجیکل ڈیپارٹمنٹ آف انڈیا -

ملک میں ۱۹۴۷ع میں حالات نازک تھے - اس وقت ہم چھوٹے موٹے تھے ہم کو کیا پتہ تھا کہ یہ کیا چیز ہے - ان نازک حالات میں مسلمانوں نے اپنے کو خطرے میں محسوس کیا اور وہ اپنی اپنی جگہوں سے دوسری جگہوں پر شفٹ ہو گئے - ۱۹۷۱ع میں مسلمانوں میں اعتماد آیا جب کہ شریمتی اندرا گاندھی جیت کر آئیں تو وہ (مسلمان) اپنی اپنی جگہوں پر جا کر پھر بسے اور انہوں نے اپنی اپنی جگہوں کو حاصل کرنے کا سوال اٹھایا - لیکن ہوا کیا - ابھی تک ان جائدادوں کو ریلیز نہیں کیا گیا - اس کے لئے ہم کس کو بلیم کریں کس کو کہیں - یہ بات میں آپ کے ذریعہ سے سرکار کو کہنا چاہتا ہوں اور کہہ رہا ہوں -

دوسری بات یہ ہے کہ ۱۹۷۴ع میں برنی کمیٹی کی انٹیرم رپورٹ آئی تھی - ۱۹۷۶ع میں رپورٹ سبمٹ ہوئی چھ ساڑھے چھ سال ہو گئے ہیں ابھی تک زیر غور ہے - کب تک غور ہوگا - اس کی کوئی سیما ہونی چاہئے لیمیٹیشن ہونی چاہئے - ۱۹۷۵ع تک آپ نے لیمیٹیشن بڑھانے کو کہا ہے کیا مقصد ہے - پہلے بات دل و دماغ میں آتی ہے اس کے بعد چہرے پر اور بعد میں ہاتھ پیر ایکشن میں آتے ہیں - ڈپٹی اسپیکر صاحب - دلی بھارت کا دل ہے اگر یہاں پر کوئی بات ہوتی ہے تو اس کی ہوا سارے دیش میں پھیلتی ہے - یہاں پر سینکڑوں دوسرے غیر ممالک کے لوگ رہتے ہیں وہ بھی اس بات کو دیکھتے ہیں - اس لئے اگر تھوڑی سی بھی بات ہوتی ہے تو پورے ہندوستان میں اس کا ذکر ہوتا ہے - ترکمان گیٹ کی گھٹنا صحیح تھی یا غلط اس بات میں میں نہیں جانا چاہتا لیکن ۱۹۷۷ع کی اس گھٹنا کا اثر جو ہندوستان پر پڑا ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے - ان باتوں میں میں نہیں جانا چاہتا - برنی کمیٹی کی رپورٹ کو چھ سال ہو گئے کیوں نہیں ایک کمپری ہینسیو بل آتا ہے - ۱۹۸۵ع تک ایکسٹینڈ کرنے کا کیا مقصد ہے - تاکہ جو وقف کی بچی کچی جائدادیں دہلی میں ہیں وہ بھی صاف ہو جائیں -

ریکوری کی کوئی بات نہیں آئی کہ جائداد وقف کو یا مسلمانوں کو واپس ہوں اس کی بات نہیں آئی - ایکسٹینشن دینے سے کیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جیسے شیخو سرائے اور یوسف سرائے میں قبرستان تھا

اس پر چاروں طرف ڈی - ڈی - اے -
کا قبضہ ہو گیا ہے - ایک مسجد
موتیھ ہے جہاں پہلے مسلمان بستے
تھے وہ واپس آ گئے ہیں لیکن وہاں
پر آرکیولوجیکل ڈیپارٹمینٹ کا قبضہ
ہے - کوئی سلوشن نہیں ہو رہی ہے -
اور نہ مسجد واپس ہوئی ہے - پرانی
دلی میں ایک مسجد بس ٹرمنل
کے پاس جو ٹوٹ پھوٹ گئی ہے
مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی جگہ
نہیں ہے - پہاڑ گنج کی مسجد میں
ہوٹل بن گیا ہے - ایک درد ہو تو
آپ کو بتائیں یہ تو لا علاج مرض ہے -

ڈپٹی اسپیکر صاحب - آپ بڑے
صاف ذہن کے آدمی ہیں - آپ اس
اسٹیٹ سے آئے ہیں جہاں پڑھے لکھے
لوگوں کی سنکھیا زیادہ ہے - اس لئے
اس بات کا اثر آپ پر بھی ہے - آپ
کھلے ذہن کے پڑھے لکھے آدمی ہیں
لیکن میں نے یہ جو چار ڈیپارٹمینٹ
بتائیں ہیں ان میں ایسے لوگ ہیں
جن کا ایک اصول معلوم ہوتا ہے کہ
ان کی حرکتوں سے یہ معلوم ہے کہ
جیسے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اقلیت
ہندوستان میں نہ رہے ان کی جائداد
نہ رہے - وقف کو "ڈیڈیکیشن آف
گاڈ" مانا ہے - ایکٹ کے مطابق
دیکھا جائے -

"(a)" beneficiary' means a person or object for whose benefit a wakf is created and include religious, pious and charitable objects and any other objects of public utility sanctioned by the Muslim Law;"

اس کے نیچے دیا ہے -

"(i) Any person who has a right to worship or to perform any religious rite in a mosque, idgah, imambara, dargah, Khangah, Maqbara, graveyard or any other religious institution connected with the wakf or to participate in any religious or charitable institution under the Wakf;" .. ..

آپ مصدق ایکٹ میں دیکھیں کے
ایک مقصد کے تحت وقف کیا جاتا
ہے - اس میں دو قسم کے وقف ہوتے
ہیں - "فار دی پبلک ان دی نیم
آف گاڈ" اور دوسرا ہوتا ہے اولادوں
کے لئے - تو کیا یہ چاروں ڈیپارٹمینٹ
کیا ان دونوں چیزوں میں آتے ہیں -
حصے دار یہ ڈیپارٹمینٹ نہیں ہیں
اور نہ ہی یہ وقف اعلیٰ اولاد کی
کیٹیگری میں آتے ہیں - چاہے کوئی
بھی ڈیپارٹمینٹ ہو -

اس لئے میں عرض کر رہا تھا
کہ سب ملنا چاہئے اور ہمارا پورا
سمرتھن ہے لیکن آپ پورا بل لائیے
اور اس طرح کی ویوستھا کیجئے کہ
وہ مسلمانوں کی وقف جائدادیں بچ
سکیں - جس پرپز کے لئے وہ جائدادیں
دی گئی ہیں ان کو پورا کیا جا سکے-
اسکول بلڈیں کالج بلڈیں ہسپتال
بلڈیں ڈیولپمینٹ کے لئے اپیوگ کیا
جائے - ہسپتال بلڈیں لڑکی اسکول
بلڈیں ان کے ڈیولپمینٹ کے کام ہوں -

[شری جمیل الرحمن]

میں آنکڑے دے رہا ہوں وقفوں کی حالت سارے ملک میں بری ہے دلی میں تو اور بھی بری حالت ہے - اتنی افراتفری کیوں مچی ہوئی ہے کس وقت زمین بیچ کر کہیں کوئی فرار ہو جائے کا پتہ ہی نہیں چلتا - سرکار کے پاس کوئی سادھن نہیں ہے کہ اس کو واپس لیا جا سکے - آپ آنکڑا دیکھیں - ۱۳۴ جائدادیں ورکس اینڈ ہاوسنگ کے تحت ڈی - ڈی - اے - کے قبضے میں اس وقت بھی ہیں - ۱۰۸ جائدادیں لینڈ اینڈ ڈیولپمینٹ کے قبضے میں ہیں کیوں اس کے بارے میں کاروائی نہیں ہوتی ہے - جب سات آٹھ منزلہ عمارتیں بن جائینگی تب نہیں توڑنے دی گی کیا - کیا مطلب ہے اس کا - میں بھیک نہیں مانگ رہا ہوں بھکاری نہیں ہوں - اپنا حق مانگتا ہوں - ان وقف کی جائدادوں کو واپس کیجئے - ان کو لینے والے دوسرے آدمی نہیں ہو سکتے ہیں - یہ چار ڈیپارٹمینٹ لینے والے نہیں ہو سکتے ہیں - جو وارث ہیں وہی ہو سکتے ہیں - پندرہ کروڑ مسلمان ہندوستان کے ان کے وارث ہیں -

ابھی آپ نے سروے نہیں کیا ہے ان جائدادوں کا - کم سے کم دلی کی جائدادوں کا آپ سروے تو کرائیں اور سدن کو جو نتیجہ نکلے بتائیں کہ دیش میں کتنی وقف کی جائدادیں ہیں اور کتنے کروڑ کی ہیں اور دلی میں کتنی ہیں اور کتنے کروڑ کی ہیں

MR. DEPUTY-SPEAKER: When a comprehensive Bill comes, you must give sufficient time for that. You are exhausting everything on this occasion.

SHRI JAMILUR RAHMAN: You must allow me at least 45 minutes. I pray to God that you should be in the Chair on that particular day when that comprehensive Bill come.

پریس کے بارے میں بڑی لمبی بات ہوئی ہے آج - یہ کہا جاتا ہے کہ بہار سرکار نے (۲۹۲) (اے) لا کر پریس کے ادھیکار میں ہستکشیپ کیا ہے - کالنگ اٹینشن پہلے پہل سدن میں آیا تھا - ایک دو پرشن میں ان کے لئے بھی رکھنا چاہتا ہوں - سدن میں اس کا جواب تو نہیں مل پائے گا - مولک ادھیکاروں کا میں بڑا حامی ہوں - علمبردار ہوں - پریس کو نیشنل پریس کہا جاتا ہے لیکن میں تو اس کو کمیونسٹ پریس مانتا ہوں - میں چاہتا ہوں کہ بتایا جائے کہ اقلیتوں کی جائدادوں پر جس قدر ظلم ہو رہا ہے اور ان کی اکونومک اور سوشل حالت جو ہے اس کی ڈیولپمینٹ کے لئے بھی کہا آج تک یہ نام نہادی نیشنل پریس نے کچھ لکھا ہے - کیا ہم ہندوستان کے شہری نہیں ہیں - جب کوئی فساد کا معاملہ

پیدا ہوتا ہے گڑبڑی پیدا ہوتی ہے پریس والوں کو پیٹرو ڈالر نظر آتے ہیں - لیکن کیا انہوں نے کبھی یہ بھی بتایا ہے کہ کتنے مسلمان اور کتنے غیر مسلمان ملک کے باہر ہیں اور وہ کتنے پیٹرو ڈالر الگ الگ ہندوستان میں بھیجتے ہیں - جب پیٹرو ڈالرز کا الزام لگایا جاتا ہے تو یہ بھی بتایا جانا چاہئے کہ کتنے مسلمان ہندوستان کے باہر ہیں اور کتنے غیر مسلمان باہر ہیں اور دونوں الگ الگ کتنے پیٹرو ڈالر ہندوستان میں لاتے ہیں یا بھیجتے ہیں - پریس کی آزادی کا میں بڑا حامی ہوں علمبردار ہوں - ۱۹۷۱ع سے ۱۹۷۷ع تک میں ممبر رہا ہوں - پارلیامنٹ کی کارروائی گواہ ہیں کہ میں اسمال اور میڈیم نیوز پیپرز کا ہمیشہ حامی رہا ہوں - گجرال صاحب منسٹر تھے دیگر لوگ بھی رہے شکلا جی بھی تھے سب اس بات کے گواہ ہیں کہ میں کتنا بڑا علمبردار اسمال اینڈ میڈیم نیوز پیپرز کا رہا ہوں اور اس چیز کو پارلیامنٹ کی پروسیڈنگز بھی ثابت کر دیگی لیکن یہ نام نہادی نیشنل پریس والوں کو کون سمجھائے -

درگاہ کلو کھیڑی کا معاملہ دلی میں ابھی بھی پینڈنگ ہے - دوسرا کوئی درگزر کر سکتا ہے لیکن میں نہیں چاہتا کہ اس معاملے کو درگزر کر دیا جائے - اہم معاملہ ہے - اس کو میں درگزر ہونے بھی نہیں دونگا - ۲۹ تاریخ کو پچھلے مہینے کی میں خود وہاں گیا تھا -

میں درگاہ شریف گیا تھا کلو کھیڑی میں درگاہ کے علاوہ چھوٹے چھوٹے قبرستان بھی ہیں - ڈی - ڈی - اے - کے بلڈوزرز شان سے چل رہے تھے - جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے چار چھ ڈیپارٹمنٹ میں ایسے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہم لوگوں کا خاتمہ ہو جائے - لیکن میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں اتنا کمزور جان نہیں ہوں میں آسانی سے ختم ہونے والا نہیں ہوں ہندوستان سے وہ چاہے وہ کتنی کوشش کریں چاہے کتنا دنگا فساد کریں - ہم جس قوتا پر یقین کرتے ہیں اس کا ایمان ہے سوشلزم پر اور سیکولرزم پر -

MR. DEPUTY-SPEAKER: You are a part and parcel of the Indian nation. No question of eliminating.

SHRI JAMILUR RAHMAN: Yes; I claim it. My father claimed it and his father claimed it. My son also will claim it.

اگر دی ایکسٹری فورسز ہمیں ڈرانا دھمکانا چاہتی ہیں تو جمیل الرحمن اور اس کی سات پشتوں کے لوگ ڈرنے والے نہیں ہیں -

کلو کھیڑی کا مزار ایک متبرک مقام ہے - ابھی پچھلے مہینے ۲۹ تاریخ کو میں گیا تھا مزار میں جعلی قبریں ہیں - ابھی سرہانے پھر

[شری جمیل الرحمن]

صاحب کے مزار وہ سب توڑ پھوڑ کر برابر کر دی گئی ہیں - پہلے کے پانی کا جو کنواں تھا اس کو توڑ کر برابر کر دیا گیا ہے - اتنا ہی نہیں وہاں چار پیپل کے درخت ہیں - ان کے چاروں طرف چبوترا بنا دیا گیا ہے۔ اور مزار کو بند کر دیا گیا ہے - آپ غور فرمائیں - کہ یہ کس بات کا سلکوت ہے کس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک طرف تو قبروں کو ختم کیا جا رہا ہے کنویں کو ختم کر دیا گیا ہے دوسری طرف پیپل کے درختوں کے چاروں طرف چبوترا بنا کر ڈھول بجایا جا رہا ہے - اس کے معنی یہ ہیں کہ فساد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے -

اس لئے میری گزارش ہے کہ منسٹر صاحب مہربانی فرما کر کمپریہینسیو لائیں - شعر کے مطابق کہیں ایسا نہ ہو کہ "ہم خاک ہو جائیں گے تیری زلف کے سر ہونے تک -" سرکار لمیٹیشن پیریڈ کو بڑھانی جائے اور ڈی - ڈی - اے - آرکیولوجیکل ڈیپارٹمنٹ اور ورکس اینڈ ہاؤسنگ ڈیپارٹمنٹ سب وقف کی خالی زمینوں اور مکانوں پر قبضہ کرتا جائے اور کوئی جائداد ہی نہ بچے تو مقدمہ کس بات کا یہ بات میں سلکوت کے طور پر کہہ رہا ہوں -

ابھی آنریبل منسٹر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ دلی وقف بورڈ نے دلی ایڈمنسٹریشن کو اپروچ کیا اور اس لئے ضرورت پڑی کہ وقف ایکٹ میں ایمنڈمینٹ لا کر اس کو لمیٹیشن ۱۹۸۵ع کے آخر تک بڑھا دیا جائے - محترم وزیر صاحب کو شکوہ کس سے ہے - ہم لوگوں سے یا اس سدن سے - جو آدمی مجرم کے کٹھرے میں کھڑا ہے جو اس کام کو کرا رہا ہے لینڈ ڈیولپمینٹ ونگ وہی اپروچ کر رہا ہے کہ اس ایکٹ کو بڑھایا جائے - اس کی نیت بہت خراب ہے کہ ٹائم کو ایکسٹینڈ کر کے موقع ملے اور ایکوائر کر کے مسلمانوں کی ساری جائداد کو نیست و نابود کر دیا جائے نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری -

میرا دل چاہتا ہے کہ ہر ایک کو اس کا جائز حق ملنا چاہئے یہی ہماری پارٹی کا اصول ہے اور یہی ہماری نیتا کا اصول ہے اور ہم اور ہماری پارٹی اس کے بارے میں کسی سے کمپرومائز کرنے کے لئے تیار نہیں ہے - ہماری پارٹی اور ہماری نیتا اس غلط رویہ کے خلاف ہو وہ قدم اٹھا سکتے ہیں جو جائز اور درست ہیں -

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। हम और हमारी

पार्टी इस बात के लिए कृतसंकल्प है कि अल्पमत समुदाय, चाहे वह कोई भी अल्पमत समुदाय हो, के हुकूक की हिफाजत करने के लिए---धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषायी और दूसरे हुकूक---सहयोग करना चाहिए, योगदान करना चाहिए और उनका दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए।

जनाब जमीलुर्रहमान साहब ने अपने भाषण में वक्फ की बातें तो कही हैं, जिनकी मैं ताईद करता हूं, मगर उसके अलावा अपनी, अपनी पार्टी और अपनी नेता की बात कही है। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि आपकी नेता है, आपकी पार्टी है और आप हैं, यह कानून चार पांच बार क्यों बदलना पड़ा? आज तक दिल्ली में सर्वे क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस सरकार थी या नहीं थी? इन्दिरा गांधी थीं या नहीं थीं? आप थे या नहीं थे? यह क्यों बार बार कानून पास करना पड़ रहा है?

आप ने ही पूछा है और बहुत से माननीय सदस्यों ने पूछा है कि क्या गारंटी है कि 85 के बाद फिर यह कानून बदलना नहीं पड़ेगा? मेरा पहला प्रश्न है कि मंत्री महोदय जब जवाब दें तो वह इस बात को स्पष्ट करें कि यह सर्वे कब तक समाप्त हो जाएगा और कब तक यह जो प्रापर्टी है जो दबायी गई है, जिस का इस्तेमाल मुस्लिम अवाम के विकास के लिए नहीं हो रहा है उस की गारन्टी कब होने जा रही है? जब तक यह गारन्टी नहीं देंगे पार्लियामेंट आएगी, कानून बनेंगे, बदलेंगे लेकिन जिस सवाल के लिए आप को बेचैनी है, वह बेचैनी दूर होने वाली नहीं है। इस बात को आप समझ रखिए।

मौलाना साहब ने सही कहा है कि वक्फ की सम्पत्ति दो किस्म की है। जो सम्पत्ति आप के वारिस को मिलने वाली है उस सम्पत्ति को ले कर आप गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं तो वह ठीक नहीं है। इस लिहाज से हम यह कह रहे हैं, हम जानते हैं, वक्फ की सम्पत्तियों के ऐसे ऐसे तजर्बे मिले हैं कि क्या कहा जाए? मैं उन लोगों के विषय में नहीं कह सकता हूं जो मुस्लिम मजहब के हैं लेकिन हम जानते हैं कि मन्दिरों और मठों में राम और लक्षमण में झगड़ा होता है। लक्षमण कहते हैं कि यह हमारी प्रापर्टी है और राम कहते हैं कि हमारी प्रापर्टी है। और वह झगड़ा कौन तय करता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट के जज साहब उस झगड़े को तय करते हैं। कितनी बदतर हालत मठों की हो गई है?

बिहार में बोध गया में मठ है, उस में हजारों हजार एकड़ जमीन है। मैं जानता हूं मधुबनी जिले के बोर्डर पर एक मठ है जिस में हजारों हजार एकड़ जमीन है। हदबन्दी कानून बिहार में लागू करने की बात हो रही है। लेकिन मठों के हाथी के नाम पर, बैल के नाम पर, घोड़े के नाम पर बांट कर सारी जमीन हड़प ली जाती है। उस से उस सम्प्रदाय विशेष के जिस के लिए मठ की कल्पना की गई, मन्दिरों की कल्पना की गई जिस के विकास की और जिस की संस्कृति और सभ्यता के विकास की कल्पना की गई वह पूरी न हो कर ये सारी चीजें आज लूट का साधन बन गई हैं। माननीय सदस्यों ने ठीक कहा है, उन के यहां भी ऐसी बुराई है। मैं जानता हूं अपने जिले के बारे में, वहां एक मदरसा है, उस की कोई कमेटी थी, उस के सेक्रेटरी ने 25 हजार रुपया हजम कर लिया। उस के बाद तमाम धार्मिक और कानूनी लड़ाइयां लड़ी जाती रहीं, लेकिन आज तक उस ने वह रुपया नहीं दिया। न देने के बाद भी आज वह उस मदरसे को हजम किए हुए है।

वक्फ बोर्ड में जो गड़बड़ियां होती हैं उन बातों में भी सुधार लाने के लिए विधेयक लाना चाहिए। इसलिए जिन माननीय सदस्यों ने मांग की है कि एक काम्प्रीहेंसिव बिल लाना चाहिए, वह सही है। यह पैवन्द लगाने से काम नहीं चलेगा। भोजपुरी में एक कहावत है थूक चाटने से प्यास नहीं जाती है। ऐसे ही यह प्यास ऐसे नहीं बुझने वाली है। आप बाजाब्ता बिल लाइए। सारे देश के वक्फ में चलने वाली गड़बड़ियों को दूर कीजिए। पुराने जमाने में खलीफों के वक्त में यह वक्फ बना जहां तक मैं जानता हूं लेकिन जिस

[श्री कमला मिश्र मधुकर]

मकसद के लिए बना वह मकसद पूरा होना चाहिए, हिन्दुस्तान में भी पूरा होना चाहिए । अगर आप सचमुच चाहते हैं डेमोक्रेसी को चलाना तो डेमोक्रेसी का तकाजा है । मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं जैसे जमीलुर्रहमान साहब भाषण दे कर चले गए । हम इस को सूझ बूझ की बात मानते हैं । हमारी पार्टी इस को सिद्धान्त की बात मानती है और सिद्धान्त के लिहाज से मैं समझता हूं कि ऐसी बात होनी चाहिए ।

इसलिए मेरी मांग है सरकार से कि वक्फ बोर्ड की कोई लीगल पोजीशन आज नहीं है, वह कह दे तो वह कमिश्नर के यहां जाए, कलेक्टर के यहां जाए, उसका नतीजा हो रहा है कि जो समपत्ति ली गई है वक्फ की, जिसका दुरुपयोग हो रहा है उस को वह लोग एविक्ट नहीं कर सकते हैं । उन को पावर नहीं है । इस बात पर सोचना चाहिए सरकार को कि उन को कोई कनूनी अधिकार मिलना जारी है या नही मिलना जरूरी है ?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड का डेमोक्रेटाइजेशन नहीं हुआ है । राज्य सभा में भी इस संबंध में मांग उठाई गई थी । दिल्ली में ही जो वहां की मस्जिदें हैं, वहां के स्थानीय मुसलमानों को लेकर और वहां के वक्फ बोर्ड का चुनाव होना चाहिए । उसका जनतन्त्रीकरण होना चाहिए । ताकि वहां के लोगों को उस सम्पत्ति को लूटने का मौका ही न मिल पाए । दोहन और लूटन---हिन्दू हो या मुसलमान---चलता है धन के नाम पर । इस ओर आपका ध्यान देना चाहिए।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, वक्फ सम्पत्ति का सर्वे कब तक पूरा होगा ? उसके लिए आप सदन में आश्वासन दीजिए। इस सम्बंध में आप कौन सी मशीनरी डवेलप करने जा रहे हैं । इतने दिनों तक सर्वे नहीं हुआ है और चार बार आप संशोधन कर चुके हैं । अब संशोधन करने के बाद कौन सी आप नई मशीनरी डवलप करने जा रहे हैं, जिससे कि 1985 तक सर्वे का काम तेजी के साथ पूरा हो जाए ।

इन चीजों को दुरुस्त न कीजिएगा, तब तक मुसलमानों के दिल में जो आशंकाएं हैं, वे आशंकाएं बनी रहेंगी । उन आशंकाओं को दूर करने की जिम्मेदारी आप की है, इस संबंध में आपको कदम उठाने चाहिए । आपकी पार्टी की नेता, श्रीमती इंदिरा गांधी, की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है, उसमें मेल होने के लिए यह जरूरी है कि आप हाउस में आवाम की आवाज को लेकर आए हैं, उस आवाज की गम्भीरता को समझिए । इसको हल्के-फुल्के ढंग से मत लीजिए । यहां लोग आवाम की आवाज को बोल रहे हैं, काम की बात को आपके सामने रख रहे हैं । उन सब बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए । जिस उद्देश्य से आप यह बिल सदन में लाए हैं, उसकी पूर्ति होनी चाहिए । इसलिए मैं भी इसके हक में हूं और जो आशंकाएं जाहिर की गई हैं, उनके बारे में आपको सफाई करनी चाहिए । जो सवाल उठाए गए हैं, उन सवालों का समाधान आपके जवाब में होना चाहिए, ताकि आइंदा बिल को एक्सटेंड करने की जरूरत ही न पड़े । मैं इस बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री मुजफ्फर हुसैन (बहराइच): जनाब, डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आप की मारफत अपनी हुकूमत की तवज्जह न सिर्फ दिल्ली की ओर दिलाना चाहता हूं, बल्कि मुल्क के दूसरे हिस्सों के वक्फ की ओर भी दिलाना चाहता हूं ।

जहां तक दिल्ली के वक्फ का सवाल है, तो किसी शायर ने इसी से मुतअस्सिर होकर कहा है---चेहरे पर सारे शहर के गर्दे मलाल है, जो दिल का हाल है, वही दिल्ली का हाल है । उलझन, घुटन, हिरास, तपिश कर्ब इनतेशार, वह भीड़ है कि सांस भी लेना मुहाल है ।

वक्फ के सिलसिले में हमारे सदन के मेम्बरान ने आपके सामने बहुत सी तजवीजें रखी हैं ।

श्री जैनुल बशर : सारे बेईमान नहीं हैं, कुछ ईमानदार भी हैं ।

श्री मुजफ्फर हुसैन : मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस हिन्दुस्तान को आजाद हुए आज 35 साल गुजर चुके हैं। हिन्दुस्तान के अन्दर फसादात हुए, मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, उसका न मुझे तजकिरा करना है और न इतना वक्त है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो लोग भी हमारी मस्जिदों और कब्रिस्तानों का तजकिरा कर रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आप सदन में इसका तजकिरा करना छोड़ दें। इसलिए छोड़ दें कि हमारी आजादी को 35 साल बीत चुके हैं, हमारे जिन्दों का भारतीयकरण करने का बहुत से लोगों ने मनसूबा बनाया था, लेकिन जिसको खुदा रखे, उसको कौन चखे। 35 साल आजादी के गुजर जाने के बाद हमारी आबादी चार करोड़ से 15 करोड़ हो गई है और ऐसे लोग जो हुकूमतों की मशीनों में दाखिल हैं, वे हमारे जिन्दों और मुर्दों को भी अपनी कब्रों में देखना पसन्द नहीं कर रहे हैं। और वे चाहते यह हैं कि किसी सूरत में इस हकूमत की पेशानी पर कलंक का टीका लगे। आज मैं यह कहने के लिए तैयार हूं कि डी. डी. ए. और दीगर एजेंसियां जो हैं, उन में अगर हिम्मत या जुर्रत हो, तो जरा वे साउथ ब्लाक में, साउथ एवेन्यू में चल कर या नार्थ एवेन्यू में चल कर किसी गुरुद्वारे की दीवार को हाथ तो लगा दें, किसी मन्दिर को तोड़ दें, किसी मन्दिर पर बुलडोजर चला दें, किसी को गिरा दें? किसी में हिम्मत है कि वह इस को कर सके। फिर क्या वजह है कि हुकूमत के साये में, हुकूमत की निगरानी में, हुकूमत को देखते हुए, जहां मिनिस्टर मौजूद हैं, जब वहां कोई मन्दिरों को हाथ नहीं लगा सकता, गुरुद्वारों को कोई छू नहीं सकता, हमारी मस्जिदों पर आप की मशीनें चल रही हैं और हमारे बाप-दादाओं की हड्डियों पर आप को मोटरें चल रही हैं, जिन पर आप ने हजारों पुल बनवा दिये और हजारों सड़कें बनवा दी। तो मैं समझूंगा कि इस हुकूमत के, जिम्मेदार लोगों के मन में मुस्लिम कौम से कोई हमदर्दी है या नहीं? मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारा घर है और निगरानी आप की है मैं कल देख कर आया हूं। मस्जिदों में होटल बने हुए हैं। मैं कल देख कर आया हूं कि नई दिल्ली स्टेशन से जाते हुए रास्ते में मस्जिदों में कारखाने बने हुए हैं। न जाने हजार बार यहां के मुसलमानों ने इस तरफ तवज्जह दिलाई लेकिन सिवाय डी. डी. ए. के कब्जे के और कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं डी. डी. ए. को ही कसूरवार नहीं ठहराऊंगा बल्कि जो सुन्नी मजलिसे औकाफ के जो जिम्मेदार हैं, वह भी कसूरवार हैं इस चीज के लिए। पहले तो डी. डी. ए. को कब्जा करते वक्त, वे मुकदमा दायर करते हैं, मदाखलत करते हैं लेकिन बाद में समझौता कर के उन से रुपया ले कर मस्जिद और कब्रिस्तान बेच डालते हैं। इसलिए जहां डी. डी. ए. मुजरिम है, वहां साथ ही साथ सुन्नी मजलिसे औकाफ भी मुजरिम है। यह बात नहीं है कि उन को अपना समझ कर मैं माफ करूंगा। वे इस में सब से बड़े कसूरवार हैं क्योंकि वे हमारी मस्जिदों और कब्रिस्तान को डी. डी. ए. से पैसा ले कर बेच रहे हैं। ऐसे वक्फ बोर्ड को तो देना चाहिए। उन को हक हासिल नहीं है कि मुसलमानों की जायदाद पर डी.डी. ए. का कब्जा कराए और हुकूमत को बदनाम करें।

दूसरी गुजारिश इस सिलसिले में मैं यह करूंगा कि जहां तक सुन्नी मजलिसे औकाफ का ताल्लुक है, 1961 के अन्दर इसी लाल किले के मैदान में मैं ने एक आल इन्डिया सुन्नी औकाफ कान्फ्रेंस की थी, जिस जमाने में पं. जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे और हाउसिंग मिनिस्टर माननीय श्री मेहर चन्द खन्ना थे। हम लोग तीन दिन की कान्फ्रेंस के बाद सारे मेमोरेण्डम ले कर पंडित जी की खिदमत में हाजिर हुए। पंडित जी ने हमारे मेमोरेण्डम को बहुत गौर से पढ़ा हम ने सन् 1947 से पहले दिल्ली की सर-जमीन पर जितनी मस्जिदें मौजूद थी, जितने कब्रिस्तान मौजूद थे, उन के फोटो लिए और सन् 1947 के बाद जो मस्जिदें और कब्रिस्तान मुख्तलिफ शकलों में तब्दील किये गये थे, जिसका कितावचा बाजावता फोटो के साथ मेरे पास अब भी मौजूद है, उन को

[श्री मुज़फ्फर हुसैन]

दिखाया । पंडित जी ने और मेहर चन्द खन्ना साहब ने, हमारी मस्जिदों को, कब्रिस्तानों को उन रिफ्यूजीज से, जो मस्जिदों में आबाद हो गये थे और कब्रिस्तानों में जिन्होंने दूकानें बना ली थी, खाली करा कर मजलिसे औकाफ को दे दिया । दो साल तक पंडित जी जिन्दा रहे और सन् 1964 के बाद आहिस्ता-आहिस्ता खामोशी के साथ उन पर गवर्नमेंट की एजेन्सियां काबिज होती गई और जबर्दस्ती पुलिस के जरिये कब्जा करती गई । मुसलमान निहत्थे, परेशान-हाल उन का मुकाबला न कर सके और इस तरीके से आज भी वे काबिज हैं । मेरे पास दिल्ली की 700 मस्जिदों की लिस्ट मौजूद है, जिन पर आज भी गैरों का कब्जा है इस अन्दाज में कि उन मस्जिदों में कहीं पर होटल हैं, कहीं मोटर के कारखाने हैं या टी-स्टाल हैं और जो बड़ी मस्जिदें हैं, तो उनमें लोगों ने अपने रिहायशी मकान बना लिए हैं और कुछ मस्जिदों में लोग पाखाना फिर रहे हैं । तो इस की जिम्मेदारी हुकूमत पर है । अगर इस के जेरे-साये 15 करोड़ मुसलमानों की जिन्दगी महफूज न हो और अगर हमारी मस्जिद, हमारे मकातिब, हमारे कब्रिस्तान, हमारी इबादतगाहें और हमारे आबा-ओ-अजदाद के आस्ताने आप की हुकूमत में महफूज न रहें, तो आप हम से क्या उम्मीद रखते हैं कि हम आप का साथ देंगे । क्या मुसलमान इसलिए पैदा किया गया है हिन्दुस्तान की सर-जमीन पर कि जब इलेक्शन आ जाए, तो उन के वोट ले कर आप हुकूमत की कुर्सी पर बैठ जाएं और जब इलेक्शन खत्म हो जाए, तो उस को जिन्दों व मुर्दों को भी इस सर-जमीन पर भी न रहने दिया जाए । . . . (व्यवधान) . . हमारी सरकार हो या कोई सरकार हो, अगर हमारी सरकार की खामी है, उस में कोई कमी है, तो मुझे वह कहने में उज्र नहीं । इसलिए कि मैं हिन्दुस्तान का वासी हूं न कि पाकिस्तान का और न बंगलादेश का । इस मुल्क में अगर दूसरी कौमों ने कुर्बानियां दी हैं तो मुसलमान कौम की कुर्बानियां भी किसी से कम नहीं हैं । हमारा हक है कि हम अपने हक को हासिल करें हम इस मुल्क के हकदार हैं । आपका यह फर्ज है कि आप हमारी हिफाजत करें ।

मैं आप से अर्ज करता हूं कि आप वक्फ को तोड़ दें और सूबे में और हर कमिश्नरी में वक्फ कमिश्नर मुकर्रर करें और कमिश्नर गैर-मुसलिम हो । एक गैर-मुसलिम के दिल में दर्द होगा । लेकिन मुसलमान तो अपनी मस्जिद को खुद बेच देता है । अगर हिन्दू कमिश्नर होगा तो उसके दिल में दर्द होगा कि मुसलमान हमारे देश से न जाने पायें, मुसलमानों की जायदाद तल्फ न होने पाये । लेकिन मुसलमान तो अपनी मस्जिद खुद बेच देता है । उसके दिल में दर्द नहीं होता । औरों के दिल में खुदा का खौफ होगा, मुसलमानों की मस्जिदों की, जायदादों की हिफाजत करेगा । आप इन वक्फ बोर्ड को तोड़ दीजिए और किसी भी मुसलमान को वक्फ कमिश्नर मत बनाइये । हिन्दू, सिख, ईसाई किसी भी कौम के आदमी को वक्फ कमिश्नर मुकर्रर कीजिए ताकि वे हमारे मजहब, हमारे जजबात का लिहाज करें, हिफाजत करें । वे हमारी जायदादों की हिफाजत करेंगे, उनमें डर होगा कि अगर हमने इन्हें तोड़ डाला या बेच डाला तो बगावत फैल जाएगी । उस से हमारी जायदादें महफूज रहेंगी । अगर किसी मुसलमान को आप बना देंगे तो मुसलमानों को न खुदा का खौफ है, न रसूल खौफ है, न मजहब का खौफ है । वे अपने बाप-दादाओं की जायदादों को भी बेच डालेंगे और उनके दिल में दर्द भी नहीं होगा ।

श्री जैनुल बशर: आप सब मुसलमानों को बेईमान क्यों कहते हैं ? कुछ मुसलमान बेईमान हो सकते हैं ।

श्री सैयद मुजफ्फर हुसैन : मैं सब जगह की बातें जानता हूं । उत्तरप्रदेश का इस से भी बुरा हाल है । दिल्ली में तो जायदादें और मस्जिदें बेच ही रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं । इसलिए मैं आप से कहता हूं कि वक्फ बोर्ड को तोड़िये और वक्फ कमिशनर मुकर्रर कीजिए जिससे कि मुसलमानों की बहुत बड़ी जायदाद की हिफाजत हो सके और मुसलमानों के बच्चों की तालीम और तरबीयत हो सके । इस से सही मायनों में मसलमानों की मस्जिदों की हिफाजत हो सकेगी और उनसे होने वाली आमदनी भी सर्फ हो सकेगी । इसका इस्तेमाल भी

वाकिफ की मन्शा के मुताबिक हो सकेगा । इस तरह से हमारी जायदादें महफूज हो जाएंगी । वरना चाहे आप डी. डी. ए. के हाथ में डालें और किसी और एजेन्सी के हाथ में डालें, हम आप से शिकवा करेंगे और आप उनसे कुछ कह न सकेंगे ।

मैं आप से गुजारिश करूंगा कि चाहे उत्तर प्रदेश में हों, चाहे बिहार और गुजरात में हों, चाहे दिल्ली में हों, आपने वक्फ बोर्ड में सब उन्हीं लोगों को रखा है जिनको कि आप समझते हैं कि आजादी के पहले इन्होंने हमारा साथ दिया था । मैं आप से कहता हूं कि अगर आपको उनकी परवरिश करनी है तो कीजिये मुझे कोई एतराज नहीं है । नेपाल के बार्डर पर बहुत मैदान पड़े हैं, वहां उन्हें जगह दीजिए । वहां वे खेत बोएं, जोतें और अपना गुजर करें । लेकिन आजादी के लिए दी गई कुर्बानी के लिए हमारे बाप-दादाओं की जायदादें बेचने का उनको हक हासिल नहीं है ।

मैं आप से फिर गुजारिश करता हूं कि आप वक्फ बोर्ड तोड़िए और वक्फ कमिशनर मुकर्रर कीजिए । दिल्ली की सारी मस्जिदों और जायदादों के लिए आप पार्लियामेंट के 11 मेम्बरान की एक निगरां कमेटी बना दीजिए जो अपनी निगरानी में, बजरिए पुलिस कमिश्नर उनको खाली करा सके । इस से आपकी जम्हूरियत की लाज बचेगी और मुसलमानों की जायदादों की भी हिफाजत होगी ।

बस मुझे यही अर्ज करना है ।

श्री अशफाक हुसैन (महाराजगंज) : मोतरम डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस बिल पर जिस तरह से बहस हो रही है, उसके मुआफिकतमें खड़ा हुआ हूं । मुआफिकतन करने का मतलब यह है कि जायदादों का मौका दे दिया जाए कि उनके लिमिटेशन खत्म हो कर के वे दूसरों के हवाले हो जाएं । इसलिए मैं इसकी मुआफिकतमें खड़ा हुआ हूं ।

जहां तक वक्फ की जायदाद का सवाल है और उस पर गासिबाना कब्जे का सवाल है, हमारे और साथियों ने, मौलाना साहब ने, जमीलुर्रहमान साहब ने, जैनल बशर साहब ने उसका जिक्र किया है । इधर के साथियों ने भी जिक्र किया है । इस सब पर बहस हुई है । मैं इस पर बोलते हुए एक बहुत भारी शख्सियत का एक खत पढ़ कर सुनाना चाहूंगा कि किस तरह से वक्फ की जायदाद पर सरकार के अहलकार सरकार के महकमे कब्जा किये हुये हैं । हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी शख्सियत, हुकूमत की वजीरेआजम के कहने, खत लिखने के बाद भी उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी । मैं उन खत का थोड़ा सा हिस्सा पढ़कर सुनाना चाहता हूं जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1974 में सूबों के, रियासतों के वजीरेआला और मर्कजी टेरीटरीज को लिखा था । श्रीमती गांधी ने लिखा –

> "I am deeply concerned over the fact that Wakf properties are under undue occupation of illegal occupants."

यहीं तक बात नहीं है, उन्होंने साफ साफ लिखा है –

> "The most distressing fact is that some of the properties are under the occupation of Government and local bodies."

बाद में फिर उन्होंने उसी खत में कहा –

> "I would request the Chief Ministers to bestow their attention to this point and see that these properties are given back to the Wakf Board, and the best way to do is to thrash out on what lines the property can be given."

यह 1974 की बात है और 1974 से अब तक 8 साल का समय गुजर चुका है । ऐसा लगता है जैसे कि कल इस सदन में कैपिटेशन फीस के बारे में बहस हो रही थी । कैपिटेशन फीस के मामले में प्रधानमंत्री की मर्जी है, केन्द्रीय सरकार की मर्जी है, और यहां तक कि बिहार सरकार की भी मर्जी है, कि कैपिटेशन फीस न ली जाये, लेकिन कैपिटेशन फीस ली जा रही है। बिहार, कर्नाटक और आंध्रप्रदेश जहां फीस

[श्री अशफाक हुसैन]

ली जा रही है वहां तो मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री की रिट नहीं चल रही, लेकिन इस मामले में तो दिल्ली में जहां सीधी हुकूमत केन्द्रीय सरकार की है, अफसोस की बात है कि वहां भी प्रधानमंत्री की रिट नहीं चल रही है।

तो मामला इतना अहम है कि उसके लिए जरूरी है कि कारगर कदम, फौरी कदम उठाएं जाएं। जो सर्वे इन वक्त हो रहा है और जो एक्सटेंशन की बात कही गई है, इस बिल के जरिये, मेरी जानकारी में 31 दिसम्बर 1981 तक 2447 वक्फ की जायदादें दिल्ली के अंदर सर्वे हुई और उनमें से 1811 का गजट भी हो गया, लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि गजट होने के बाद कब्जा कितनी जायदादों पर वक्फ बोर्ड को दिया गया? और अगर नहीं दिया गया तो पोजीशन क्या है और क्या इसमें ज्यादातर डी. डी. ए. और सरकारी महकमे शामिल नहीं है?

दूसरा सवाल लैण्ड एक्वीजीशन के बारे में है हमारे साथी श्री जैनुल बशर जी ने इसका हवाला दिया और एक खतरनाक पहलू की तरफ ध्यान दिलाया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से मस्जिद को भी एक्वायर कर लिया गया। तो अगर सरकार की वाकयी नीयत है कि मुसलमानों के पर्सनल ला में कोई दखलअंदाजी न की जाए तो लैण्ड एक्वीजीशन के जरिए मस्जिद, कब्रिस्तान, ईदगाह और इबादतगाहों या इस तरह की और जगहों को लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट से मुस्तसना क्यों नहीं किया जाता। मैं मांग करूंगा कि इनको लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट से मुस्तसना किया जाए। सब से ज्यादा खतरनाक बात यह है कि वजीरे आजम इस के बारे में खत लिखती हैं लेकिन दूसरी तरफ अभी पिछले महीने राज्य सभा में एक सवाल पेश हुआ था जिस में पूछा गया था कि बर्नी कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर सरकार क्या करने जा रही है जिस के जवाब में यह बताया गया था :

"The Government proposes to consider implementation of the recommendations of the Burney Committee Report with respect to the properties claimed by Delhi Waqf Board in phases."

आप फैजिज में करेंगे या एक साथ करेंगे, इस पर बुनियादी एतराज की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन सब से ज्यादा खतरनाक पहलू जो है उसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह खतरनाक बात यह है कि आपकी जुबान से निकल गया जानबूझ कर या बिना जाने बूझे इसका मतलब यह है—

"But which are not required for the planned development of Delhi."

लब यह है कि वही जायदादें हवाले की जाएंगी बर्नी रिपोर्ट के मुताबिक जिन की दिल्ली के प्लांड डिवेलेपमेंट के लिए जरूरत नहीं होगी। आप समझ लें कि दिल्ली का प्लांड डिवेलेपमेंट ऐसा हाथी है, ऐसा परदा है जिस के पीछे सारी वक्फ की जायदादें हड़प की जा सकती हैं और उनको हड़प करने की साजिशें भी की जा रही हैं। इससे आप होशियार रहें।

गवर्नमेंट का एक कानून है :

Public Premises Eviction of Illegal Occupation Act.

वक्फ किसी एक आदमी की जायदाद नहीं होती है। अगर वाकई में आप वक्फ की जायदादों का कुछ तस्फिया चाहते हैं तो वक्फ की जायदादों का तस्फिया ला कोर्ट्स में, सिविल कोर्ट्स में नहीं हो पाएगा। आज तक का तजुर्बा यह है कि बीस-बीस साल तक पच्चीस-पच्चीस साल तक मुकदमे चलते रहे हैं और चलने के बाद भी वक्फ बोर्ड या दूसरे इदारे उनका तस्फिया नहीं करा सके हैं। मेरी मांग है कि वक्फ की जायदादों को यह जो एक्ट है इसके तहत लाया जाए और खाली कराया जाए क्योंकि ये भी पब्लिक प्रेमीजिज होते हैं।

कुछ लोगों में खुशफहमी है और वे समझते हैं कि वक्फ की जायदादें इतनी हैं कि इन से मुस्लिम कौम की तालीम का, समाजी बहबूदी का सारा इंतजाम हो सकता है और उस में शायद मदद की जरूरत न पड़े। लेकिन ऐसी बात नहीं है। कुछ दिन

पहले अखबारों में आया था कि 75 लाख की वक्फ की आमदनी में से दिल्ली में एक वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला जाएगा । सुर्खी यह थी इसका क्या हुआ ?

Rs 75 lakh Waqf Vocational Training Institute will be set up in Delhi soon.

क्यों यह स्कीम अमल में नहीं आई । दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से शायद यह शाया हुआ था या दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से इस को किसी ने शाया कराया था । तो क्या रुपया नहीं था ? अगर रुपया नहीं था तो इस तरह की खबर अवाम में गलत-फहमी पैदा करने के लिए नहीं देनी चाहिए।

मैं एक और बात आप से कहना चाहूंगा और मंत्री जी से चाहूंगा कि उस पर गौर करें कि वक्फ का एक काम्प्रीहेंसिव कानून वह लाएंगे, उस में जो मेम्बरों ने उन को सलाह दी है और सदन के लोगों ने जो अपनी बात कही है, उस पर वह ध्यान रखेंगे लेकिन एक बात और वह ध्यान में रखें, उस पर गौर करें कि क्या वक्फ के कानून को सारी पाबन्दियों से बचाने के लिए कांस्टीच्यूशन के नाइन्थ शेड्यूल के अंदर लाया जा सकता है ? इस पासिबिलिटी पर भी वह गौर करें । जब कि लैंड सीलिंग एक्ट और तमाम तरह के कानूनों को तहफूज देने के लिए कांस्टीच्यूशन के नाइन्थ शेड्यूल का इस्तेमाल किया जाता है तो मुसलमानों के इस वक्फ के कानून को भी वह नाइन्थ शेड्यूल के तहत लाएं ।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं ।

شری اشفاق حسین (مہاراج گنج):

محترم ڈپٹی اسپیکر صاحب - اس بل پر جس طرح سے بحث ہو رہی ہے میں اس کی موافقت میں کھڑا ہوا ہوں - موافقت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جائدادوں کو موقع دے دیا جائے کہ ان کے لدھتھی ختم ہو کر کے دوسروں کے حوالے ہو جائیں - اس لئے میں اس کی موافقت میں کھڑا ہوا ہوں -

جہاں تک وقف کی جائداد کا سوال ہے اور اس پر قاصبانہ قبضے کا سوال ہے ہمارے اور ساتھیوں نے مولانا صاحب نے جمیل الرحمن صاحب نے زین الہر صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے ادھر کے ساتھیوں نے بھی ذکر کیا ہے - اس سب پر بحث ہوئی ہے - میں اس پر بولتے ہوئے ایک بہت بھاری شخصیت کا ایک خط پڑھ کر سنانا چاہوں گا کہ کس طرح سے وقف کی جائدادوں پر سرکار کے اہل کار سرکار کا محکمے قبضہ کئے ہوئے ہیں - ہندوستان کی سب سے بڑی شخصیت حکومت کی وزیر آعظم کے پہلے خط لکھنے کے بعد بھی ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگی - میں اس خط کا تھوڑا سا حصہ پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں جو پردھان منتری شریمتی اندرا گاندھی جی نے ۱۹۷۴ع میں صوبوں کے - ریاستوں کے وزیر اعلیٰ اور مرکزی تیریٹریز کو رکھا تھا - شریمتی گاندھی نے لکھا -

"I am deeply concerned over the fact that Wakf properties are under undue occupation of illegal occupants."

یہیں تک بات نہیں ہے انہوں نے صاف صاف لکھا ہے -

"The most distressing fact is that some of the properties are under the occupation of Government and local bodies."

[شری اشفاق حسین]

بعد میں پھر انہوں نے اسی خط میں کہا -

"I would request the Chief Ministers to bestow their attention to this point and see that these properties are given back to the Wakf Board, and the best way to do is to thrash out on what lines the property can be given."

یہ ۱۹۷۴ع کی بات ہے اور ۱۹۷۴ع سے اب تو آٹھ سال کا سمے ہو چکا ہے - ایسا لگتا ہے جیسے کہ کل اس سدن میں کیپیٹیشن فیس کے بارے میں بحث ہو رہی تھی - کیپیٹیشن فیس کے معاملے میں پردھان منتری کی مرضی ہے کیندریہ سرکار کی مرضی ہے اور یہاں تک کہ بہار سرکار کی بھی مرضی ہے - کہ کیپیٹیشن فیس نہ لی جائے لیکن کیپیٹیشن فیس لی جا رہی ہے - وہاں تو مان لیا جائے کہ پردھان منتری کی رٹ نہیں چل رہی لیکن اس معاملے میں تو دلی میں جہاں سیدھی حکومت کیندریہ سرکار کی ہے افسوس کی بات کہ وہاں بھی پردھان منتری کی رٹ نہیں چل رہی ہے -

تو معاملہ اتنا اہم ہے کہ اس کے لئے ضروری ہے کہ کارگر قدم فوری قدم اٹھائے جائیں - جو سروے اس وقت ہو رہا ہے اور جو ایکٹیفکیشن کی بات کہی گئی ہے اس بل کے ذریعہ میری جانکاری میں ۳۱ دسمبر ۱۹۸۲ع تک ۲۴۴۷ وقف کی جائدادیں دلی کے اندر سروے ہوئیں اور ان میں سے ۱۸۱۱ کا گزٹ بھی ہو گیا لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ گزٹ ہونے کے بعد قبضہ کتنی جائدادوں پر وقف بورڈ کو دیا گیا - اور اگر نہیں دیا گیا ہے تو پوزیشن کیا ہے اور کیا اس میں زیادہ تر ڈی - ڈی - اے - اور سرکاری محکمے شامل نہیں ہیں -

دوسرا سوال لینڈ ایکویزیشن کے بارے میں ہے - ہمارے ساتھی شری زین البشر جی نے اس کا حوالہ دیا اور ایک خطرناک پہلو کی طرف دھیان دلایا کہ الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے سے مسجد کو بھی ایکوائر کر لیا گیا - تو اگر سرکار کی واقعی نیت ہے کہ مسلمانوں کے پرسنل لا میں کوئی دخل اندازی نہ کی جائے تو لینڈ ایکویزیشن کے ذریعہ مسجد قبرستان عید گاہ اور عبادت گاہوں یا اس طرح کی اور جگہوں کو لینڈ ایکویزیشن ایکٹ سے مستثنیٰ کیوں نہیں کیا جاتا - میں مانگ کروں گا کہ ان کو لینڈ ایکویزیشن ایکٹ سے مستثنیٰ کیا جائے لیکن سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ وزیر اعظم اس کے بارے میں خط لکھتی ہیں لیکن دوسری طرف ابھی پچھلے راجیہ سبھا میں ایک سوال پیش ہوا تھا جس میں پوچھا گیا تھا کہ برنی کمیٹی کی رپورٹ کے اوپر سرکار کیا کرنے جا رہی ہے جس کے جواب میں یہ بتایا گیا تھا -

"The Government proposes to consider implementation of the recommendations of the Burney Committee Report with respect to the properties claimed by Delhi Wakf Board in phases."

آپ امنڈز میں کریں گے یا ایک ساتھ کریں گے اس پر بنیادی اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے - لیکن سب سے زیادہ خطرناک پہلو جو ہے اس کی طرف میں آپ کا دھیان دلانا چاہتا ہوں - وہ خطرناک بات یہ ہے کہ آپ کی زبان سے نکل گیا جان بوجھ کر یا بنا جانے بوجھے -

"But which are not required for the planned development of Delhi."

اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی جائدادیں حوالے کی جائیں گی برنی ریپورٹ کے مطابق جن کی دلی کے پلانڈ ڈیولپمنٹ کے لئے ضرورت نہیں ہو گی - آپ سمجھ لیں کہ دلی کا پلانڈ ڈیولپمنٹ ایسا ہائی ہے ایسا پودا ہے جس کے پیچھے ساری وقف کی جائدادیں ہڑپ کی جا سکتی ہیں اور ان کو ہڑپ کرنے کی سازشیں بھی کی جا رہی ہیں - اس سے آپ ہوشیار رہیں - گورنمنٹ کا ایک قانون ہے :

Public premises Eviction of Illegal Occupation Act.

وقف کسی ایک آدمی کی جائداد نہیں ہوتی ہے - اگر واقعی میں آپ وقف کی جائدادوں کا کچھ تصفیہ چاہتے ہیں تو وقف کی جائدادوں کا تصفیہ لا کورٹ میں سول کورٹس میں نہیں ہو پائے گا - آج تک کا تجربہ یہ ہے کہ بیس بیس سال تک پچیس پچیس سال تک مقدمے چلتے رہے ہیں اور چلنے کے بعد بھی وقف بورڈ یا دوسرے ادارے ان کا تصفیہ نہیں کرا سکے ہیں - میری مانگ ہے کہ وقف کی جائدادوں کو یہ جو ایکٹ ہے اس کے تحت لیا جائے اور خالی کرایا جائے کیونکہ یہ بھی پبلک پریمیزز ہوتے ہیں -

کچھ لوگوں میں خوش فہمی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وقف کی جائدادیں اتنی ہیں کہ ان سے مسلم قوم کی تعلیم کا سماجی بہبود کا سارا انتظام ہو سکتا ہے اور ان میں شاید مدد کی ضرورت نہ پڑے - لیکن ایسی بات نہیں ہے - کچھ دن پہلے اخباروں میں آیا تھا کہ ۷۵ لاکھ کی وقف کی آمدنی میں سے دلی میں ایک ووکیشنل ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ کھولا جائے گا - سرخی یہ تھی -

Rs. 75 lakh Wakf Covational Training Institute will be set up in Delhi soon.

اس کا کیا ہوا - کیوں یہ اسکیم عمل میں نہیں آئی - دلی وقف بورڈ کی طرف سے شاید یہ شائع ہوا تھا - یا دلی وقف بورڈ کی طرف سے اس کو کسی نے شائع کرایا تھا - تو کیا روپیہ نہیں تھا - اگر روپیہ نہیں تھا تو اس طرح کی خبر عوام میں غلط فہمی پیدا کرنے کے لئے نہیں دینی چاہئے -

[شری اشفاق حسین]

میں ایک اور بات آپ سے کہنا چاہوں گا اور منتری جی سے چاہوں گا کہ اس پر غور کریں کہ وقف کا ایک کمپریہینسو قانون وہ لائیں کے اس میں جو ممبروں نے ان کو صلاح دی ہے اور سدن کے لوگوں نے جو اپنی بات کہی ہے اس پر وہ دھیان رکھیں کے لیکن ایک بات اور وہ دھیان میں رکھیں اس پر غور کریں کہ کیا اس وقف کے قانون کو ساری پابندیوں سے بچانے کے لئے کانسٹی ٹیوشن کے نائنتھ شیڈولڈ کے اندر لایا جا سکتا ہے - اس پاسیبلٹی پر بھی وہ غور کریں - جب کہ لینڈ سیلنگ ایکٹ اور تمام طرح کے قانونوں کو تحفظ دینے کے لئے کانسٹی ٹیوشن کے نائنتھ شیڈیول کا استعمال کیا جاتا ہے تو مسلمانوں کے اس وقف کے قانون کو بھی وہ نائنتھ شیڈیول کے تحت لائیں -

ان شبدوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں -

SHRI A. A. RAHIM: Sir, The hon. Members who spoke, had the full realization of the importance of the Bill, and have given me full support in respect of this Bill. I take this opportunity to thank the Members at the outset.

Many of the learned Members expressed their feelings about the present state of affairs; and they have got an opportunity to ventilate the position regarding Wakf properties and certain Wakf Boards. They sopke at length about alienation, encroachment and mismanagement of properties. There was a long discussion about Wakf Board properties as such; but those discussions are not really directly related to this Bill. The Government will take due note of the suggestions, and will definitely try to improve the administration.

The amendment of the Wakf Act is already on the anvil, and will be presented to Parliament this year itself. At that time, these points can be discussed in detail. By amending the Act, the present state of affairs can be improved.

There was criticism about the neglect by the authorities, in restoring Wakf properties. I am not having the details of other States; but I am having certain statistics regarding the Delhi Wakf Board's working in this regard. The Delhi Wakf Board filed 577 cases during the five years from January 1976 to December 1980, with the following break-up:

1976	..	16
1977	..	3
1978	..	40
1979	..	34
1980	..	484

Altogether 577. Out of the above cases, 157 cases have been decided, of which 108 have been decreed in favour of the Delhi Wakf Board; and 49 cases have been dismissed. The Delhi Wakf Board has gone in appeal in 49 cases which have been dismissed. And when the Public Wakfs (Extension of Limitation) (Delhi Amendment) Bill, 1982 is passed, the Delhi Wakf Board proposes to file about 300 more cases for recovery of the possession. As the survey of the Wakf properties is continuing, the number of such cases may again increase.

I take this opportunity to assure the Members that the survey will be expedited, and will be completed soon.

Regarding Burney Committee Report, the Committee submitted its Report in 1976 and in all considered 209 properties. The Government is considering the implementation of the Report in phases. You

will appreciate that there are legal complexities involved. These have to be resolved in the first instance. I can say that something tangible, something positive will be done in this regard. I am expecting cooperation from the members. This Bill is only a step to restore the properties and to protect them and to restore them to the rightful owners.

With these words, I move that the Bill be taken into consideration.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill further to amend the Public Wakfs (Extension of Limitation) Act, 1959, as in force in the Union territory of Delhi, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY SPEAKER: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That Clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI A. A. RAHIM: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY SPEAKER: The House stands adjourned to meet at 11 A.M. on Monday, the 9th August, 1982.

19.57 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, August 9, 1982/ Sravana 18, 1904 (Saka).